खण्ड-134, अंक-1
सोमवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1876
(19 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 134 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, गुप्त श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चद्रन्भानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुष धारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना , श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरली धर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोवध बन्द करने के लिये क़ानून

**१--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि गोवध बन्द करने के लिये वह कोई कानून बनाने का विचार कर रही है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--इस प्रश्न पर गो सम्वर्द्धन कमेटी विचार कर रही है उसकी रिपोर्ट आने पर इस विषय में निर्णय किया जायगा।

कारपोरेशनों के चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

**२--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कारपोरेशनों के चुनाव कब तक हो जायंगे ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--इस संबंध में कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि चुनाव का सवाल संबंधित बिल के पास होने पर निर्भर है।

नगरपालिका तिलहर, जिला शाहजहांपुर का स्मृति-पत्र

**३--श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री की सेवा में नगरपालिका तिलहर (जिला शाहजहांपुर) के कुछ सदस्यों ने उक्त नगर-पालिका के आगामी वर्ष के बजट के सम्बन्ध में इस आशय का कि बजट नियम के विरुद्ध तैयार किया गया कोई स्मृति-पत्र भेजा है ? यदि भेजा है, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां। इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच कराने से पता चला है कि बजट के तैयार करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले की परताल में गलत इन्दराज

*१--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में किन-किन तहसीलों में अब तक सन् १३६१ फसली का परताल शुरू किया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में १३६१ फसली की परताल समाप्त हो चुकी है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १३६१ फसली की पड़ताल के सम्बन्ध में सही इंदराज न होने के कारण जनता की तरफ से कोई लिखित प्रार्थना-पत्र सही इंदराज कराने के लिये सरकार के समक्ष आया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां इन्दराज ठीक नहीं हुआ है उसके संबंध में ठीक कराने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वह तो आदेश भेज दिये गये हैं और जहां-जहां ग़लतियां हैं दुरुस्त की जा रही हैं और आइन्दा अगर ग़लतियां मालूम होंगी तो वह भी दुरुस्त हो जायंगी।

जौनपुर जिले में ज़मींदारी उन्मूलन के सिलसिले में हरिजन क्लर्कों की नियुक्ति

*२--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में कितने डिपार्टमेन्टल क्लर्क कार्य कर रहे थे और अब कितने बढ़ाये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--योजना के प्रारम्भ में १५ डिपार्टमेन्टल क्लर्क नियुक्त किये गये थे। इसके पश्चात् ४५ डिपार्टमेन्टल क्लर्क और बढ़ाये गये हैं।

*३--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बढ़ाये गये हैं उसमें कितने पिछड़ी तथा हरिजन जाति के हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बढ़ाये गये क्लर्कों में १० पिछड़ी जाति और १ हरिजन जाति के हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डिपार्टमन्टल क्लर्क रखे गये हैं वह किस योग्यता के अनुसार रखे गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्लर्क के लिये ऐंट्रेंस पास की योग्यता होती है। वही देख कर रखे गये हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डिपार्टमेंटल क्लर्क रखे गये हैं वह जगहें स्थायी हैं या अस्थायी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अस्थायी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी दरख्वास्तें नौकरियों के सम्बन्ध में हरिजनों की आयी थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कोई दरख्वास्त नहीं आयी थी।

श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि हरिजनों की दरख्वास्तें वहां पर पड़ी हुई हैं और वहां पर हरिजन बुलाये जाते हैं ? फिर भी नहीं रखे जाते ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस विभाग में कोई दरख्वास्त नहीं दी गयी । वैसे दरख्वास्तें पड़ी होंगी कहीं । इसका इल्म नहीं है कि कहां कहां दरख्वास्तें पड़ी हैं । जो योग्य होते हैं उनको लिया जाता है ।

गूल खोज, जिला नैनीताल में नाजायज लकड़ी काटने वालों पर अभियोग

*४--**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि गूलखोज जिला नैनीताल में ए० डी० एम० नैनीताल ने ऐसी बहुत सी नाजायज लकड़ी पकड़ी, जिसे काटने का अधिकार नहीं दिया गया था ? अगर हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां । इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद तीन आदमियों का चालान अदालत में दाखिल कर दिया है । अदालत में मुक़दमा चल रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस किस्म की और कितनी क़ीमत की लकड़ी पकड़ी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो सभी प्रश्न अदालत के विचाराधीन हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या इस लकड़ी के काटने का ठेका कालोनाइजेशन विभाग ने लिया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस मामले से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह पूरा मामला अदालत के विचाराधीन है ।

नैनीताल जिले में अकाल पीड़ितों के सहायतार्थ खरगाखेत-पहाड़पानी रोड के निर्माण की मांग

*५--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के पूर्वी आगर, रामगढ़, चौमेंसो, विस्जूला, छरवाता, चौगढ़, आदि पट्टियों में अनावृष्टि से भीषण खाद्य संकट उपस्थित हो गया है , तथा लोगों की क्रय शक्ति भी क्षीण हो गयी है ? अगर हां, तो क्या सरकार अकाली सहायता के हेतु खरगाखेत-पहाड़पानी मोटर रोड का निर्माण स्थानीय जनता को मजदूरी दे कर कराने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन पट्टियों में कोई अभाव की स्थिति नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन पट्टियों में अनावृष्टि से कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आलू की फसल को मई, जून की गर्मी में नुकसान हुआ था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अगर टेस्ट वर्क्स नहीं खुलवाये तो फिर ६ आने के अभाव को दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध किया?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है उसके विरुद्ध आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं । प्रश्न के उत्तर में कहा गया है "अभाव की स्थिति नहीं है" । इसी के हिसाब से आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैंने अभाव की स्थिति का जिक्र नहीं किया बल्कि अनावृष्टि की स्थिति का जिक्र किया ।

श्री अध्यक्ष--पूरक प्रश्न में अभाव की स्थिति को दूर करने के लिये आपने कहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जितना नुकसान आलू की फसल को हुआ है उस संबंध मे क्या कार्यवाही उन्होंने की है ?

श्री चरणसिंह--हर नुकसान को पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता है तब टेस्ट वर्क्स की जरूरत होती है या मालगुजारी में माफ़ी की जरूरत होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन पट्टियों में आलू के बीज के सम्बन्ध में अभी हाल ही में कुछ तकावी दी है ?

श्री चरणसिंह--तकावी बहुत से जिलों को दी जाती है और उनको भी दी गई होगी।

आजमगढ़ जिले में ग़लत इन्दराज के सम्बन्ध में दरख्वास्तें

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितनी दरख्वास्तें दफा ३१ (ग़लत इन्दराज सम्बन्धी) के अनुसार पड़ी थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--

तहसील सदर में	.. ..	४२४
,, मुहम्मदाबाद में	.. ..	१,४५८
,, घोसी में	.. ..	२,७२५
,, सगड़ी में	.. ..	१,९०७
,, लालगंज में	.. ..	४४७
,, फूलपुर में	.. ..	१,३९८

*७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक तहसील की अलग-अलग कितनी दरख्वास्तें स्वीकृत हुई हैं और मार्च, सन् १९५३ के पहले तथा बाद को क्या प्रतिशत रहा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सूचना संलग्न सूची में दी गयी है ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४ पर)

*८--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सुखीपुर, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में कितनी दरख्वास्तें पड़ी थीं और कितनी स्वीकृत हुईं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१४ दरख्वास्तें पड़ी थीं जिनमें से १० स्वीकृत हुईं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयी हैं जिनके ऊपर किसानों के मकान वर्षों से बने हुए हैं ?

श्री चरणसिंह--वही दरख्वास्तें खारिज हुई हैं जिनके ऊपर किसानों के कब्जे साबित नहीं हुए।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में अभी बहुत सी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जिनकी जांच नहीं हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जवाब में उनकी संख्या दे दी गयी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि घोसी तहसील में कितने प्रतिशत दरख्वास्तें स्वीकार की गयीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह जवाब की सूची में दिया गया है कि सन् १९५३ के पहले २२ और १९५४ के बाद ३५ ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री मुजफ्फर हुसेन सभा-सचिव साहब इन दरख्वास्तों की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये आजमगढ़ गये हुए थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--शिकायतों के सम्बन्ध में जरूर गये थे ।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में ग़लत इन्दराज के सम्बन्ध में जो दरख्वास्तें पड़ीं वह व्यक्तिगत रूप से पड़ीं या सामूहिक रूप से ?

श्री चरणसिंह--दोनों रूप से पड़ीं ?

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि किसी खास पार्टी ने बहुत ज्यादा दरख्वास्तों को इकट्ठा करके दिलाया था ?

श्री चरणसिंह--जी हां, यह ठीक है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि सुखीपुर गांव की १४ दरख्वास्तें परगना हाकिम फूलपुर ने पहले खारिज कर दी थीं और फिर सभा-सचिव के आदेश पर वह स्वीकृत की गयीं ?

श्री चरणसिंह--मुझे ठीक सुनायी नहीं दिया मैं उस गांव का नाम जानना चाहता हूं। सुखीपुर की बाबत तो इसमें दिया हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं सुखीपुर गांव की बाबत ही जानना चाहता हूं जिसमें पहले १४ दरख्वास्तें पड़ी थीं लेकिन वह सब खारिज कर दी गयी थीं और सभा-सचिव के आदेश पर फिर स्वीकृत हुयीं ?

श्री चरणसिंह--मुमकिन है ऐसा हुआ हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में गलत इन्दराज के विरोध में सत्याग्रह हुआ था और उसमें जिलाधीश आजमगढ़ ने गलत तरीके से खारिज की गयी दरख्वास्तों पर पुनः विचार करने का आश्वासन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को दिया था ?

श्री चरणसिंह--यह पत्रव्यवहार तो जिलाधीश और सोशलिस्ट पार्टी के बीच हुआ था वह तो मुझसे अधिक माननीय पांडेय जी को मालूम है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से दिलायी गयी थीं उनमें कुछ दरख्वास्तें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिलायी गयी थीं ?

श्री चरणसिंह--यह तो मुझे इस वक्त याद नहीं है मुमकिन है ऐसा हुआ हो।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तों की संख्या बतलायी गयी है उनमें वह दरख्वास्तें भी हैं जो बिला स्टाम्प लगाये हुए दिलायी गयी थीं ?

श्री चरणसिंह--जी हां, कुछ बिना स्टाम्प के दी गयी थीं वह भी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले से बहुत सी शिकायतें ऐसी उनके पास आयी हैं कि मैजिस्ट्रेट ने बिला मौके पर गये हुए दरख्वास्तों को खारिज कर दिया ?

श्री चरणसिंह--ऐसी १,२ शिकायतें माननीय प्रश्नकर्ता की ओर से मेरे पास आयी थीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री कोई इस तरह का आदेश आजमगढ़ के जिला अधिकारियों को देनेवाले हैं कि जो दरख्वास्तें गलत तरीके से खारिज की गयीं उनकी फिर से जांच हो सके ?

श्री चरणसिंह--मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई अर्जी ग़लत तरीक़े से खारिज की गयी, इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

लेखपालों के काग़जात का निरीक्षण करने के लिये अधिकार

*९--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के सदस्यों को अधिकार दिया जाने वाला है कि वे लेखपालों का तमाम काग़जातों का निरीक्षण कर सकेंगे ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*१०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--यदि हां, तो कब से ?

श्री चरणसिंह--यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

*११--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि विधान सभा के सदस्यों को भूमि प्रबन्धक कमेटियों के तमाम काग़जात देखने का अधिकार दिया जाने वाला है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

देवरिया जिले में छोटी नदी गंडक में बाढ़

*१२--श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि छोटी गंडक नदी से देवरिया जिला की सलेमपुर तहसील में बराबर बाढ़ आती है ?

श्री चरणसिंह--देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में छोटी गंडक नदी से बराबर बाढ़ नहीं आती क्योंकि यह नदी गहरी है और इसके किनारे पुख्ता हैं।

*१३--श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार वहां के बाढ़ रोकने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरणसिंह--यह प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे उपनिवेश बसाने का विचार

*१४--श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे-किनारे कोई उपनिवेश बसाने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

जिला अल्मोड़ा की पट्टी तल्ली सालम के शीम दाड़िम गांव में बंजर भूमि

*१५--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा की पट्टी तल्ली सालम के शीम दाड़िम गांव में बंजर भूमि कितनी एकड़ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस समय ३५ एकड़ जमीन बंजर है, इसमें से २५ एकड़ भूमि चराई के काम में लायी जाती है ।

*१६--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि वहां की ग्राम सभा ने यह बंजर भूमि भूमिहीनों को देने का निश्चय किया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां । कुल बंजर जमीन में से १० एकड़ जमीन भूमि-हीनों को देने के लिये ग्राम वाले राजी हैं ।

*१७--श्री खुशीराम--क्या तल्ली सालम के बोराकोट गांव में बंजर भूमि है ? यदि हां, तो कितनी एकड़ है और उस भूमि का ग्रामवासी क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां । ४५ एकड़ भूमि इस समय बंजर पड़ी है । ग्रामवासियों ने इस भूमि को चरागाह बनाने का निश्चय किया है ।

श्री खुशीराम--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ४५ एकड़ भूमि में कितनी नाप है और कितनी बेनाप है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सूचना चाहिये ।

श्री खुशीराम--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ४५ एकड़ भूमि इसमें बंजर है उसमें से भूमिहीनों को मिल सकती है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यदि कुमायूं नयाबाद वेस्ट लैन्ड ऐक्ट के मातहत गांव वाले जमीन देना चाहेंगे तो डिप्टी कमिश्नर साहब उनको दे सकते हैं ।

बलिया जिले में तकावी का वितरण

*१८--श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष में बलिया जिले में कितनी तकावी दी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में बलिया जिले में ५,३५, ९५० रु० की तकावी दी गयी ।

*१९--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो तकावी दी गयी, वह किन-किन मदों में कितनी-कितनी दी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मांगी गयी सूचना इस प्रकार है ---

ऐक्ट	मद	रु०
१२, सन् १८८४ ई०	बैल खरीदने के लिये	१,१४,६००
	खाद तथा फर्टिलाइजर	४,२५०
	अच्छी नस्ल की गाय और भैंस	१,७५०
	उम्दा कोल्हू	३,३५०
	योग	१,२३,९५०
१९, सन् १८८३ ई०	तरक्की काश्त	१२,६००
	कुआं बनाने के लिये	८,०००
	पंपिंग सेट	१२,५००
	रहट	७,५८०
	बोरिंग	१२०
	ट्रैक्टर	४०,०००
	मैसेनरी वेल्स	३,३१,२००
	योग	४,१२,०००

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सब रुपया खर्च कर दिया गया है या उसमें से कुछ बच गया है ?

श्री चरणसिंह---यह सब तकावी में दे दिया गया है ।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को यह सूचना है कि बलिया जिले से यह मांग आयी थी कि यह रुपया वहां के लिये बहुत नाकाफी है ?

श्री चरणसिंह---कोई ऐसी शिकायत याद नहीं पड़ती है ।

*२०-२२---**श्री गेंदासिंह**---[स्थगित किये गये ।]

कृषि विभाग में स्थायी व अस्थायी कर्मचारी

*२३---**श्री बलवन्तसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कृषि विभाग में ग्रूप तीसरा दूसरा तथा पहले में कितने-कितने कर्मचारी स्थायी (permanent) तथा अस्थायी (temporary) मार्च, १९५३ तक थे ?

श्री चरणसिंह---मार्च, १९५३ तक की आवश्यक सूचना निम्नलिखित हैं---

	ग्रूप पहला	ग्रूप दूसरा	ग्रूप तीसरा
स्थायी कर्मचारी, सबार्डिनेट एग्रीकलचरल सर्विस	८६	२३६	११५
अस्थायी कर्मचारी, सबार्डिनेट एग्रीकलचरल सर्विस	१०४	२४९	६८९

बुलन्दशहर-देहली रोडवेज सर्विस

*२४---**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर से देहली तक सरकारी रोडवेज चलाने का वह कब से विचार रखते हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---बुलंदशहर से देहली तक सरकारी रोडवेज सर्विस चलाने के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय पथ परिवहन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही की जा चुकी है परन्तु इस मार्ग के निजी चालकों ने हाई कोर्ट से स्थगन आज्ञा प्राप्त कर ली है जब अदालत अपनी यह आज्ञा हटा लेगी तो रोडवेज की गाड़ियां चलायी जा सकेंगी ।

*२५--**श्री धर्मसिंह**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर रोडवेज का स्थान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति---७३,९०० रु० खर्च हुआ ।

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब बुलन्दशहर और दिल्ली के बीच प्राइवेट गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं तो सरकार रोडवेज की गाड़ियों को चलाने का इरादा क्यों रखती है ?

श्री राममूर्ति---सरकार की यह पालिसी है कि वह सारे प्रदेश में आहिस्ता-आहिस्ता सरकारी गाड़ियां ही चलाये ।

*२६--**श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)**---[१७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

गांव मखदूमपुर, ज़िला मेरठ में गङ्गा की धारा से जमीन का कटाव

*२७--**श्री रामजीलाल सहायक (ज़िला मेरठ)**---क्या सरकार को मालूम है कि गांव मखदूमपुर गंगाखादर, ज़िला मेरठ में गंगा की धार ने किसानों की जमीन काट कर बेकार कर दी है और वहां के किसानों को बड़ी तकलीफ हो गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां । जमीन कट जाने से तकलीफ तो होती ही है ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या यह सही है कि इन गांवों के किसानों ने सरकार के पास यह प्रार्थनापत्र भेजे थे जिनमें उन्होंने दूसरी जगह भूमि की मांग की थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---भूमि के सम्बन्ध में उनके लिये व्यवस्था की जा रही है । प्रार्थनापत्र के लिये सूचना चाहिये । मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह बतला देना चाहता हूं कि इसी गांव में जो जमीन पड़ी हुई है या जो जमीन दूसरे जिले में चली गयी है उसके लिये जमीन एलाट करने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पानी के बहाव का रुख बदलने के लिये सरकार छोटा-सा बांध बनाने की योजना पर भी विचार कर रही है ।

श्री चरणसिंह---हमारे इल्म में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

सिकन्दराराऊ, ज़िला अलीगढ़ में ओले गिरने से फसलों को हानि

*२८---**श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)**---क्या सरकार को ज्ञात है कि सिकंदराराऊ (अलीगढ़) में २०, २१ फरवरी, १९५४ को भारी ओले गिरे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां ।

*२९---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या यह सही है कि इस प्रकृति के प्रकोप से फसल को भारी हानि हुई है ? यदि हां, तो किस-किस फसल को और कितनी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हानि का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५ पर)

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांवों में ओले पड़े थे?

श्री चरणसिंह---२२ गांवों में।

श्री नेकराम शर्मा---यह जिन २२ गांवों की सूचना दी गयी है क्या उन गांवों की हानि की जांच तहसीलदार साहब ने स्वयं जाकर की थी?

श्री चरणसिंह---लैन्ड रेवेन्यू मैन्युअल के नियमों के अनुसार मातहत अधिकारियों ने इसकी जांच की।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि करीब १०० दरख्वास्तें खुद माननीय मंत्री जी के पास आयी थीं और उनमें लिखा है कि कम से कम १२ आने से ऊपर नुकसान ओलों से फसलों को हुआ है?

श्री चरणसिंह---यह तो मुझे नहीं मालूम है कि कितने गांवों की दरख्वास्तें थीं लेकिन कुछ दरख्वास्तें मेरे पास आयी थीं और गालिबन माननीय नेकराम शर्मा जी ने उन्हें दिया था और मैंने उनको जिलाधीश के पास तहकीकात के लिये भेज दिया था?

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसकी क्या रिपोर्ट आयी जो जिलाधीश को भेजी थी?

श्री चरणसिंह---मैंने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। उनके पास डिस्पोजल के लिये भेजा था।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री को मालूम है कि लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक जिन अफसरों को मौके पर जाकर तहकीकात करना चाहिये था, वह नहीं किया गया?

श्री चरणसिंह---ऐसा मुझे नहीं मालूम है।

ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में उत्तर प्रदेश लैंड युटिलाइज़ेशन ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई भूमि

*३०---**श्री बलवन्त सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Land Utilisation Act के अन्तर्गत सरकार ने ज़िला मुजफ्फरनगर में कब और कितनी भूमि दी है?

श्री चरणसिंह---अक्तूबर सन् १९५१ में २०० एकड़ भूमि ग्राम बालावाली, परगना गोरधनपुर, जिला मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश लैन्ड युटिलाइजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत दी गयी थी।

*३१---**श्री बलवन्त सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिनको ऐसी भूमि मिली थी उन्होंने उस सब भूमि पर काश्त कर ली है या नहीं?

श्री चरणसिंह---आधी भूमि जोत ली गयी है तथा शेष भूमि पर इस वर्ष जून के महीने तक खेती किये जाने की सम्भावना है।

*३२—श्री बलवन्तसिंह (अनुपस्थित)—यदि नहीं तो क्या सरकार उस बची भूमि को उनसे वापस लेने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—उत्तर प्रदेश लैन्ड युटिलाइजेशन ऐक्ट अब मंसूख हो चुका है। अतः उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा जमीन वापस लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। जिन लोगों ने पट्टा लिया था यदि वह सीरदार हैं तो उनके २ वर्ष लगातार खेती न करने पर ही जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन उनसे भूमि वापस ली जा सकती है।

गांव समाज सरफरा, जिला बस्ती के चेयरमैन का चुनाव

*३३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा सरफरा कानूनगो क्षेत्र मेहदावल तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के गांव समाज के चेयरमैन का चुनाव कब और किस कानूनगो की देखरेख में हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गांव समाज सरफरा के चेयरमैन का चुनाव प्रथम बार २२ नवम्बर, १९५३ को श्री मुनिनाथ सिंह, सुपरवाइजर कानूनगो की देखरेख में और पुनः १२ मार्च, १९५४ को श्री गुरसहाय लाल, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो की देखरेख में हुआ।

*३४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उसके सम्बन्ध में कोई शिकायत जिलाधीश से की गई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रथम चुनाव के विरुद्ध कुछ सदस्यों ने ११ दिसम्बर, १९५३ को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि चुनाव उचित ढंग से नहीं हुआ है।

*३५—श्री राजाराम शर्मा—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१२ मार्च, १९५४ को श्री गुरु सहाय लाल, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो की देखरेख में पुनः निर्वाचन करवाया गया और श्री भंडारी चेयरमैन चुन लिये गये।

श्री राजाराम शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्रथम बार चुनाव हुआ तो चेयरमैन कौन आदमी बनाया गया था ? उसे पहिले कितना वोट मिला और दूसरे चुनाव में कितना वोट मिला ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजाराम शर्मा—जो प्रार्थनापत्र सदस्यों ने दिया, उसमें क्या शिकायत की गई थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो प्रार्थनापत्र सदस्यों ने और स्वयं प्रश्नकर्ता महोदय ने उनके खिलाफ दिया कि चुनाव में बेइन्साफी की गयी और फेवरिटिज्म किया गया उस शिकायत की जांच एस०डी०ओ० ने की और उन्हें अलहिदा कर दिया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सुपरवाइजर कानूनगो साहब के खिलाफ इस तरह की शिकायत सही मानी गयी उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पहले चुनाव में जिनको चुना गया उसके बाद दूसरे चुनाव में दूसरे को चुना गया। जिन्होंने चुनाव किया उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई बात नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या सरकार का ऐसा विचार है कि उन सुपरवाइजर कानूनगो साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय जिन्होंने चुनाव गलत ढंग से किया था ?

श्री चरणसिंह---हर गलती के लिये सजा देने की जरूरत नहीं होती। अगर उनकी इंटेग्रिटी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई आरोप लगावें और उसकी तहकीकात की जाय और तहकीकात में वह आरोप सिद्ध हो जाय तो उनको सजा जरूर दी जायगी।

गोंडा जिले की गांव सभा बरौली और मुकुन्दपुर से सम्बन्धित हाट बाजार आदि की सूचियां

*३६---**श्री रघुराज सिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा के प्रधानों अथवा गांव समाज के चेयरमैनों को उस सम्पत्ति की और हाट बाजार आदि की सूची प्राप्त हो गयी है जो जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप उन्हें मिली है ? यदि हां, तो जिला गोंडा की गांव सभा बरौली और मुकुन्दपुर से संबंधित उस सूची की एक प्रति सरकार मेज पर रखेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां। गोंडा जिले की गांव सभा बरौली और मुकुन्दपुर से संबंधित सूचियां सभासचिव के कार्यालय में रक्खी हैं और देखी जा सकती हैं।

श्री रघुराज सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा बरौली और मुकुन्दपुर से संबंधित सूची की एक प्रति प्रश्नकर्ता को दी जायगी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---दे दी जायगी ।

जिला बोर्ड शाहजहांपुर के सी० एण्ड पी० टैक्स का मामला

*३७---**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बोर्ड शाहजहांपुर का C & P Tax का मामला Sugarcane Research Farm Shahjahanpur और बोर्ड के मध्य आज से लगभग तीन साल पहले ४-७-५१ को जिला मैजिस्ट्रेट को निर्णयार्थ भेजा गया था और जिला मैजिस्ट्रेट ने तुरन्त ही बकाया अदा करने का आदेश दिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां ।

*३८---**श्री प्रतिपाल सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मैजिस्ट्रेट के इस निर्णय के बावजूद एवं सरकारी आदेश U. O. No 4709-A/IX—338-5, dated 25-1-52 Agriculture (A) Department के बावजूद भी यह टैक्स अदा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिलाधीश के निर्णय के पश्चात् गन्ना अनुसंधान क्षेत्र के कर्मचारियों ने इस टैक्स से मुक्ति पाने के लिये सरकार को आवेदन-पत्र भेजा था किन्तु सरकार ने उनकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी और अस्वीकृति निर्णय दिनांक मई ३०, १९५३, उनको सूचित कर दिया गया है। अब वे टैक्स की अदायगी का प्रबन्ध कर रहे हैं। उनको आदेश दे दिया गया है कि बकाया टैक्स की अदायगी यथासम्भव शीघ्र की जाय और भविष्य में यह टैक्स नियत समय पर अदा किया जाय ।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस क्षेत्र के कर्मचारियों ने वह आवेदन-पत्र कब भेजा था ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सन् ५२ में यह आवेदन-पत्र भेजा था।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह कौन से कारण थे जिनके कारण यह शिकायत पहुंची ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो सरकार नहीं जानती लेकिन उनका आवेदन-पत्र आया था, उस पर जांच की गयी और उसमें समय लगा ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना अनुसंधान फार्म पर बोर्ड का कितना रुपया टैक्स का बाकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---लगभग ४,२०० रुपया बाकी है।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला मैजिस्ट्रेट और सरकार को यह मामला कितनी बार रिफर हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सरकार के नोटिस में जब बात आयी तो उस पर कार्यवाही की गयी।

देवरिया जिले में वितरित सरकारी बीज की वसूली

*३९---**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वर्ष ५१-५२ में जिला देवरिया में बीज गोदामों से जो बीज दिये गये थे उनकी वसूली ओला पीड़ित क्षेत्र में मुल्तवी कर दी गयी थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, देवरिया जिला अभावग्रस्त तथा पीड़ित क्षेत्र घोषित कर देने के फलस्वरूप वहां के कृषि तथा सहकारी बीज गोदामों से सन् १९५१-५२ में दिये गये बीज की वसूली मुल्तवी कर दी गयी थी ।

*४०---**श्री राजवंशी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि मुल्तवी शुदा बीज ५० प्रतिशत तावान के साथ वसूल किया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यदि समय पर वापस कर दिया जाय, तो मुल्तवी शुदा बीज पर तावान नहीं लगाया जाता । समय पर वापस न करने पर ५० प्रतिशत तावान लगाया जाता है पर देवरिया जिले में सन् १९५१-५२ फसली तथा उससे पिछले वर्षों के मुल्तवी शुदा बीज पर ५० प्रतिशत लगे तावान को छूट दे दी गयी है ।

श्री राजवंशी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तावान के साथ वसूली भी हुई है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, तावान वसूल नहीं हुआ। २९ जुलाई सन १९५२ को आर्डर गया था कि उस साल और उससे पहले के जो तावान लगे हुए थे वे सब माफ हो जायं।

*४१-४२---**श्री राम सुन्दर राम** (जिला बस्ती)---[१७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

रबी की फसल की क्षति पूर्ति

*४३---**श्री मन्नी लाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष रबी की फसल को पाला तथा गेरुआ से भारी हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित कृषकों को लगान में छूट देने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस वर्ष रबी की फसल को गेरुए से कोई विशेष हानि नहीं हुई, परन्तु पाले से अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, बलिया, देवरिया और मिर्जापुर जिलों के कुछ भागों में हानि पहुंची है। जिलाधीश के प्रस्ताव आने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने की उचित कार्य-वाही की जायगी। उन्नाव, लखनऊ और फैजाबाद से अभी सूचना नहीं प्राप्त हुई है ?

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि कितने हानि पर छूट दी जाती है ।

श्री चरणसिंह---आठ आने की हानि पर मालगुजारी में कुछ छूट दी जाती है और तफसील से और माननीय मित्र देखना चाहें तो सब लैन्ड रिकर्ड्स मैनुअल में लिखा हुआ है ।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---गेरुये से जो गल्ला नष्ट हुआ वह अब भी खलिहानों में है क्या इस सिलसिले में कि नुकसान हुआ है जांच कराने की कृपा की जायेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जवाब में है कि हानि नहीं हुई है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जो कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद जिले के किन क्षेत्रों में पाले से हानि होने की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। किस जिले के किस भाग में किस गांव में कितना नुक्सान हुआ है इसकी तफसील लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के दफ्तर से हमने मंगाई नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार के पास इसकी सूचना नहीं रहती है, किस जिले के किस भाग में पाले से होने वाली हानि आठ आने से अधिक हुई है ?

श्री चरणसिंह---मैं माननीय मित्र से यह कहना चाहता हूं कि हर तरह की हानि की किस जिले के किस भाग में कितनी हानि हुयी है यह कुछ स्टैंडिंग आर्डर्स हैं उनके मुताबिक जो नियम हैं और जो रेवेन्यू स्टाफ का पुराना तजुर्बा है उसके मुताबिक कायम करते रहते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी माननीय मन्नीलाल जी की सूचना को पर्याप्त समझ कर कि इतना नुकसान हुआ है फसल की फिर जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह---अगर माननीय मन्नीलाल जी यह कहने के लिये तैयार हैं कि वे खुद खेतों पर गये हैं और उन्होंने स्वयं देखा है कि उन खेतों को नुकसान पहुचा है और सरकारी अफसरों की रिपोर्ट उसके बिलकुल विपरीत है तो हम जरूर जिलाधीश से मालूम करने की कोशिश करेंगे ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय माल मंत्री जी गेरुए से हुई हानि की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---माननीय मित्र मेरे दफ्तर में आकर तफसील से बातें करने की कृपा करें तब उस समय जो आवश्यक हो वह जरूर कर लिया जायेगा ।

जिला गाजीपुर में खरीफ़ की फसल की क्षतिपूर्ति

*४४---**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुयी है कि जिला गाजीपुर में बाढ़ से फसल खरीफ को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में और किन-किन गांवों में ?

श्री चरणसिंह—जी हां, गाजीपुर की तहसील सदर मुहम्मदाबाद उत्तर और सैदपुर में बाढ़ से क्रमशः १३३,१२६ और ५६ गांवों को हानि पहुंची। माननीय सदस्य यदि चाहें तो गांवों की सूची कार्यालय में देख सकते हैं।

*४५—**श्री कमलासिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि क्षतिग्रस्त लोगों की उसने क्या सहायता की और क्या वह लगान में छट देने का विचार रखती है?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त गांवों में ९५,९५९ रु० की मालगुजारी में छूट देदी गयी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर जिले में निम्नलिखित सहायता भी दी गयी है :

टेक्स वर्क्स ३०,००० रु०

सहायतार्थ अनुदान	..	१०,००० रु० प्रभावित व्यक्तियों को मकानों की मरम्मत या फिर से बनवाने के लिये।
		१५,००० रु० बाढ़ के सम्बन्ध में।
		२५,०००
तकावी	..	७,००० रु०नार्मल (ऐक्ट १९ के अन्तर्गत)
		२०,००० रु० नार्मल (ऐक्ट १२ के अन्तर्गत)
		१५,००० रु० मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिये।
		१,८५,००० रु० बीज तथा बैलों के लिये।
कुल	..	२,२७,०००

मौजा आरनौटा, जिला आगरा में किसानों को वितरित भूमि

*४६—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५३ से अब तक कुल कितनी भूमि मौजा आरनौटा, तहसील बाह, जिला आगरा में किसानों को वितरित की गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी तक लगभग ७० बीघा भूमि वितरित की जा चुकी है।

*४७—**श्री पुत्तूलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मौजा आरनौटा की रिक्त भूमि को प्राप्त करने के लिये कितने खेतिहर मजदूरों व हरिजनों ने जिला अधिकारियों के पास अपने प्रार्थनापत्र भेजे?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रिक्त भूमि प्राप्त करने के लिये कुल ३० खेतिहर मजदूरों ने, जिनमें ५ हरिजन थे, प्रार्थनापत्र भेजे।

*४८—**श्री पुत्तूलाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम आरनौटा की जनता ने ग्राम सभा आरनौटा के प्रधान के विरुद्ध उक्त भूमि के वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत जिलाधीश, आगरा के पास भेजी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। शिकायत पर हाकिम परगना द्वारा जांच करवाने के बाद प्रधान को मुअत्तल कर दिया गया और उसके विरुद्ध चार्ज लगाये गये। चार्जों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि वह कौन से आरोप हैं जिनके ऊपर इस प्रधान को मुअत्तल किया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी मामले में और इन्हीं शिकायतों पर प्रधान को पहले भी मुअत्तल किया जा चुका था और बगैर इंक्वायरी किये हुये उसे बार्न किया गया था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इसके लिये भी सूचना चाहिये।

मिर्जापुर जिले में हरिजन लेखपालों की नियुक्ति

*४९---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की प्रत्येक तहसील में इस वर्ष कितने लेखपालों की नियुक्ति हुयी है ?

श्री चरणसिंह---मिर्जापुर जिले की प्रत्येक तहसील में २५१ लेखपालों की नियुक्ति इस प्रकार हुयी :

मिर्जापुर---९१

चुनार---७६

राबर्ट्सगंज---७३

बुद्धी---११

*५०---श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक तहसील से क्रमशः कितने आवेदन-पत्र हरिजनों के प्राप्त हुए तथा कितने हरिजन उम्मेदवार लिये गये।

श्री चरणसिंह---सूचना निम्नलिखित है :

नाम तहसील	संख्या आवेदन पत्र जो हरिजनों से प्राप्त हुए	संख्या हरिजन उम्मेदवार जो लिये गये
मिर्जापुर	३	२
चुनार	१	१
राबर्ट्सगंज	५	४
बुद्धी	..	..
योग	९	७

फतेहपुर जिले की खागा तहसील में लेखपालों की नियुक्ति

*५१---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले की खागा तहसील में कुल कितने पटवारियों ने त्याग-पत्र दिया था, और अब कुल कितने लेखपाल उनकी जगह नियुक्त किये गये ?

श्री चरणसिंह---इस तहसील में १७९ पटवारियों में से १५९ पटवारियों ने त्याग-पत्र दिये थे। तत्पश्चात् लेखपालों की प्रणाली को फिर से संगठित करने के फलस्वरूप ११४ लेखपाल नियुक्त किये गये जिनमें १२ ऐसे पटवारी भी थे जिन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया था।

*५२--श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन लेखपालों में कुल कितनी पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह--नये उम्मीदवारों में से ४ लेखपाल परिगणित जाति के तथा ३६ लेखपाल पिछड़ी जाति के थे।

जिला बदायूं में लगान वसूल करने के लिए हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति

*५३--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५३ ई० की फसल खरीफ का लगान वसूल करने के लिये जिला बदायूं में कितने नायब तहसीलदार अमीन तथा चपरासी लिये गये ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जिला बदायूं में १९५३ की फसल खरीफ का लगान वसूल करने के लिए निम्नलिखित नायब तहसीलदार, अमीन तथा चपरासी रक्खे गये :

	बारह मासी	३ माह वाले
नायब तहसीलदार	१०	४
अमीन	११६	३९
चपरासी	११६	१९४

*५४--श्री चुन्नीलाल सगर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उक्त कर्मचारियों में से १३ चपरासी बारह मासी व ११ चपरासी ३ माह वाले हरिजन रक्खे गये हैं। अन्य स्थानों के लिये पुराने कलेक्शन अथवा आबपाशी के अनुभवी हरिजन प्राप्त नहीं थे इसलिये उन स्थानों पर कोई हरिजन नहीं लिये गये।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या यह सही है कि हरिजन चपरासी जो सन् १९५३ ई० से पहले कार्य कर रहे थे उन्हें जबकि उनकी कोई शिकायत नहीं हुयी, नहीं लिया गया और नए उम्मीदवार लिये गये ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अभी जवाब में कहा गया कि १३ चपरासी बारह मासी और ३ चपरासी तीन माह वाले लिये गये जिनको पुराना तजुर्बा भी रहा होगा।

बनारस जिले के कृषि फार्म

*५५--श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस जिले में कितने कृषि फार्म हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--बनारस जिले में कुल तीन सरकारी कृषि फार्म हैं।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कितने-कितने एकड़ के तीनों फार्म हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--एक बनारस फार्म है जिसका क्षेत्रफल साढ़े ७७ एकड़, एक चंदौली फार्म है जिसका क्षेत्रफल ३३ एकड़ और एक आराजी लाइन का फार्म है जिसका क्षेत्रफल लगभग १८५ एकड़ है।

श्री लालबहादुर सिंह--यह घाटे पर चल रहे हैं या मुनाफे पर चल रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चन्दौली फार्म और बनारस फार्म जो हैं वे कृषि फार्म हैं और उनमें अनुसंधान भी होते हैं। जो हिस्सा केवल कृषि का है वह मुनाफे में है और जो अनुसंधानों का है उसमें खर्चा ज्यादा होता है, इसलिये वह अक्सर घाटे में रहता है। जो आखिरी लाइन का फार्म है वह केवल कृषि फार्म नहीं है बल्कि कृषि के साथ साथ वह पशुपालन का फार्म भी है। यह पशुपालन का जो फार्म है इसमें चूंकि हम अच्छी नस्ल के जानवर पैदा करके सस्ते दामों पर काश्तकारों को देते हैं, इसलिये यह भी मुनाफे पर नहीं चलता है।

श्री लालबहादुर सिंह---क्या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है कि किसानों को कितने पशु दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो फार्म पर पूरा रिकार्ड रहता है कि कितने पशु बांटे गये और यह भी तफसील रहती है कि किस-किस गांव में किस-किस को दिये गये।

प्रतापगढ़ जिले में मत्स्य वर्द्धन योजना

*५६---**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में मत्स्य वर्द्धन योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी किस वेतन पर रखे गये हैं ?

श्री चरणसिंह---सूचना संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६ पर)

*५७---**श्री रामअधार तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में सरकार का इस सम्बन्ध में क्या आय-व्यय रहा है ?

श्री चरणसिंह---आय ७३२ रुपया २ आना तथा व्यय ६६५ रुपया १० आना।

*५८---**श्री रामअधार तिवारी**---[१० मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में फसल को क्षति

*५९---**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा की किन-किन पट्टियों में पिछले रबी और खरीफ की फसल खराब होने के कारण दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---पिछली रबी और खरीफ की फसल खराब होने के कारण अल्मोड़ा जिले की कुछ पट्टियों की, जिनकी सूची संलग्न है आर्थिक स्थिति असंतोषजनक हो गयी थी परन्तु इस स्थिति को दुर्भिक्ष नहीं कहा जा सकता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७ पर)

*६०---**श्री गोवर्धन तिवारी**---दुर्भिक्ष पीड़ित पट्टी निवासियों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कौन से प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इन पट्टियों के लोगों की सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित सुविधायें दीं--

(१) टेस्ट वर्क्स के लिये १,४०,००० रु० वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में तथा २०,००० रु० वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया। जिले में टेस्ट वर्क बड़े पैमाने पर चलाये गए और अब भी चल रहे हैं।

(२) अपाहिजों आदि की अहेतुक सहायता के लिये २०,००० रु० वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में और ५,००० रु० वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिये गये।

(३) २००० रु० सहकारी समितियों को सहायता के लिये दिया गया जिससे गल्ले का भाव न बढ़े।

(४) १३६० रबी में १०,३३२ रु० की मालगुजारी में छूट दी गयी। खरीफ १३६१ में भी नियमानुसार छूट दी जायगी ।

(५) हिल प्रोविजिनिंग स्कीम द्वारा सस्ते गल्ले का वितरण किया गया ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार ने कमिश्नर कुमायूं को इस इलाके की हालत को देखने के लिये जांच करने के लिये भेजा है ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

श्री गोवर्धन तिवारी--अगर कमिश्नर साहब की रिपोर्ट उसके मुताल्लिक आयी हो, तो क्या सरकार उसको बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--अगर सदन का उससे कुछ फायदा हुआ तो जरूर बतायेगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो एक लाख ४० हजार रुपया टेस्ट वर्क के लिए दिया गया था उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ।

श्री चरण सिंह--एक लाख ६० हजार रुपया टेस्ट वर्क के लिये था। जब एक लाख ४० हजार रुपया खर्च हो गया तब २० हजार रुपया और भेजा गया ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर उनको मजदूरी कितनी दी जाती है ?

श्री चरण सिंह--१२ आने रोज ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पट्टी तल्ला सलम और तल्ला दक्खिन में जिले के अधिकारी इसलिए टेस्ट वर्क्स नहीं खोल सके कि उसके लिये स्टाफ की मंजूरी यहां से नहीं हो पायी ।

श्री चरणसिंह--हो सकता है कि स्टाफ की मंजूरी में देरी हो गयी हो लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इत्तिला नहीं है कि इस वजह से नहीं खोल पाये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि टेस्ट वर्क कहां-कहां पर खोला गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--

बारामंडल सब-डिवीजन

धरमघर-सनेती सड़क निर्माण
दन्या-आरा सड़क निर्माण
दन्या-धौलादेवी सड़क निर्माण

पाली सब-डिवीजन

चिकियासैण-सल्ट-महादेव मार्ग निर्माण
खतेरा-भोराकोट सड़क निर्माण

पिठौरागढ़ सब-डिवीजन

सकुलाड़ी-बोयल मार्ग ।

बारामंडल सब-डिवीजन

१--बाड़ेछीना-पुनवानौला-गरुड़ा-भौलादेवी-हल्या सड़क निर्माण कार्य ।

२--पौवार-जलना-अलगड़ा-चायखान-चौखुटिया-सौरफाटक डोल सड़क निर्माण ।

३--कठपुड़िया-काकिला-दोलाघाट सड़क निर्माण ।

४--सीमा-कपकोट सड़क निर्माण ।

पाली सब-डिवीजन

१--मानिना-मरचूला सड़क निर्माण ।

२--मिकिया-सेड़-रिटुआ-महादेव सड़क निर्माण ।

पिठौरागढ़ सब-डिवीजन

रामेश्वर-गंगोलीहाट सड़क का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब टेस्ट वर्क खोलने की इजाजत होती है तो उसके लिये जो जरूरी स्टाफ होता है उसकी भी साथ साथ मंजूरी भेज दी जाती है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--वह तो स्टाफ़ इंगेज करने का उनको अधिकार होता ही है लेकिन क़ानूनी कोई दिक्क़त पड़ गई होगी इसलिये यह जरूरत पेश आयी जो माननीय गोवर्धन तिवारी कह रहे हैं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि टेस्ट वर्क में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी एक एक महीने के बाद दी गई ?

श्री चरणसिंह--जी हां, कुछ शिकायत यह थी कि देर में मजदूरी मिलती है । कुछ उसका कारण यह है कि हम राज्य कर्मचारियों को एक रक़म मुक़र्रर है जो उनको अपने पास नक़द रखने की इजाजत दे सकते हैं । उससे ज्यादा अगर दें तो रुपये का नुक़सान हो जाने की आशंका रहती है । और कम रुपया होने की वजह से हेडक्वार्टर्स से जाने में देर होती है । लेकिन अब नियमों में कुछ सुधार कर दिया गया है ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा ने कुछ नायब तहसीलदारों की मंजूरी के लिये सरकार को लिखा है ?

श्री चरण सिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--जो टेस्ट वर्क के द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं और अधूरी रह गयी हैं उन्हें पूरा करने के लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था बनायेगी ?

श्री चरणसिंह--जब तक टेस्ट वर्क जारी रखना जरूरी होगा तब तक तो जारी रखे जायंगे । उसके बाद उन्हें पूरा किया जाय या न किया जाय इस पर गवर्नमेंट विचार करेगी। वैसे यह इस विभाग का प्रश्न नहीं है । अगर वे सड़कें बहुत लम्बी हुईं तो पी० डब्ल्यू० डी० से पूरी करायी जायंगी ।

परगना ग्वारिच, जिला गोंडा में तक़ावी का वितरण

*६१--श्री रघुराज सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज, परगना ग्वारिच के कितने बाढ़-पीड़ित किसानों ने तक़ावी के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया ? उनमें से कितने को तक़ावी दी गयी कितने को अभी देना बाक़ी है और कितनी दरख्वास्तें ख़ारिज की गयीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला गोंडा के तहसील तरबगंज के परगना ग्वारिच से गत वित्तीय वर्ष में तकावी के निमित्त कुल १२०६ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुये थे। जिसमें से ११७८ बाढ़-पीड़ित किसानों को तकावी दी गयी। १८ प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये तथा १० प्रार्थना-पत्रों पर जो कि देर में प्राप्त हुये थे विचार नहीं किया जा सका।

श्री रघुराज सिंह--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि १८ प्रार्थना-पत्र जो ख़ारिज किये गये उसका कारण क्या था ?

श्री चरण सिंह--नियमों में नहीं आते थे।

राजकीय ट्रैक्टर्स

*६२--श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने १९४७ से अब तक अपने ट्रैक्टर संगठन लिये कुल कितने ट्रैक्टर खरीदे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उत्तर प्रदेशीय सरकार ने १९४७ से अब तक अपने ट्रैक्टर संगठन के लिये कुल ५५८ ट्रैक्टर्स ख़रीदे।

*६३--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या कृषि मंत्री कृपा कर निम्नलिखित जानकारी से सदन को अवगत करायेंगे :--

(क) इस समय नई ज़मीन तोड़ने या पुराने सरकारी फार्मों के प्रयोग के लिये आवश्यक ट्रैक्टरों की संख्या, (ख) ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या जो अब किसी काम के नहीं रहे, (ग) ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या जिनको सरकार बेचने या तकावी पर देने को तैयार है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--(क) इस समय नयी जमीन तोड़ने या पुराने सरकारी फार्मों के प्रयोग के लिये आवश्यक ट्रैक्टरों की संख्या २८८ है।

(ख) ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या जो चलते-चलते अब बेकार हो गये हैं ३३ है।

(ग) यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। फिलहाल १७ सरकारी ट्रैक्टरों को किसानों को तकावी पर देने का आदेश शासन ने दे दिया है।

*६४--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि सरकार के ट्रैक्टर संगठन के पास ऐसे भी नाम के टायर आदि हैं जिनका उपयोग किसी भी फर्म के ट्रैक्टर में नहीं हो सकता ? यदि हां, तो ऐसे टायरों की संख्या और मूल्य क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, ऐसे टायरों की कुल संख्या ४० और मूल्य ५५९८ रु० है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ट्रैक्टरों के अलावा केन्द्रीय सरकार के आर्गेनाइजेशन के भी कुछ ट्रैक्टर्स अपने सूबे में चलते हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उन ट्रैक्टरों की संख्या क्या होगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनकी संख्या तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमारे यहां तीन यूनिट्स तराई क्षेत्र में हैं और दो यूनिट्स मऊरानीपुर महरौनी में हैं। जैसे जैसे काम होता जाता है उनको वापस कर दिया जाता है। अब एक यूनिट तराई क्षेत्र में है और दो यूनिट्स मऊरानीपुर महरौनी क्षेत्र में हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उत्तर में यह कहा गया है कि २८८ ट्रैक्टरों की जरूरत है। ३३ बेकार पड़े हैं और १५ की मरम्मत होना है तो जो बाकी २२० ट्रैक्टर्स हैं उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह जो बतलाया गया है कि २८८ ट्रैक्टर्स के संबंध में तो यह सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मरम्मत हो रही है और वह काम के क़ाबिल हो जायंगे। उसके बाद उनको बेचा भी जा सकता है और उनको तकावी पर देने का भी विचार हो रहा है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि इन ट्रैक्टरों से अब तक ७ लाख एकड़ जमीन जोती और तोड़ी जानी चाहिये थी लेकिन ९० हजार एकड़ जमीन ही तोड़ी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जो आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं उनकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या यह सही है कि जो ५५८ ट्रैक्ट खरीदे गये हैं उनमें से कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे थे जो काम में नहीं लाये जा सके और न वह काम में लेने के योग्य ही हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह सही है कि उनमें से कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो काम में आने के योग्य नहीं हैं। यह सारा सामान डिस्पोजल से खरीदा गया था और लौट में खरीदा गया था। एक-एक चीज की छान बीन करके नहीं खरीदा गया।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार से ट्रैक्टर्स खरीदे जाने से सरकार को कितना नुक्सान हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार को लाभ हुआ है क्योंकि एक एक चीज के लेने में बहुत ज्यादा क़ीमत देना पड़ती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--इस तरह से खरीदारी करने में सरकार को कितने ल और कितने हजार रुपये का लाभ हुआ है।

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लाभ और हानि का हिसाब इस समय नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जिस समय ट्रैक्टर्स मिल रहे थे उस समय सभी स्टेट्स को अपने यहां सामान की जरूरत थी और वह सामान खरीदने के लिये तैयार थीं। इसलिये जिसको जितना लेते बन पड़ा वह ले आये। अगर उस समय हम छान-बीन करते तो फिर शायद सामान हमें किन्हीं दामों पर भी नहीं मिलता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ५५८ ट्रैक्टर्स डिस्पोजल से कितनी लागत पर खरीदे गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी पूरी फेहरिस्त मेरे पास है अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--वह तो पूरी लागत पूछ रहे हैं। आप पूरी लागत बतला दें।

श्री जगन प्रसाद रावत---कुल ६५ लाख रुपये का सामान खरीदा गया।

नैनीताल जिले में ओला से फसल को हानि

*६५--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले में २४ फरवरी को पत्थर गिरा है ? यदि हां, तो फसल को कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री चरण सिंह--जी हां। नैनीताल जिले में २४ फरवरी को ओला पड़ने के कारण काशीपुर, रामनगर तथा हल्द्वानी तहसीलों के कुछ भागों में गेहूं की फसल को ६० प्रतिशत और चने की फसल को ७० प्रति शत हानि पहुंची है।

*६६--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह--क्या सरकार नुक्सान पहुंचे हुये काश्तकारों को लगान देने से छुटकारा देने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह--मालगुजारी में छूट नियमानुसार दी जायगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल द्वारा नयाबाद व माल की अपीलों के फैसले

*६७--श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल ने सन् ५१, ५२ व ५३ में कितने नयाबाद व माल की अपीलों के फैसले किये हैं और कितने केसेज़ बिना सुनवाई व फैसले के रह गये हैं ?

श्री चरण सिंह--१९५१, १९५२ और १९५३ में डिप्टी कमिश्नर, गढ़वाल ने नयाबादवमाल की जिन अपीलों में फैसले दिये हैं और जिनमें नहीं दे सके हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है--

सन्	संख्या अपील जिनका फैसला किया गया	संख्या अपील, जो साल के अन्त में बाक़ी रही
१९५१ ..	४४४	२१४
१९५२ ..	४६३	१३१
१९५३ ..	१९०	१११

पब्लिक कैरियर के परमिट

*६८--श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)---क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कानपुर से देहली के लिये ७ पब्लिक कैरियर के परमिट प्राप्ति के सम्बन्ध में आये हुये प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या थी ? उससे सरकार को कितना धन का लाभ हुआ ? क्या वे सातों परमिट एक ही व्यक्ति को दिये गये ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा) (अनुपस्थित)--प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ३३५ थी। परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र पर ३ रुपये १२ आने के कोर्ट फीस स्टाम्प लगते हैं। इन सब प्रार्थना-पत्रों पर जो स्टाम्प लगे थे उनकी क़ीमत १२३३ रुपये १२ आने की होती है। सातों परमिट उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेवलपमेंट ऐंड मार्केटिंग फेडरेशन लि०, लखनऊ को दिये गये।

आजमगढ़ जिले में लेखपालों की नियुक्ति

*६९--श्री श्रीनाथ राम--क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पटवारी आन्दोलन में आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने पटवारियों ने त्याग-पत्र दिया था, कितनों ने नहीं दिया तथा कितनों ने अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया ?

श्री चरण सिंह--गत पटवारी आन्दोलन में आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में कुल १०३० पटवारियों ने त्यागपत्र दिया था। ६९ पटवारियों ने त्यागपत्र नहीं दिया तथा १६१ पटवारियों ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। प्रत्येक तहसील का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८ पर)

*७०--श्री श्रीनाथ राम--क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पटवारियों ने त्याग-पत्र नहीं दिया या देकर वापस ले लिया उनमें से क्या सबकी नियुक्ति लेखपालों के स्थान पर हो गई ?

श्री चरण सिंह--कुल २३० पटवारी ऐसे थे जिन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था अथवा देकर वापस ले लिया था उनमें से केवल २४ की नियुक्ति लेखपालों के स्थान पर नहीं हुई शेष समस्त लोग लेखपाल नियुक्त कर दिये गये।

*७१--श्री श्रीनाथ राम--क्या यह सत्य है कि कुछ त्याग-पत्र देने वाले पटवारियों की नियुक्तियां लेखपालों के स्थान पर हुई हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*७२-७३--श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[१७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*७४-७५--श्री प्रतिपाल सिंह--[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया जिले के तप्पा नगवा टीकर में बाढ़ के कारण मालगुजारी में छूट

*७६--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ५९, ६०, ६१ फसली की बाढ़ के कारण देवरिया जिले के तप्पा नगवा परगना सिलहट के किन-किन गांवों की मालगुजारी में छूट दी गयी है ?

श्री चरण सिंह--देवरिया जिले में परगना सिलहट में तप्पा नगवा टीकर है, न कि नगवा। तप्पा नगवा टीकर में खरीफ १३६० और खरीफ १३६१ फसली में बाढ़ के कारण क्रमशः १०९ और १६५ गांवों में मालगुजारी में छट दी गयी। इन गांवों की सूची संलग्न है।

खरीफ १३५९ फसली में बाढ़ के कारण कोई छट नहीं दी गयी।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७९-८२ पर)

*७७--श्री केशव पांडेय--क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मालगुजारी में छूट होने पर भी उक्त तप्पे के गांवों से मालगुजारी व कृषि आय कर की वसूली उक्त वर्षों की हुई है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। जिस मालगुजारी की छूट की मंजूरी दी जा चुकी थी उसकी कोई वसूली नहीं हुई।

दैवी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि आय कर में कोई छूट नहीं दी जाती इस लिये उपरोक्त वर्षों में कृषि आयकर की छूट या उसकी वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स का प्रबन्ध

*७८--**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार रोडवेज के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये सोच रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (अनुपस्थित)--कर्मचारियों के रहने की सुविधा का इंतजाम हमेशा सरकार के सामने रहता है। जब भी रुपये की व्यवस्था हो सकेगी क्वार्टर्स बनवाना शुरू कर दिये जायंगे।

तहसील नगीना, जिला बिजनौर में फसलों की क्षतिपूर्ति

*७९--**श्री रतन लाल जैन** (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को विदित है कि २४-२-५४ को बिजनौर जिले के अन्तर्गत नगीना तहसील में कितने ग्रामों की रबी की फसल ओलों की वृष्टि से बिल्कुल नष्ट हो गयी?

श्री चरण सिंह--जिला बिजनौर के अन्तर्गत तहसील नगीना के ३८ ग्रामों में २४-२-५४ को ओला पड़ने के कारण फसल को ८ या इससे अधिक हानि पहुंची है।

*८०--**श्री रतन लाल जैन**--क्या सरकार उन ग्रामों के नामों की सूची मेज पर रखेगी?

श्री चरण सिंह--इन ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*८१--**श्री रतन लाल जैन**--क्या सरकार इन क्षति ग्रस्त किसानों को मालगुजारी की छूट व तकावी देने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह--जी हां, २०,००० रु० तकावी इस तहसील में बांटी गयी है। तथा मालगुजारी में छूट जिलाधीश की अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर नियमानुसार दी जायगी।

जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट-टनकपुर रोड पर मोटर दुर्घटना

*८२--**श्री खुशी राम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के लोहाघाट-टनकपुर मोटर सड़क में ३७वीं मील पर जो मोटर सड़क से नीचे गड्ढे में गिरी उसमें कितने आदमी मरे व कितने घायल हुए?

*८३--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मोटर किस कारण से गिरी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (अनुपस्थित)--अभी सूचना एकत्रित की जा रही है, मिलने पर उत्तर दिया जायगा।

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में बाढ़ से प्रभावित ग्राम

*८४--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील के कौन-कौन से ग्राम बाढ़पीड़ित क्षेत्र में पड़ते हैं?

श्री चरण सिंह---गत वर्ष की बाढ़ में मुहम्मदाबाद तहसील के कुल २८६ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है :

नाम परगना	प्रभावित गांवों की संख्या		योग
	८ आने से कम हानि	८ आने या उससे अधिक हानि	
मुहम्मदाबाद	१०५	६४	१६९
जहूराबाद	४४	५५	९९
डेहमा	११	७	१८
कुल	१६०	१२६	२८६

इन गांवों के नाम की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*८५---श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले के डेहमा और जहूराबाद परगने में बहुत से ग्राम बाढ़ से ध्वस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री चरणसिंह---गाजीपुर जिले के डेहमा और जहूराबाद परगने में कोई ग्राम बाढ़ से ध्वस्त नहीं हुआ है।

*८६---श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजीपुर जिले में नदियों की बाढ़ के अलावा तालों से भी फसलों का नुक़सान हुआ है ?

श्री चरणसिंह---जी हां।

तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में किसानों की बेदखली

*८७---श्री शिव पूजन राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील में यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट की दफा १७५ की डिगरी की इजराय में जून १९५३ में कितने किसान दखलदिहानी से बेदखल किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह---इस तहसील में जून १९५३ में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा १७५ की ३३ डिगरियों की इजराय में ५३ काश्तकारों की बेदखली हुयी।

जोत के काग़ज़ात की दुरुस्ती का कार्य

*८८---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या यह सही है कि किसानों के जोत के काग़ज़ात की दुरुस्ती का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका ?

श्री चरण सिंह---सरकारी आदेशानुसार यह कार्य माल अधिकारियों द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। यह कार्य सदैव कुछ न कुछ बना ही रहता है और कभी समाप्त नहीं हो सकता

८९---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार उन जिलों के नाम और काग़ज़ात दुरुस्ती की दरख्वास्तों की संख्या बताने की कृपा करेगी जिनकी दुरुस्ती अभी तक नहीं हो सकी है ?

श्री चरणसिंह---१५ मार्च, १९५४ तक की सूचना संलग्न सूची में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४-८५)

रामपुर जिले में बेदखली के रोके गये मुक़दमे

*९०---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार रोकने के अध्यादेश, १९५१ ई० (The Rampur Stay of Ejecitment Suits and Proceedings Ordinance, 1951) के द्वारा कितने ऐसे मुकदमें रोके गये थे जो रामपुर टेनेन्सी ऐक्ट, १९३७ की धारा ४१ के अन्तर्गत जिले तथा कमिश्नरी की अदालतों में चल रहे थे ?

श्री चरण सिंह---रामपुर में बेदखली के बाद और व्यवहार रोकने के अधिनियम, १९५१ के द्वारा रामपुर टेनेन्सी ऐक्ट, १९३७ की धारा ४१ के अन्तर्गत १०२ मुकदमे रामपुर जिले की अदालतों में रोक दिये गये। कमिश्नरी की अदालतों में कोई मुकदमा नहीं रोका गया।

जिला हमीरपुर का हेडक्वार्टर

*९१--श्री मन्नी लाल गुरुदेव---क्या सरकार जिला हमीरपुर का हेड क्वार्टर हटाकर चरखारी लाने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह--जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चीनी के बढ़े हुए मूल्य तथा सहजनवां महावीर जूट मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो काम-रोको प्रस्ताव आये हैं। एक गेंदा सिंह जी ने भेजा है, जिसमें यह जिक्र है कि चीनी का भाव ३० रुपये से ४० रुपया तक बाजार में हो गया है। उससे अनियंत्रित ढंग से जो चीनी बिक रही है उससे नुकसान जनता को हो रहा है। उसके ऊपर विचार करने के लिए यह काम-रोको प्रस्ताव है। इस प्रांतीय सरकार से इसका सम्बन्ध भी विशेष न होने के कारण इस पर विचार भी यह सदन नहीं कर सकता, क्योंकि नियंत्रण केन्द्रीय सरकार ही करती है। दूसरे इतने महत्व का नहीं है कि इसके लिए सदन का काम रोका जा सके। इसलिए मैं इसको अग्रैध करार देता हूं।

दूसरा श्री झारखंडे राय जी का है। इसमें सहजनवां महावीर जूट मिल में १५०० मजदूरों के लिए कहा गया है कि उन्होंने अपनी कुछ मांगें पेश करने के बाद एक हड़ताल कर दी। उससे जो "गम्भीर परिस्थिति" हुयी, उस पर विचार करने के लिए यह काम-रोको प्रस्ताव है। यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस तरह की गम्भीर परिस्थिति हुयी, क्या हुयी, इसके ऊपर कोई प्रकाश उन्होंने इसमें नहीं डाला। हड़ताल के बारे में जरूर जिक्र किया और मालिक और मजदूरों के बीच में इस तरह के झगड़े अक्सर हो जाते हैं। तो वह कोई ऐसा प्रश्न महत्व का नहीं है, जिसके ऊपर सदन अपना काम रोक कर विचार करे। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश किया जाय।

श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--एक सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं कि श्री गेंदा सिंह द्वारा उठाये हुए विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार समिति विचार कर रही है, उसकी तरफ से समिति की रिपोर्ट के लिए १५ अप्रैल के बजाय ३० अप्रैल तक की अवधि मांगी गयी है, इसकी समिति ने प्रार्थना भेजी है। इसलिए मैंने ३० अप्रैल तक की अवधि उसकी बढ़ा दी है कि तब तक वह रिपोर्ट पेश कर सके।

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४ को, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८६ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बढ़ाने का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन जो विधान सभा के ३० मार्च १९५४ के निश्चय के अनुसार १९ अप्रैल, १९५४ को प्रस्तुत होना चाहिये था, समयानुसार तैयार नहीं हो सका, अतः सदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि २६ अप्रैल, १९५४ तक बढ़ाता है।

इस सम्बन्ध में श्रीमान् जी, सिर्फ यह बताना है कि १५ तारीख तक सिलेक्ट कमेटी की बैठक हुई और अभी तक इसकी विज्ञप्ति नहीं हुई है। तो उस कार्यवाही के करने के बाद वह रिपोर्ट पेश हो सकेगी। इसलिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्न प्रस्ताव कि--

"उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन, जो विधान सभा के ३० मार्च, १९५४ के निश्चय के अनुसार १९ अप्रैल, १९५४ को प्रस्तुत होना चाहिये था, समयानुसार तैयार नहीं हो सका, अतः सदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि २६ अप्रैल, १९५४ तक बढ़ाता है।" स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-क्रम में परिवर्तन का सुझाव

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि जो छठें नम्बर पर कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक है, वह पहले ले लिया जाय और ४ नम्बर बाद में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय राजस्व मंत्री, यह सुझाव दिया गया है कि ६ नम्बर पर जो कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक है वह पहले ले लिया जाय और चौथे नम्बर का बाद में लिया जाय। आपको कोई आपत्ति है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के सम्बधन्म सूचना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी है कि मेरे द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के सम्बन्ध में आपने तारीख १५ अप्रैल निश्चित की थी। फिर उसके सम्बन्ध में क्या कोई टाइम आपने बढ़ाया है या क्या हुआ कुछ मुझे मालूम नहीं हो सका?

श्री अध्यक्ष--मेरे पास उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसलिये उसके समय बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। वह छप जायगी तो पेश हो जायगी।

जगतबेला काण्ड के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---दूसरी बात यह है कि जगतबेला में जो कांड हुआ था उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि १५ दिन में वह एक वक्तव्य देंगे। तो क्या सरकार कोई वक्तव्य देने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री अभी यहां हैं नहीं। जब वह होंगे तो मैं उनसे पूछ कर जवाब दूंगा।

*कुमायूं कृषिभूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री जी कुछ अपना प्रकाश इस पर डालते तो हम भी कुछ उस पर कहते।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो केवल प्रस्ताव पेश कर दिया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---तो मैं विवाद शुरू करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक को पेश करते समय माननीय मंत्री जी के कुछ भी भाषण न देने से यह अन्दाज हम लोग लगा सकते हैं कि कुमायूं के किसानों के कानून के सिलसिले में माननीय मंत्री को बिलकुल भी जानकारी नहीं है। आज यही एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से एक बहुत पुरानी हमारी मांग थी जो सन् १९३७ से बराबर हम लोग करते आये हैं कि कुमायूं के किसानों के लिये भी कोई कानून हमारे इस प्रदेश में बनाया जाना चाहिये। लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हो पायी। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी को कुछ उधर के लोगों की भी याद आ गई और उन्हें यह मालूम हुआ कि अल्मोड़ा नैनीताल या गढ़वाल और टेहरी के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कुछ किसान रहते हैं, जिनको कुछ तकलीफ वहां पर है, वहां के जमींदारों का भी कुछ थोड़ा बहुत असर उनके ऊपर है। यह आज उन्हें मालूम हो गया और यह बिल इसीलिये मैं समझता हूं कि इस सदन के सामने आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, मैं आज माननीय मंत्री जी को बधाई तो देना चाहता हूं कि कम से कम देर आयद दुरुस्त आयद का किस्सा है, कभी तो कम से कम हमारी याद आयी। फिर भी एक ऐसा बिल आज हमारे सामने रखा गया है बहुत छोटा सा जिससे कि थोड़े दिन के लिये सहूलियत तो हो सकती है लेकिन जो वहां की पुरानी समस्यायें हैं वह इस बिल से हल नहीं होतीं। माननीय मन्त्री जी को मैं जरा याद दिलाऊं कि जिस प्रकार हमारे कुमायूं के लोगों को, वहां के किसानों को इग्नोर किया गया है अगर हम लोग भी उसको महसूस करते कि हमारे साथ यह जुल्म हुआ, हमारे यहां के किसानों के साथ यह जुल्म हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, हमारा तो एक अलग प्रदेश है और हम भी मांग कर सकते थे कि हमें भी अलग कर दिया जाय उत्तर प्रदेश से। ऐसा भी हम कह सकते थे। लेकिन हम कभी इस बात को नहीं चाहते कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हो जायं।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में एक एजीटेशन चला है कि पश्चिमी जिलों को अलग कर दिया जाय। दिल्ली से मिला दिया जाय क्योंकि साहब उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। इस प्रदेश में अगर पश्चिमी जिले की मिसाल ली जाती तो हम कभी के अलग हो जाते। हम

---

*२५ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं चाहते कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हो जायं। लेकिन साथ साथ हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री जिन्हें सारे प्रदेश का कानून बनाना है उन्हें हमारे यहां के कानून का जरा भी ज्ञान न हो, हमारे यहां के किसानों के बारे में कुछ भी पता न हो। यह कितने दुख की बात है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि कुमायूं में सिर्फ पांच फीसदी किसानों की समस्या है। कुमायूं में रय्यतवाड़ी सिस्टम है। लेकिन वहां कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जमींदारों का जुल्म वहां के किसानों पर जितना कठोर है उसे कोई भी सभ्य समाज का आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता। हमारे यहां एक इलाका है। मैं दो तीन इलाकों की बातें करना चाहता हूं और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को यह पता हो जाय कि इन पहाड़ी प्रदेशों में भी इंसान रहते हैं और वहां किस तरह का कानून है, किस तरह का जुल्म हमारे गरीब किसानों के साथ और हरिजनों के साथ, जिनकी संख्या जिन किसानों पर जुल्म हो रहा है उनमें ९० फीसदी है और जिन हरिजनों के लिये इस सदन में बड़े जोरों से आवाज उठायी जाती है। अगर औरों की तरफ सरकार का ध्यान न गया होता तो कम से कम उनकी तरफ तो गया होता।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सबसे पुराने जो राजा रहते थे, उनके डिसेंडेंट्स रजवाड़े जो कि अस्कोट की पट्टियों में रहा करते थे। वहां की जमीन के अस्कोट के रजवार मालिक हैं। वहां के किसान पहले खायकर दर्ज थे। अब वह सिर्फ सिरतान दर्ज किये गये हैं। उनकी हालत यह है कि दो ढाई साल से एक एजीटेशन उस इलाके में चल रहा है। वह चाहते थे कि उनका लगान मुकर्रर कर दिया जाय और वह यहां तक तैयार थे कि पचीस रुपया फी एकड़ तक लगान मुकर्रर कर दिया जाय। १९३७ में जब वहां झगड़ा उठा तो माननीय अजितप्रसाद जैन जो कि उस वक्त पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री थे वह उस इलाके में गये और उन्होंने आपस में फैसला करवाने की कोशिश की। लेकिन १९३७ से १९५४ हो गया है। अभी तक हमारी सरकार उन किसानों का फैसला नहीं कर पायी। वहां के लोग जो कुछ पैदा करते हैं उसका कुछ हिस्सा उन जमींदारों को देना पड़ता है। हर त्यौहार पर आज भी किसानों को जमींदारों को बकरियां देनी पड़ती हैं। उसके अलावा तीन चार महीने में घी के टिन या दूध वगैरह अब भी जमींदारों के पास उन सिरतानों को ले जाना पड़ता है। वही इलाका ऐसा है जो कि तिब्बत की सीमा से मिला हुआ है। तिब्बत के लोग इधर आते हैं और इधर के लोग तिब्बत जाते हैं। वहां की हवा इधर आती है और इधर की हवा वहां जाती है। इस इलाके में किसानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसके लिये हमें बड़ा दुख है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इस पर विचार करें। हमारे यहां उन रजवार लोगों ने सिरतानों को बेदखल करने के लिये उन्हें मारा, उन्हें पीटा और उसके बाद उन्हीं पर बड़ा भारी मुकदमा चलाया गया जो कि हमारे यहां का मशहूर मुकदमा कहा जाता है। जो जज साहब थे उन्होंने फैसला दिया कि यह झूठा मुकदमा इन किसानों पर चलाया गया है। हमारे यहां पहाड़ों पर बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर जमींदारों को एक पैसा भी लगान किसानों से नहीं मिलता और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जमींदार किसानों से जितना वे पैदा करते हैं अधिया बटवा लेते हैं। तीस मन अनाज अगर किसी किसान ने पैदा किया तो पंद्रह मन जमींदार ले लेता है, यह अधिया की प्रथा पहाड़ों पर बहुत ज्यादा प्रचलित है। लगान बजाय कैश के काइंड में वसूल किया जाता है। इससे किसानों को बहुत दिक्कत होती है लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी हाल ही में इस बात की व्यवस्था की है कि अगर कोई किसान काइंड को कैश में परिणत करना चाहे तो कर सकता है। इसके लिये मुझे खुशी है।

अध्यक्ष महोदय, पहले एक सरकारी हुक्म निकला था कि किसानों को बेदखल नहीं किया जायगा लेकिन हमारे यहां कुमायूं के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने उसे नाजायज करार दे दिया और कहा कि यह हुक्म यहां लागू नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं दो तीन महीनों

के अन्दर आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जमींदारों ने सरकारी फीस लगा कर एक हजार नकलें हासिल कीं और धड़ाधड़ बेदखलियां शुरू हो गईं। जो सिंचाई का प्रबन्ध हमारे यहां शुरू हुआ है जिससे जमीन की पैदावार बढ़ गई, इस कारण से जमींदार बहुत ज्यादा इच्छुक हो गया है कि किसानों को जमीनों से जल्दी से जल्दी बेदखल कर दिया जाय। इसलिये हमारे यहां बेदखली का बाजार गर्म है और जगह जगह बेदखलियां हो रही हैं ताकि जो जमींदार हैं उनके कब्जे जमीनों पर साबित हो जायं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक दफा वह उधर चले चलते और हमारे यहां पहाड़ों का वह दौरा करते। अब वहां मोटर भी चला जाता है जिससे उनको वहां जाने में कई दिक्कत भी न होगी। जरा तिब्बत का इलाका भी वह देख आयेंगे। मानसरोवर भी देख आयेंगे। एक दफा इस इलाके में चलें तो जरा वहां के लोगों की करुण कहानी उनको सुनने को मिल जायगी और तब उनको पता चलेगा कि किस हद तक उनके साथ जुल्म होता है। जब काम्प्रिहेंसिव बिल कुमायूं का सदन के सामने आये तब वह यह न कहें कि ये थोड़े से लोग हैं जिन पर इसका असर होता है और और लोगों पर नहीं होता। उस समस्या को जानने के बाद ही माननीय मंत्री जी कुमायूं का कानून बनाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी बहुत दफा माननीय मंत्री जी को पत्र लिखे ... ...

श्री अध्यक्ष---आप माननीय उपाध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल न करें बल्कि उनका नाम इस्तेमाल कीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय हरगोविन्द पंत जी सन् ३७ से आज तक कुमायूं की कमेटीज के सदस्य हैं और वह भी बराबर लिखते लिखते थक गये लेकिन कुमायूं का कानून नहीं बना। चाहे वहां कोई सोशलिस्ट हो या कांग्रेस हो सब यही चाहते हैं कि हमारे यहां का कानून जल्दी से जल्दी बन जाय। वहां बड़े जमींदार भी नहीं होते जैसे कि इधर थे, छोटे छोटे जमींदार होते हैं। लिहाजा यह बात मानने लायक है कि यहां का जो जमींदारी विनाश कानून है वह हमारे यहां पहाड़ों पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहां बड़े बड़े जमींदार नहीं हैं। इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो छोटे जमींदार हैं वह भी रहें और अपनी जमीन पर काम कर सकें। इसके साथ साथ वह किसान लोग जो वर्षों से अपनी जमीन पर काबिज हैं और वर्षों तक जिन्होंने मेहनत करके उस खेती को अच्छा बनाया है यहां नहीं, उस खेती के पास जो दूसरी कैसरेहिन्द जमीन है उसको हर साल वह एक्सटेंड करते जाते हैं और वर्षों से उस जमीन को बढ़ाया है। तो आज जो जमींदार वहां पर जाता है वह यह कहता है कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है और उस जमीन पर वह कब्जा करना चाहता है। हमारे यहां सैटिलमेंट भी नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है कि कौन टेनेंट है, कौन खैकर है और कौन सिरतान है और कौन कितना लगान देता है और इसकी वहां पर कोई सूची नहीं है। गढ़वाल में सैटिलमेंट हुआ है तो वहां पर पता लग सकता है कि कौन टेनेंट है और कौन खैकर है। नैनीताल और अल्मोड़ा में कोई सैटिलमेंट नहीं हुआ है इस वजह से वहां पर पता लगाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन सिरतान है और कौन खैकर है। इसलिये वहां पर जब यह मालूम हुआ कि प्रदेश के अन्दर जमींदारी विनाश बनाया गया है तो उनको यह अनुमान हुआ कि वहां पर भी यह लगाया जायगा तो असामियों में और भी झगड़ा बढ़ गया है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जगह उनके देखने से संबंध रखती है। रानीखेत, अल्मोड़ा और नैनीताल तक तो मोटर की सड़क बनी हुयी है वहां पर हर एक आसानी से जा सकता है लेकिन यह जगह उससे भी आगे है वहां पर पहुंचना मुश्किल है। अगर माननीय मंत्री जी ऊपर तक जायं और उन इलाकों को देखें कि जो ऊपर की तरफ बसे हुये हैं तो वहां की दशा मालूम हो सकती है।

श्री चरण सिंह---मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं उस सड़क पर नहीं गया हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---इसीलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस सड़क पर जायं तो पता लगेगा कि वहां भी इंसान रहते हैं। यहां पर दुनिया भर के कानून पास होते हैं और उनका उद्देश्य बतलाया जाता है।

आज भी यहां पर यह कानून इस सदन में माननीय मंत्री जी ने पेश किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसके बारे में कुछ कहते। इससे यही समझा जा सकता है कि माननीय मंत्री जी को हम लोगों के बारे में ज्ञान नहीं है। यही समझकर मुझे ऐसा कहना पड़ा कि माननीय मंत्री जी देखें कि हम लोग पर्वतीय देश के रहने वाले हैं और हम लोग सिपाही हैं और बड़े बहादुर हैं। हम लोग उनमें भी नहीं हैं कि हम यह कहने लगें कि हमारा पड़ोसी तिब्बत है हम उनसे जाकर मिल जायेंगे जैसे कि हमारे पश्चिमी जिलों के भाई कुछ कहने लगे हैं कि दिल्ली हमारे करीब पड़ता है हम लोग वहां पर जाकर मिल जायेंगे। इस संबंध में माननीय मंत्री जी का न मालूम क्या विचार है क्योंकि वह भी उसी एरिया के रहने वाले हैं। हमारे पश्चिमी जिलों के भाई कहते हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूं कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ है अगर हम उसकी चर्चा करते तो हम जरूर तिब्बत से जाकर मिल जाते लेकिन हम तो यहां पर अपनी मांग रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि उसको पूरा किया जाय। इसीलिये मैं आज सदन के सामने इस बात को कह रहा हूं कि हमारी मांग पूरी हो जाय। हम लोग अलग जाने वाले नहीं हैं। आज जो हालत हमारे पहाड़ों की है वह देश के किसी कोने की नहीं है। हमारे माननीय मंत्री ने बतलाया कि भुखमरी के लिये टेस्ट वर्क बहुत से इलाकों में किया गया लेकिन जहां मेरे इलाकों का संबंध है वहां पर कोई टेस्ट वर्क नहीं हुआ है और न सरकार इस बात की कोशिश करती है कि जो वहां पर भुखमरी है उसको शीघ्रता के साथ दूर किया जाय।

श्री हरगोबिन्द पंत जी अभी इस इलाके से आये हैं वह बतला सकते हैं कि वहां की क्या दशा है और कितनी भुखमरी आज वहां पर है। बहुत से घर ऐसे हैं कि वहां पर चूल्हा भी नहीं जलता है। जिस इलाके की बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं आज तक उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है इसका मुझे बड़ा दुख है हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी कोई बिल न बनावें अभी और कह दें कि तुम्हारे लिये कोई बिल या कानून नहीं बन सकता है। लेकिन जब वह कानून बनावें तो हम उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे पर्वतीय इलाके में जावें और वहां की हालत स्वयं देखें और हम जो वहां की जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनसे सलाह लें। क्या वह उन अफसरों से पूछना चाहते हैं जो कभी भी वहां नहीं गये? हमारे इलाके के बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे इसलिए मैं अधिक न कह कर मन्त्री जी को थोड़ी सी बधाई देते हुए यह निवेदन करूंगा कि आज उनको यह सूझ तो आई कि कुमायूं के इलाके के लिए कुछ करना चाहिये। इस कानून से बेदखलियां तो रुक जावेंगी लेकिन मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने आज तक हमें इगनोर किया है ऐसा अब न करें और एक निश्चित फैसला वहां के लोगों के लिए कर दें ताकि हम उनसे कह सकें कि भाई यह फैसला हो गया है अब तुम आराम से रहो।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पर्वतीय प्रदेश के लोगों को सहायता अवश्य होगी। मैं आशा करता हूं कि वहां के लिये अग्रेरियन रिफार्म जो बहुत जरूरी है वे मंत्री जी लाने की कोशिश करेंगे। इस विषय के आधार पर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पर्वतीय इलाके में खासकर कुमायूं में कोई लैंड सेटिलमेंट अभी तक नहीं हुआ। बैकिट सैटिलमेंट १८७२ में हुआ और उसके बाद गूज सैटिलमेंट १९०३ में हुआ जिसमें मिस्टर गूज ने सिर्फ वे जगह लीं जो पहले सैटिलमेंट में नहीं आयी थीं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि १८७२ से अभी तक कोई सैटिलमेंट सिर्फ गढ़वाल के इलाके को छोड़कर वहां नहीं हुआ इसलिये यह बहुत जरूरी है कि वहां सैटिलमेंट करा लिया जाय ताकि वहां की जमीनों के रेकार्ड्स की सफाई हो जाय। वहां अभी तक कुछ ऐसा भी

होता आया है कि कोई माली या चौकीदार की हैसियत से किसी को अपनी जमीन दे देता है तो वह अपने को सिरतान समझ लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द पर्वतीय प्रदेशों की लैंड सैटिलमैंट कराया जाय और इसमें जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की बात इस बिल में रखी गई है उसे अभी स्थगित रखा जाय। क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि नान इर्रीगेटेड भूमि के विस्तार में वही कर लगाया जायगा जो कि इन नान इर्रीगेटेड भूमि में होगा या इर्रीगेटेड भूमि के विस्तार में वही कर लगाया जावेगा जो कि इर्रीगेटेड भूमि में होगा, भले ही वह इर्रीगेटेड न हो। मेरी समझ में यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की जो भूमि हो उसी प्रकार का कर भी उस पर लगाया जाना चाहिये। लेकिन अगर इर्रीगेटेड भूमि और नान इर्रीगेटेड भूमि पर एकसा टैक्स लगाया गया तो लोगों के साथ ज्यादती होगी। अतः मेरा अभिप्राय यही है कि लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का जो बिल में आयोजन किया गया है वह भूमि के अनुसार ही होना चाहिये। इस बिल में ऐसा भी कोई प्रावीजन नहीं रक्खा गया है कि हिस्सेदार के पास कम से कम कितनी भूमि होनी चाहिये ताकि उससे ज्यादा होने पर वह सरतान बेदखल न करा पाये। जैसा कि आपने जमींदारी अबालीशन में किया है कि भूमिधर के पास ३० एकड़ भूमि होनी चाहिये। इसी प्रकार से हर एक हिस्सेदार के लिये भी आपको प्रावीजन करना चाहिये कि उसके पास भी ३० एकड़ भूमि हो।

कई जगहों पर यह देखा गया है कि हिस्सेदारों के पास भूमि नहीं है और सिरतानों के पास बहुत सी भूमि है और वह उसे इजेक्ट भी नहीं करा सकता है। ऐसी हालत में जो जमीन का मालिक है उसको तकलीफ होने का अंदेशा है। कई जगह विधवायें हैं, बुढ़ियां हैं या हाई क्लास ब्राह्मण हैं जिनके यहां यही ट्रेडीशन चली आयी थी कि Sanctity of cast and religion को मानते थे। वे खुदकाश्त नहीं करते थे लेकिन अब उनकी संतानें पढ़ लिख गयी हैं और अब वे पुराने ख्याल को छोड़कर डिगनिटी आफ लेबर को महसूस करने लगी हैं लेकिन उनकी जमीन बुजुर्गों की गलती से दूसरे सिरतानों को दे दी गयी है और अब हालत यह है कि वे उनसे अपनी जमीन को निकाल भी नहीं सकते। ऐसी हालतों में बुजुर्गों की गलती से संतानों को तकलीफ होने का अंदेशा है। मेरा ख्याल है कि जो भी रूल बने वह Greatest good of the greatest number को देखकर बने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी और समृद्ध हो सकें। नहीं तो अगर एक से भूमि छीन कर दूसरे को दे दी जायगी तो उससे प्रदेश का कोई उत्थान नहीं हो सकेगा। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर किसी हिस्सेदार के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह बेशक उससे छीन कर दूसरों को दे दी जाय। लेकिन ऐसे लोगों को और जरूर ध्यान दिया जाय जिनके पास केवल १०-२० एकड़ जमीन है, जो खुद जमीन कमाना चाहता है लेकिन सिरतानों पर होने के कारण उसको एजेक्ट नहीं करा सकता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल में ऐसा प्रावीजन डालेंगे कि अगर किसी हिस्सेदार के पास ३० एकड़ से जमीन कम हो तो वह सिरतान को इजेक्ट करा सके।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान हरिजन वर्ग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा पर्वतीय प्रदेशों में हरिजन वर्ग की दुखद स्थिति है। उनके पास कोई जमीन नहीं है। वे लोग हमेशा तकलीफ में रहे हैं। उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि इन लोगों को पर्वतीय प्रदेश में कुछ जमीन दी जाय। तराई भाबर में या जंगलात में या उन सिरतानों को जो हरिजन लोग हों और सहायता deserve करते हैं उनका अवश्य ही उद्धार होना चाहिये। उनकी बहुत ही दयनीय दशा है। उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक जमींदारों का ताल्लुक है जैसा कि प्लेन्स में जमींदार और टिलर आफ दी स्वायल का संबंध है, पहाड़ों में ऐसा नहीं है। वैसे बहुत जगह आप ऐसा देखेंगे कि जो टिलर आफ दि स्वायल हैं वे तो कहीं पर रिच हैं और कहीं पर क्षेत्रपति अत्यन्त गरीब हैं। तो इन सब बातों को आपको बहुत गहराई में जाकर सोचना है और तभी आप किसी बिल को सही

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

रूप में बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही देख कर कि यह जमींदार है प्रोजुडिस नहीं हो जाना है कि यह अमीर तबका है या जो सिरतान तबका है वह गरीब है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वहां पर बहुत से हिस्सेदार हैं वे बहुत ज्यादा गरीब हैं और सिरतान कहीं अच्छी हालत में हैं। कहीं सिरतान गरीब हैं तो कहीं जमींदार सम्पन्न हालत में हैं। तो हर एक मसले पर गौर करके ही ऐसा बिल बन सकता है। "गिव दि डाग बैड नेम ऐंड हैंग हिम" अगर इस विचार धारा को लेकर आप किसी चीज को तय करते हैं कि जितने सिरतान हैं वे सब गरीब हैं और उन्हें इजेक्ट नहीं किया जायगा तो इस तरह से आप एक गलत नतीजे पर ही पहुंचेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको गहराई से देखने की जरूरत है और तभी यह बिल बनाया जाय। जैसे आस्कोट का जिक्र किया गया कि वहां के सिरतानों को बड़ी तकलीफ है और यह भी सही है कि गुजारेदारों को भी बहुत तकलीफ है। तो दोनों वर्गों की तकलीफों को देख कर ऐसा बिल बनाना चाहिये जिससे कि वहां के रहने वाले बाशिन्दों को चाहे वह जमींदार हों या सिरतान हो किसी तरह का कष्ट न हो।

प्लेन्स में रहने वालों के लिये जो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट बना उसमें यह था कि जमींदार लोग दूसरों के धन पर जीवित रहते थे। दूसरे तो परिश्रम करते थे और जमींदार लोग उनको चूसते थे। वे दूसरों की कमाई पर जीवित रहते थे लेकिन पर्वतीय प्रदेशों में कोई जमींदार वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरों के धन पर जीवित रहता हो। १०-१० नालियों के जो जमींदार हैं, आधो एकड़ जमीन भी जिसके पास नहीं है वे भी अपने को जमींदार कहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको जमींदार कह कर एक तरह से उनका मखौल उड़ाना है। अगर वहां के ऐसे छोटे-छोटे जमींदार अपनी काश्त खुद करना चाहें तो उनको इस बात का अख्तियार होना चाहिये कि वे सिरतान को इजेक्ट कर सकें। वहां की भूमि व्यवस्था तभी तय हो सकती है जब कि वहां लैंड सैटिलमेंट किया जाय और तब इस कानून को लाया जाय। अन्त में जो यह छोटा सा बिल इस भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका मैं जरूर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो दो तीन बातें मैंने बतलायी हैं उन पर वे जरूर ध्यान देंगे। खासकर हिस्सेदार अगर खुद काश्त करना चाहे तो उसके पास ३० एकड़ भूमि होनी चाहिये और अगर उसके पास कम हो तो वह सिरतान को बेदखल कर सके, इसका अख्तियार उसे होना चाहिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करने के निमित्त यहां खड़ा हुआ हूं। स्वागत इसका मैं इसलिये नहीं करता कि इसके स्वीकृत हो जाने पर कुमायूं की भूमि सम्बन्धी जो समस्या है वह हल हो जायगी। यह तो एक प्रकार से काम चलाऊ सा बिल हमारे सामने आया है और इसके द्वारा हमारी सब समस्यायें हल भी नहीं हो सकती हैं। मैं इसका स्वागत विशेष कर इस निमित्त करता हूं कि कम से कम सरकार का ध्यान हमारी भूमि समस्या की ओर गया तो है। जो प्रश्न इस वक्त जनता को बड़ा कष्ट दे रहा है यानी जो कमजोर काश्तकार लोग जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हैं उनकी रक्षा के निमित्त एक उपाय सा इसमें सोचा गया है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। कुमायूं की भूमि का जो प्रश्न है वह तो बड़ा जटिल सा हो गया है। एक तो वहां के सीधे-सादे लोग हैं और सरकार का भी ध्यान उस तरफ बहुत दिनों से नहीं गया। इसके अलावा जो कुछ नीचे देश में परिवर्तन हुआ, कुछ उसके कारण और कुछ वहां की दीनता के कारण यह प्रश्न दिन पर दिन जटिल होता गया है। इस सम्बन्ध में मैं अल्मोड़ा जिले का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं। सन् १८७२ से आज तक वहां कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है और जो लोग उस वक्त वहां भूमि के मालिक लिखे गये थे उन्हीं के नाम पर वह भूमि चली आती है लेकिन उनकी आज्ञा से जो लोग जमीन को कमाते थे या कमाते हैं उनके नाम कहीं भी दर्ज नहीं हैं वहां पर दो तरह के काश्तकार

होते हैं। एक तो वह हैं कि जिनको खायकर कहते हैं और दूसरे सिरतान। खायकर वह काश्तकार हैं जिनके नाम काग़जात में दर्ज होते हैं और जो भूमि की मालगुजारी पर २५ से ५० फी सैकड़ा तक अधिक लगान अपने हिस्सेदार को देते हैं, उनके लिए सहूलियत यह है कि उनको मनमाने तौर पर हिस्सेदार बेदखल नहीं करा सकता। दूसरे सिरतान हैं जो हिस्सेदार द्वारा हटाये जा सकते हैं। 'सिरतान' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद "टिनेन्ट्स एट बिल" है अर्थात् उनको हिस्सेदार किसी भी समय निकाल सकता है और वहां के इसी रिवाज के आधार पर कुमायूं के कमिश्नर ने फैसला दिया है कि जो जो० ओ० सरकार की तरफ से हुआ है, कि सिरतानों को बेदखल न किया जाय और वह अपनी जमीन पर कायम रहेंगे, यह ठीक नहीं है और ऐसे जो० ओ० को निकालने का सरकार को अधिकार नहीं था।

जो परिभाषा "टीनेन्ट्स एट बिल" की पहले से चली आती है और जिस तरह से उनको पहले से जब चाहे अलग किया जा सकता है ऐसा फैसला उन्होंने किया है। उस फैसले को देखते हुये अब सरकार को उनकी रक्षा की चिन्ता हुई है जो टीनेन्ट्स एट बिल हैं। जो खायकर हैं जब तक वह हिस्सेदार को मालगुजारी देता रहे उसको कोई निकाल नहीं सकता। "खायकर" के माने ही यह हैं कि जब तक वह कर देता रहे जमीन खाता रहे। उस वक्त तक वह सुरक्षित है। सिरतानों को भी, क्योंकि वहां की व्यवस्था ऐसी है और वहां की जो सादगी और ईमानदारी है उसके कारण आज तक वहां बेदखलियां बहुत कम हुई हैं, यह सौभाग्य की बात है वर्ना वहां सिरतानों का कोई रिकार्ड नहीं है और कहीं भी उनके नाम दर्ज नहीं हैं। अब यह कानून बन रहा है लेकिन उनके नाम दर्ज करना भी बड़ी कठिन बात है क्योंकि उनका कोई रिकार्ड तो है ही नहीं कि कौन सिरतान है और कौन नहीं है। अगर हिस्सेदार बेईमानी पर आ जायगा तो वह कह देगा कि भूमि पर मैं ही काबिज हूं और सिरतान कोई नहीं है और वह जो चाहे कह सकता है। इसलिये कठिनता वहां यह है कि कौन सिरतान है, कैसे उनको रिकार्ड पर लाया जाय और कैसे उनके हकूक की रक्षा की जाय। यह हमें सोचना है और इसका प्रबन्ध करना है। हमारी सरकार को भी नियमों के बनाने में इस प्रकार की दिक्कत हुई है क्योंकि वहां न कोई पुराना रिकार्ड था और न कोई जरिया ऐसा ही था कि जिससे मालूमात की जा सकें। अतः सिरतानों की संख्या मालूम करने के लिए पटवारियों को हुक्म हुआ कि वह अपने-अपने हल्कों में सिरतानों की लिस्ट बनावें और उनको इस काम के लिए ३ महीने का समय दिया गया था। वहां पर पटवारी सब कुछ होता है, वहां की पुलिस वही है वहां सब-इन्सपेक्टर वही हैं जंगलात के अधिकार भी उन्हीं को हैं और इस प्रकार के अनेक कार्य उनके सुपुर्द रहते हैं। लेकिन उनको केवल लगभग तीन महीने का ही टाइम इसलिये दिया गया कि वे इसका पता लगावें कि कितने लोग सिरतान हैं। अतः आंकड़े वहां जल्दी में तैयार किये गये हैं। सरकार का कहना है कि वहां की आबादी का सिर्फ पांच फी सैकड़ा सिरतान हैं। मैं इन आंकड़ों को सही नहीं मान सकता हूं इसलिये कि वे जल्दी में तैयार किये गये हैं। मामूली तौर पर यदि हिसाब लगाया जाय तो कमायूं के चारों जिलों की आबादी २० लाख के लगभग है और यदि काफी छूट देकर भी आंकड़े तैयार किये जायं तो भी १० फी सैकड़ा सिरतानों की संख्या माननी ही पड़ेगी और इस तरह से करीब २ लाख सिरतान वहां निकलते हैं जिनके हितों की रक्षा हमें करनी है। इन्हीं की रक्षा के लिये यह विधेयक आज सदन के सामने आया है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम लोगों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जा सकेगी। जैसा मैंने कहा कि सन् १८७२ से कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है और सिरतानों के नाम दर्ज नहीं हैं। सिर्फ लोगों की गवाहियों पर उनकी ईमानदारी पर उनके नाम घोषित हो सकते हैं। अब तक यह देखा गया है कि वह

[श्री हरगोविन्द पन्त]

को सीधी सादी जनता ऐसे मामलों में साधारणतः झूठ नहीं बोला करती है, यही हम लोगों का सौभाग्य है जिससे उनके हितों की रक्षा हो सकी है अन्यथा चाहे अच्छे से अच्छा कानून बन जाय फिर भी उनके हितों की रक्षा होना बड़ा कठिन है।

जहां एक तरफ सिरतानों को बड़ी तकलीफ है वहां मौजूदा हिस्सेदारों को भी कहीं-कहीं बड़ा कष्ट है। उनको जमींदार कहना सही भाषा का प्रयोग नहीं होगा। हिस्सेदार जो जमीन के मालिक कहलाते हैं उनमें कितनों को तकलीफ है यह भी हमें देखना है। अभी श्री उपाध्याय जी ने अस्कोट का जिक्र किया। वहां जब जब आन्दोलन इस सम्बन्ध में हुआ और भूमि समस्या को लेकर उसे सुलझाने का कोई प्रयत्न हुआ जहां तक मुझसे बन पड़ा मैं उसमें भाग लेने का प्रयत्न करता रहा। जब सरकार की ओर से श्री जैन वहां इन्क्वायरी के लिये भेजे गये थे तो मैं भी वहां मौजूद था और वहां की परिस्थिति की मैंने उनको बतलाया था। मामूली तौर पर यह हाल है कि अस्कोट से बड़े जमींदार कुमायूं में और कहीं नहीं हैं और वह भी सरकार को २५ हजार रुपये मालगुजारी देते थे। बन्दोबस्त होने पर, उस इन्क्वायरी के बाद उनकी आमदनी अब बजाय २५ हजार के ३५ हजार हो गई इसलिये कि कुछ जमीन जिनपर लगान नहीं लगता था उन पर भी लगान लग गया। इस वजह से आमदनी बढ़ी। यह सही है कि उनकी आमदनी दस हजार बढ़ी है लेकिन वहां के काश्तकारों को भी लाभ हुआ। उनकी जमीन तसफीक हो गई, लगान नकदी में ठहराया गया और बेगार तथा नाजायज वसूलियां बन्द हो गईं। वहां जो अस्कोट के रजवार हैं वे बड़े भाई हैं, जो बड़ा भाई खानदान का होता है वह रजवार कहलाता है और वह गद्दी का मालिक समझा जाता है उसके पास जमीन की मालगुजारी पहुंच जाती है परन्तु जो छोटे भाई हैं उनको गुजारेदार कहा जाता है और उनको कुछ जमीन निर्वाह के लिये दी गई है और उसमें भी वे गुजारेदार खुद काम नहीं करते बल्कि असामियों को दे देते थे। इसके लिये आन्दोलन भी हुआ और उसके बाद काश्तकारों का संगठन भी हुआ। नतीजा यह हुआ कि रजवार तो सुरक्षित हो गये उनको जो आमदनी थी वह मिलने लगी वह बढ़ भी गई लेकिन जो उनके छोटे भाई थे उनको काश्तकारों पर ही भरोसा रखना पड़ा और काश्तकारों ने उन गुजारेदारों को लगान भी देना बन्द कर दिया। आज उन गुजारेदारों की हालत बड़ी दयनीय है। इस विधेयक के द्वारा उन्हें भी कुछ न कुछ राहत तो मिलेगी क्योंकि इसमें नियम है कि जो सिरतान लगान का डिक्री हो जाने से साल भर के अन्दर लगान नहीं दे उससे भी जमीन छुटाई जा सकेगी। वहां अब तक ऐसा नियम कुछ नहीं था कि किन शर्तों पर बेदखली का दावा किया जा सकता है ऐसा कोई कानून भी नहीं था लेकिन अब इससे उन लोगों को राहत मिलेगी। उनकी हालत दयनीय है। जहां रजवार साहब बड़े जमींदार हैं वहां उपाध्याय जी को कांस्टीटुएंसी में कुछ बड़े हिस्सेदार चौकोट जोहार वगैरह में भी ऐसे हैं जो सरकार को पांच सौ या हजार रुपये तक मालगुजारी दिया करते हैं। मगर उनकी मालगुजारी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अधिकांश काश्तकार खायकर हैं और उनके अधिकार सुरक्षित ही हैं इसलिये उनको इतना कष्ट नहीं है। कुमायूं में अगर हम चाहते हैं कि भूमि का प्रबन्ध बहुत अच्छी प्रकार से किया जाय तो सबसे पहले बन्दोबस्त करने की आवश्यकता होगी जिसमें कई लाख रुपया खर्च हो जायगा। मैं नहीं समझता कि सरकार इसके लिये रुपया खर्च करने पर तैयार भी है या नहीं? जहां तक मैं समझता हूं करीब २० लाख रुपये में बन्दोबस्त हो पायेगा। सरकार को यह सोचना होगा कि जब तक बन्दोबस्त नहीं होगा तब तक अच्छे नकशे व फांट मुंतखिब वगैरह काराजात

माल और कागजात जिनमें तैयार नहीं हो सकते उन सब कागजात को तैयार कराने की नितान्त आवश्यकता है।

कुमायूं के लिये नये कानून बनाने की कोशिश की गई। सन् १९३७ से इसके लिये उद्योग किया गया, एक कुमायूं लाज कमेटी बैठी फिर एक दूसरी कमेटी बैठी और बराबर इसपर विचार होता रहा उसमें बराबर मेरा सहयोग रहा है और मेरा उनसे सम्बन्ध रहा है। उन्होंने अच्छी से अच्छी सिफारिश की थी कि किस प्रकार से यह काम किया जाय जिससे लोगों को जो कष्ट है वह दूर हो सकें परन्तु हम लोगों में अधिक अपील करने की शक्ति नहीं है और अपनी बात को मनवाने के लिये हम हल्ला नहीं कर सकते हैं इसलिये हम लोग अपने यहां के लिये अच्छी सिफारिशें होने पर भी कोई अच्छा कानून नहीं बनवा सके। इसलिये मैं समझता हूं कि हम लोग जो कुमायूं के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुये हैं वह भी दोषी हैं। लेकिन अब इस मामले को एक दिन के लिये भी टालना हमारे हित में नहीं होगा और दिन ब दिन जो प्रश्न है वह जटिल होता जायगा और अभी लोगों में जो थोड़ी बहुत सद्भावना है वह कम हो जायगी। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि ज्यादातर जिन लोगों को कष्ट होता है वह शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। उनमें संगठन की भी बहुत कमी है। इन्हीं कारणों में उनमें ज्यादातर बेदखली की चर्चा सुनाई देती है। बराबर वह लोग हेडक्वार्टर पर उखाड़ी हुई फसल लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी फसल हरी उखाड़ दी गई या हमारे रहने के मकान गिरा दिये या छीन लिये गये हैं। अब उनमें हौसला बढ़ा है लेकिन मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक पूरा भूमि सम्बन्धी कानून न बन जाय तब तक उनके कष्ट दूर नहीं हो सकते।

अब प्रश्न यह है कि कैसे उनके कष्ट दूर हो सकते हैं? अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ३० एकड़ भूमि तक लोगों के पास रखी जाय। मैं स्वयं भी हिस्सेदार हूं परन्तु मैं समझता हूं कि अगर ३० एकड़ भूमि तक हिस्सेदारों के पास रक्खी जायगी तो इसका फल यह होगा कि जो गरीब हैं उनको भूमि नहीं मिल पायेगी। दस या १५ एकड़ तक की होल्डिंग काफी होगी और ३० एकड़ की व्यवस्था मुनासिब नहीं मालूम होती है।

अब प्रश्न यह है कि इन लोगों के लिये भूमि कहां से आवे? कुछ तो अगर होल्डिंग्ज को महदूद कर दिया जावे तो जमीन निकल सकती है। दूसरे तराई-भावर के इलाके में जो १००, २०० और ५०० एकड़ की होल्डिंग्ज बड़े-बड़े लोगों को दी गई हैं उनको भी अगर महदूद कर दिया जाय यानी उनको कम कर दिया जाय तो उससे कुछ लोगों को जमीनें मिल सकती हैं। एक तीसरा जरिया और भी है जिससे मैं समझता हूं कि जमीन मिल सकती है। किसी जमाने में वहां अंग्रेज सेटिल हो गये थे और उन्होंने अपने चाय के बगीचे बना लिये थे और उन्हीं में वे अपना रोजगार किया करते थे। अब वे चले गये हैं किन्तु अपने उत्तराधिकारी रख गये हैं। सैकड़ों एकड़ भूमि उनके पास है परन्तु उसमें से एक इंच भी भूमि वे किसी को देना नहीं चाहते हैं। अगर उसकी भी कोई हद कायम हो सके तो जिन के पास जमीन नहीं है उनको भी कुछ जमीन दी जा सकती है।

शिल्पकारों को भूमि की बड़ी आवश्यकता है। बारबार यह प्रश्न उनकी ओर से उठता रहा है कि जो वन हैं उनको डीफारेस्ट करके बांटा जाय। लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि जो जो जमीन उनके लिए छांटी गई है उसमें से जितनी भूमि काश्त करने के काबिल थी उसको उन्होंने ले लिया है और ज्यादातर ऐसी जमीन है जिसमें काश्त नहीं हो सकती है। जंगलात में कितनी जमीन मिल सकेगी, यह बड़ा

[श्री हरगोविन्द पन्त]

भारी जटिल प्रश्न है। इसके अतिरिक्त जंगलात की सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि बगैर जंगलात के बारिश नहीं होती है, बगैर जंगलात के खेती का काम नहीं चल सकता है, बगैर जंगलात के इमारत की लकड़ी नहीं मिल सकती है। फिर भी अगर कुछ हो सके तो जंगलात से कुछ जमीन ले करके केवल शिल्पकारों को ही नहीं बल्कि जिसके पास भूमि न हो उसको दी जाय तो अच्छा है।

इस वक्त भूमिदान का जो प्रश्न उठा है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा वहां पर हो रही है। लेकिन जहां जमीन है ही नहीं, वहां देने वाला क्या देगा और अगर कोई देगा भी तो वह दूसरों के लिये पर्याप्त नहीं होगी।

मैं यह चाहूंगा कि कुमायूं लाज कमेटी के द्वारा या अन्य कमेटियों के द्वारा वहां के काश्तकारी कानून के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गयी हैं उनको आधार मान करके कुमायूं की भूमि समस्या को हल करने के लिये सरकार को शीघ्र से शीघ्र कदम उठाना चाहिये। इस कानून से यह होगा कि जो जबरदस्ती बेदखलियां की जा रही हैं उनकी कुछ रोकथाम हो जावे। मगर इतने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे तौर से कानून बनाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द इस ओर कदम उठायेंगे और पुरानी कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर अपने काम को बहुत जल्द आरम्भ कर देंगे और जो कुमायूं के भूमि सम्बन्धी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने की कृपा करेंगे।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, किन्तु जहांतक हमारे जिले टेहरी-गढ़वाल का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में यदि मैं यह कहूं कि माननीय मंत्री जी को पूरे तौर पर जानकारी नहीं है तो मेरे ख्याल में यह गलत नहीं है। हमारे यहां जो बन्दोबस्त हुआ था उसको लगभग ४० साल हो गये हैं। उस बन्दोबस्त में वहां के लोगों को जमीन पर कोई स्वामित्व नहीं दिया गया है वहां पहले भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व वहां के महाराज का हुआ करता था और हम भी महाराज के अधीन एक टेनेंट थे। मर्ज होने के पश्चात् जब कि वह रियासत इस प्रान्त में आ गयी तो महाराज की जगह लोकल गवर्नमेंट यानी यू० पी० गवर्नमेंट का स्थान आ गया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि हमारे यहां की भूमि समस्या को हल करने के लिये सब से पहले प्रोप्राइटरी राइट्स के बारे में तय किया जाता। यह बात सत्य है कि हमारे यहां टेहरी गढ़वाल में सिरतानों की इतनी जटिल समस्या नहीं है क्योंकि हमारे यहां सिरतान बहुत कम हैं और जो हैं भी वह उस परिभाषा में नहीं आते हैं जो परिभाषा हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने पेश की। हमारे यहां टेहरी गढ़वाल में ४५ सौ वर्ग मील कुल भूमि है और उसमें केवल २५० वर्गमील ऐसी भूमि है जिसमें खेती होती है और लगभग ५ लाख आदमी उसमें बसते हैं।

हमें तो पहले ही इस बात से बहुत दुःख है कि हमारे टेहरी गढ़वाल में जमीन है ही नहीं और उसके ऊपर जब से जंगलात महकमे का वहां कब्जा जमा तब से तो और भी अधिक भूमि की कठिनाई हो गई है। अगर हम यह समझें कि भविष्य में भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है तो गलत नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि जिन टैनेन्ट्स को बचाने के लिये सरकार ने व्यवस्था की है उनकी पोजीशन क्या है। सिरतान हमारे यहां वे होते हैं कि जो कैश या काइंड में लगान अदा करते हैं जो पिछले रेकार्ड्स दर्ज हैं, उनको उनकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है और अगर १२ साल से कोई क़ाबिज़ है तो उसको

हैरोडेटरी राइट्स प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहां सिरतान की दूसरी परिभाषा कहीं जा सकती है और वह यह है कि जो हरिजन या भूमिहीन लोग हैं उनको मौरूसीदार या खायकर अपनी जमीन आधे पर या तिहाड़ दे दिया करते हैं और वे आधी या तिहाई पैदावार मौरूसीदार को दे देते हैं और आधी वे खुद रख लेते हैं। तो उसका मतलब यह नहीं होता कि जो आधी पैदावार दे देते हैं वह किसी क़िस्म का लगान है बल्कि आधी या तिहाई पैदावार बतौर मजदूरी के मौरूसीदार उनको देते हैं। तो इस प्रकार हरिजन वगैरह के पास अपनी कोई भूमि नहीं है। दूसरी बात यह है कि हरिजन लोगों को जो जमीन वाले होते हैं अपने यहां मजदूरी के आधार पर भी रख लेते हैं और उनको इतनी जमीन देते हैं जिसके एवज में वे उनकी सेवा करते हैं। ऐसे सब लोगों को बेदखल करने का क्षेत्रपति को हक़ है जिनकी जमीनें हुआ करती हैं। तो इस बिल को लाकर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। इसके बारे में मैं फिर अर्ज करूंगा कि जब इस बिल में अमेंडमेंट लाऊंगा।

इसके अलावा जहां एक पहलू यह है वहां दूसरा पहलू भी एक और है। अक्सर ऐसे भी मौरूसीदार हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं या जिनकी फैमिली में ज्यादा आदमी नहीं हैं और खाने कमाने के लिये बाहर चले जाते हैं। उनके पास जो जमीन है वे जब घर पर नहीं रहते तो किसी दूसरे आसामी को खाने कमाने के लिये अपनी जमीन दे देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। इस बिल के जरिये से ऐसे लोग अपनी जमीन से महरूम रह जायंगे। ऐसी परिस्थिति में ऐसे बिल को लाने के पहले जनता की राय लेना आवश्यक हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है और जैसा कि माननीय पंत जी ने अभी कहा, कुमायूं डिवीजन के लिये एक कुमायूं फारेस्ट कमेटी बनी थी और उसने इस विषय में बहुत सी सिफ़ारिशें कीं। उचित तो यह होता कि इस बिल को यहां पेश करने के पेश्तर उसे कुमायूं फारेस्ट कमेटी को विचार करने के लिये दिया जाता या जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि इस विषय में विधान के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाती और उस पर विचार होता। इसलिये यह एक ऐसा पहलू है जिसमें दिक्कतें दोनों तरफ से हैं। उस पर पूरे तौर से विचार करके एक कम्प्रेहेंसिव बिल जब आयेगा तब समस्या का हल निकल सकता है।

इसके अलावा एक पहलू और है। बिल के द्वारा नयावाद एक्सटेंशन्स जितने हों वे सब रेकार्ड किये जायं और उन पर रकम नियत की जाय, उसकी व्यवस्था है। जहां तक टेहरी जिले का सम्बन्ध है, वहां पर जो रेट आफ असेसमेंट पहले से है वह एग्जारबिटेंट है। जब पिछला बन्दोबस्त वहां पर हुआ तो वहां की भूमि वहां की सिंचाई व्यवस्था और और जो बातें जमीन के लिये जरूरी हैं उन सब को देखते हुये रकम का असेसमेंट शुरू हुआ। लेकिन किसी वजह से सेटिलमेंट आफिसर को पता लगा कि वह रकम इतनी अधिक नहीं बढ़ी कि जितनी होनी चाहिये थी। इसलिये उन्होंने कहीं-कहीं दुगुनी और तिगुनी बढ़ा दिया। वह रेंट आज भी मुकर्रर है और अगर उन्हीं रेट्स के आधार पर वह रकम एक्सटेंशन्स पर लगाई जाती है तो वह एक एक्स्ट्रा बोझ है। श्रीमन्, अभी आजकल हमारे यहां एक रिवीजन सेटिलमेंट चल रहा है। मैं उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसलिये कि जिस रूप में वह हो रहा है अगर वह एक मजाक है इसमें नयावाद एक्सटेंशन जो पिछले सेटिलमेंट में हुआ है उसमें रकम दर्ज करने का हुकम तो है लेकिन नक्शे में दर्ज करने का हुक्म नहीं है। जो नक्शा पतले कागज पर बना हुआ है उसको ओरीजनल नक्शे के साथ टैग करने की बात है। मेरी समझ में नहीं आता है कि उससे कैसे ठीक तरह से पता चल सकता है कि जमीन कहां पर है। क्या वह कागज फट नहीं सकता या अलग नहीं हो सकता है और अगर ठीक भी रहे तो भी पटवारी के नक्शे में कई रिकार्ड न रहने से दिक्कतें पैदा

[श्री सत्य सिंह राणा]

हो सकती हैं। इस लिये जो मौजूदा सेटिलमेंट है वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है।

अब मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि मर्ज होने से पहले यह सेटिलमेंट टिहरी में चल रहा था उस समय अगर किसी सिरतान के पास जमीन होती थी अगर वह उस जमीन के एक्सटेंशन पर नजराना अदा कर देता था तो उसको मौरूसी राइट्स हो जाया करते थे। लेकिन इस बिल से ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस बात का इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं कि अगर कोई काबिज है और एक्सटेंशन हुआ है तो उसको क्या हक होंगे। मौरूसी राइट्स होंगे या क्या हक होंगे। यह स्पष्ट नहीं है। मैंने सदन का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित किया है और मुझे आशा है कि आप लोग इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है वह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज कुमायूं डिवीजन के किसानों की दुर्दशा की ओर दृष्टिपात किया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। वहां पर जो कुमायूं के टेनेन्ट्स के बारे में भाषण किये गये हैं, उनके संबंध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनमें बड़ी-बड़ी खामियां और कमियां हैं। कानून में जो तस्वीर टेनेंट्स की है वह मुख्तलिफ है और मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी के सामने वह तस्वीर सही रूप में पेश नहीं की गई। अगर वह वहां की हालत को अच्छी तरह से जानते होते तो यह जो कुमायूं के किसानों के संबंध में बिल तैयार किया गया है और इसमें जो छोटा सा प्रावीजन रखा गया है, वह न रखा जाता क्योंकि इससे किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है मैं समझता हूं कि अगर हमारे मंत्री महोदय के सामने इसकी सही तस्वीर होती तो बिल भी हमारे सामने सही आगया होता। मैं इतना आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का जो ध्येय और मकसद है वह बहुत ही अच्छा है। वह टेनेंट्स को राहत पहुंचाने का है।

जब कांग्रेस सरकार सन् १९३७ ई० में पहले पहल उत्तर प्रदेश में आई और कांग्रेस सरकार के हुकूमत में आने से लोगों में एक बड़ी भारी हलचल मच गई थी कि टेनेंट्स की हालत सरकार दुरुस्त करने जा रही है। उसी समय से बेदखली जारी हो गई थी और अभी तक चल रही है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। बराबर अधिकारियों से बात चीत करने के बावजूद और जिला के अधिकारियों से मश्विरा करने पर भी उनकी बेदखली अभी तक नहीं रोकी जा सकी है और जिस बेदखली और पुराने तरीके से उनको उनके मकान और खेतों से और बाप दादों की जमीन से बेदखल कर दिया गया है, उसके लिये मुझे बड़ा दुख है।

अब एक बात मैं बतलाना चाहता हूं। कुमायूं का यह जो बिल है वह केवल एक ही बात बतलाता है कि कुमायूं में वह लोग टेनेंट्स हैं जो सिरतान हैं। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि वहां टेनेंट्स कई किस्मों के हैं। एक ऐक्स-प्रोपराइटरी टेनेंट्स हैं, दूसरे वह टेनेंट्स हैं जिन्हें ओकूपेन्सी टेनेंट्स कहते हैं और तीसरे मौरूसी सिरतान हैं जो बहुत पुराने जमाने से हैं। उनमें और खायकरों में बहुत कम अंतर है। तीसरे वह टेनेंट्स थे जिन्होंने कि लीज, पट्टे पर जमीनों को लिया है और लीज परमानेंट नेचर के हैं, जोकि कई सदियों से चले आये हैं और वह कागजात में टेनेंट्स रेकार्डेड हैं। बहुत से इस प्रकार के हैं जो उन जमीनों को टेनेंट्स की हैसियत से कमाते आये हैं लेकिन किसी बन्दोबस्त में इन्सान की बेईमानी से, इंसान की नालायकी से कहीं उनका नाम कागजात में रेकार्ड नहीं किया गया। वे लोग उन जमीनों पर काबिज हैं। उनके बाप दादा के मकान और दूसरी-दूसरी जायदादें मौजूद हैं और हर इंसान इसका सबूत दे सकता है और बता सकता है कि वह लोग उन जमीनों पर काबिज हैं और उनके

हक-हकूक हिस्सेदारों के मुकाबले के हकूक हैं। मैं यह बताना चहता हूं कि जो बिल प्रस्तुत है वह केवल इतने के लिये ही है कि जो कोई सिरतान इस दौरान में बेदखल किया जा रहा है उसको रोकने के लिये एक बिल प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हिस्सेदारान के एक्स प्रोप्राइटरी टिनेंट्स जो पक्के खायकर हैं उनको किस तरह से बेदखल किया जा रहा है और किस प्रकार हिस्सेदारों ने उनको टिनेंट्स बना दिया है जबकि उनकी जमीन में हिस्सेदारों की कुछ भी खुदकाश्त नहीं है। लेकिन उनके एक्स-प्रोप्राइटरी राइट्स कितने आज हैं? जितने कि किसी हिस्सेदार के उसकी जमीन में हुआ करते हैं। उन हिस्सेदारों ने चालबाजी से, सरकारी अफसरान से मिलकर और घूसखोरी का फायदा उठाकर यह अपना फुट-होल्ड कायम कर लिया और अपने नाम पर फर्जी इन्दराज खुदकाश्त के कराये हैं। उस गांव का एक्स-प्रोप्राइटरी जो स्टेट्स था उसको खत्म करने के लिये उन गांवों के अन्दर और खुदकाश्त कागजों में हासिल कर ली गयी। वह जमीन उन हिस्सेदारों के कब्जे में नहीं आयी, उन्हीं के कब्जे में रही और उस पजेशन में कोई कमी नहीं है। सन् ३७ के उन फर्जी एंट्रीज का फायदा उठाकर हिस्सेदार उन जमीनों पर जबरदस्ती काबिज हो रहे हैं और उससे यह सबूत चाहते हैं कि जो एक्स-प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वह गलत है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की फरजी एंट्रीज का फायदा उठाकर हिस्सेदार कोई नाजायज फायदा न उठा सकें, इस तरह का कोई प्रावीजन आना चाहिये था।

दूसरे टेनेंट्स झूठे समझे जाते हैं, उनकी जमीन हिस्सेदारों को रिवर्ट होती है, जबकि कानून के अन्दर जोकि प्रावीजन आने जा रहे है उसके मुताबिक उनको इन्हैरिटेबिल हकूक होंगे, और उनको बेचने के, ट्रांसफर करने और मारगेज करने के भी राइट्स होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो राइट्स अभी भविष्य के गर्भ में हैं उनकी एक झांकी उनके सामने रखकर आप उनकी आज कब्र खोद देते हैं और जो ऐक्ट आपका बनेगा उसका कोई फायदा उनको नहीं पहुंच सकता।

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि आप बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्र सिंह रावत--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जिक्र कर रहा था कि उनकी जायदादें उन गांवों में जो कि पक्के खायकरी के हैं, वह सारी जायदादें खायकरों को चली जाती हैं और दूसरे गांवों में जो कच्चे खायकरी के हैं वहां वह जमीन हिस्सेदार को या थोकदार को वापस चली जाती है उसके भाई बन्धुओं को कोई उसका हक नहीं होता और यहां तक कि जब खायकर मर जाते हैं और उनकी बेवा औरतें होती हैं तो हिस्सेदार जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करके म्युटेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करके अपना नाम इन्दराज करा देते हैं और वह जमीन उनकी खुदकाश्त में चली जाती है। यही हालत दूसरे किसानों के साथ की जाती है। इसलिये मैं यह बताना चाहता था कि कुमायूं में टेनेंट्स को किन किन कार्यवाहियों के जरिये बेदखल किया जा रहा है। कुमायूं में ऐसा कानून है कि अगर खायकर सिरतान जमान से बेदखल किया जाता है जबरदस्ती अगर ६ माह तक किसी कानून की अदालत से फिर रेस्टोरेशन आफ पजेशन की डिग्री हासिल न कर ले तो वह हिस्सेदार की खुदकाश्त हो जाती है, हिस्सेदार आटोमेटिकली म्युटेशन प्रोसीडिंग्स चलाकर उस जमीन को अपने खुदकाश्त में दाखिल खारिज करा लेता है। इस प्रकार की और दूसरी कार्यवाहियां भी होती हैं जैसे कि जहां फर्जी खुदकाश्त हिस्सेदार ने अपने नाम दर्ज कराया है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है कि यह हमारी है। इसी प्रकार कच्चे खायकरों को वह कहते हैं कि इनके नाम पर जो कच्चे खायकर का इन्दराज है वह तो फर्जी इन्दराज है और उसके लिये जो दावा करते हैं वह सिविल कोर्ट में करते हैं ताकि वे कानून जो कि शकावट के बनाये जायं वह उनके ऊपर लागू न हों। वह सिविल कोर्ट में जाकर यह कहते हैं कि

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

खायकर के नाम यह फरजी इन्दराज बन्दोबस्त में हुआ है। यह जमीन हमारी खुदकाश्त की है लिहाजा इसको फर्जी डिक्लेयर कर दिया जाय और इसके कब्जे को डिग्री दे दी जाय। मैं समझता हूं कि कानून को और उसके मकसद को इस प्रकार से डिफीट कर दिया जाता है और टेनेंट्स को जायदादों पर हिस्सेदारों का हक आज होता चला जा रहा है।

मैं इसके साथ साथ यह बताना चाहता था कि बहुत से टेनेंट्स जैसे कि मिस्टर मदनमोहन उपाध्याय की कांस्टीटयुयेंसी में गिंकाड़ के इलाके में हैं जहां कि खायकरों ने अपने हिस्सेदारों के खिलाफ जेहाद बोल दिया है। मैं एलेक्शन के दौरान में वहां गया और मैंने देखा कि १२ साल से ऊपर का अरसा हो गया है और वह न कोई रकम हिस्सेदार को देते हैं और न उनको हिस्सेदार या थोकदार ऐडमिट करते हैं। यही किस्सा हमारे गढ़वाल में भी है और दूसरे जिलों में भी है जहां कि उनका स्टेट्स पक्के हिस्सेदार का हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो कार्यवाहियां होती हैं उनके लिये हमारे माननीय मंत्री महोदय का यह इरादा था कि वह बेदखलियां जो कि होती चली जा रही हैं और कानून की व्यवस्था जो कि भविष्य में उनके इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिये वह करने जा रहे हैं तो वह बेदखलियां रोक दी जायं। तो मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अच्छी तरह से सोच लें कि मौजूदा बिल कहां तक उनके एफर्ट में सहायक होगा, कहां तक उनके मकसद को पूरा करेगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ सिरतानों के एजेक्टमेंट के संबंध में प्राविजन किया गया है। जो कच्चे खायकर हैं, पक्के खायकर हैं और दूसरे लोगों के जिनके बड़ी तादाद में इजेक्टमेंट होते चले जा रहे हैं, उसके लिये कोई प्रावीजन इसके अन्दर नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय को गलत सुझाया गया कि कच्चे खायकरों और पक्के खायकरों को इजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि वह दीवानी की अदालत में मुकदमा ले जाते हैं। वह कहते हैं कि यह फर्जी इन्दराज है। वह सिविल कोर्ट से फर्जी इंदराज डिक्लेयर कराके डिग्री हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अक्वीजीशन हो जाता है।

मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ और प्लेन्स में यह अन्तर है कि पहाड़ में जो कैसरेहिन्द जमीन होती है उसकी मालिक स्टेट होती है। लेकिन मैदानों में जहां जमींदारों के गांव हैं वहां पर जो बेनामी जमीन है उस पर भी जमींदार का अधिकार होता है। लेकिन पहाड़ में जो कैसरेहिन्द जमीन है अगर वह किसी थोकदार के गांव में है तो उस जमीन पर एक इंच भी उसका प्रोप्राइटरी राइट नहीं है। जितनी असेस्ड रेवेन्यू है, सेटिलमेंट रेकार्ड में जो रेकार्डेड है उतनी ही पर हिस्सेदार या खायकर का हक होता है। बाकी कैसरेहिन्द जमीन स्टेट की होती है। उन जमीनों पर नवआबादी के लिये दरख्वास्तें होती हैं और वह अपनी मेहनत मजदूरी से और पहाड़ी चट्टानों को काट कर अपने खेत बनाते हैं। तब वह जमीनें रेगुलर कल्टीवेशन में आती हैं। उन जमीनों पर उनको वही स्टेट्स दिया जाता है जो स्टेट्स दरख्वास्तदेहन्दा का पहले होता है। अगर वह कच्चा खायकर था तो जमीन का वह कच्चा खायकर माना जायगा। अगर वह पक्का खायकर था तो उस जमीन पर उसका पक्का खायकर का स्टेट्स होगा। यह तो उन गरीबों की अज्ञानता का फायदा उठाया गया है जबकि उन्होंने अपने रुपये से, अपने हाथ के बल से उन चट्टानों को तोड़ कर खेत बनाये हैं तो उस जमीन पर हिस्सेदार या जमींदार का कैसे हक होता है? उसको क्यों खायकर या सिरतान रेकार्ड किया है? उसे कच्चा खायकर क्यों रेकार्ड किया जाता है मैं समझता हूं कि न्याय की दृष्टि में बहुत भारी जुर्म है, बड़ा भारी अन्याय है। वहां के किसान इस अन्याय को सदियों से सहते आये हैं। उनके पास न बुद्धि है और न इतना पैसा है कि हाई कोर्ट तक लड़ें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत से मुकदमे शिल्पकारों के अदालतों में लड़े हैं, उन शिल्पकारों के जो कि जमीन को छः छः पुश्तों से खाते चले आये हैं जो कि सैटेलमेंट रेकार्ड में सिरतानी दर्ज है। वह इतनी मजबूत है जितनी खायकरी होती है। उन बेचारों को बड़ी बुरी तरह से मारपीट कर उनकी जमीनों से इजेक्ट कर दिया

गया। उनके जानवरों को खोल कर ले गये, उनकी भेड़ बकरियों को काट कर खा गये। मैं समझता हूं कि इतना अत्याचार इस स्टेट के अन्दर कहीं भी नहीं हुआ होगा जितना मैंने अपनी आंखों से जिला गढ़वाल के अन्दर देखा है। जिसके बहुत से मुकदमे अदालतों में चले हैं और कई मुकदमे मैंने खुद लड़े हैं लेकिन बहुत कम मुकदमे अदालतों में सफल हो पाये क्योंकि सारी बस्तियां ठाकुरों और पंडितों की थीं। इन बेचारे गरीब और डिप्रेस्ड क्लास को कोई गवाह नहीं मिलते थे और मैं समझता हूं कि इंसानियत के नाते इस हाउस के हर सदस्य का फर्ज है कि शिल्पकार के खिलाफ जितनी ऐसी एक्टिविटीज हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनको कंडम करे। अगर हम सत्यता के हामी हैं और हमारे अन्दर थोड़ी भी मानवता रह गई है तो मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के शिल्पकारों के खिलाफ जो कार्यवाहियां हैं उनको तरजीह न देना चाहिये। आफिसर्स के सामने ऐसी बातें गुजरती हैं। बहुत से शिल्पकार अपनी बीबी और बच्चे लेकर डिप्टी साहब या डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट में चले जाते हैं जिनको कि हरिजन बस्तियों से निकाल कर ठाकुरों ने बाहर कर दिया। इस वक्त जो बिल बनाया गया है वह नाकाफी है जितनी बेदखलियां और जिस प्रकार की बेदखलियां इस वक्त पहाड़ों के अन्दर हो रही हैं अगर वे सच हैं और माननीय मंत्री जी के सामने उनको उपस्थित किया जाता, उनको बतलाया गया होता तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं कि हमारे माननीय मंत्री जी की हमदर्दी उन लोगों से होती जिन्होंने बेईमानी से, घूसखोरी से, जुल्म और ज्यादती से फर्जी इन्दराज अपने नाम करा लिये हैं और थोकदारी राइट्स हासिल कर लिये हैं। बिना किसी परिश्रम के, बिना कोई रुपया लगाये हुये उन्हें जो हिस्सेदारी राइट्स हासिल हो रहे हैं मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी कभी भी इसके हामी नहीं हो सकते और कभी भी उनकी हमदर्दी उनके साथ नहीं हो सकती जो अत्याचार से नाजायज तरीकों से जमीन से खाने वालों को उनकी जमीन से उनको बेदखल कर रहे हैं।

मैं निहायत अदब से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गढ़वाल के ६ लाख रहने वालों में से ४ लाख टेनेंट्स हैं और उनमें ज्यादातर शिल्पकारों की तादाद है। यही हालत अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी की है। अगर माननीय मंत्री अपना उत्तरदायित्व ठीक तरह से निभाना चाहते हैं और आप सही और सच्चा न्याय उन लोगों को देना चाहते हैं और सच्चे मानी में उन लोगों की इमदाद करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि यह जो एक तरह का इंजेक्शन है, एक तरह से नाजायज कार्यवाहियों को रोकने का बिल इस हाउस में उपस्थित है, इससे पहले कि यह बिल पास किया जाय उन नाजायज कार्यवाहियों की पहले जांच-पड़ताल कर ली जाय जिनको कि इस सदन में जिक्र किया गया है।

पहाड़ की जो टेनेंसी है उसके मुताल्लिक हमारे साथियों के दिमाग में बहुत सी गलत-फहमियां भी हैं। वहां बहुत से खायकर ऐसे हैं पक्के और कच्चे जो पुराने तीन बन्दोबस्त से उन जमीनों के मालिक थे लेकिन वे लोग अज्ञान थे। उनके पड़ोसवाले जो बुद्धिमान थे उन्होंने पट्टियों के अन्दर अपने को हिस्सेदार लिखा लिया, थोकदार लिखा लिया और जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीनें थीं अपनी बुद्धिमानी से, बेईमानी से वह बड़ी-बड़ी पट्टियों के अन्दर थोकदार हो गये। कागजात में गलत इन्दराज हो गये। इस तरह से जिन्होंने बेईमानी से, बदमाशी से, घूसखोरी से गलत इन्दराजात करा कर जमीनें हासिल की हैं क्या आप उनकी नाजायज कार्यवाहियों और अत्याचार के बदले में उनको वे जमीनें इनाम में देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन का यह फर्ज है कि वह यह देखें कि उनके साथ सही-सही न्याय किया जाय।

दूसरे मैं यह बताना चाहता हूं कि खायकरों के साथ ऐसा किया गया कि उनसे हिस्सेदारों ने कहा कि तुमको हिस्सेदार बनाया जायगा। तो उनसे दस्तूर लेकर, एक तरह से जमीन की कीमत लेकर, उनसे कहा कि तुम हिस्सेदार बन जाओगे लेकिन जब उन्होंने रजिस्ट्री की तो वे

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

बेचारे बे पढ़े लिखे लोग जिनको कुछ भी मालूम नहीं है उनको हिस्सेदार नहीं बनाया गया और खायकर ही वह लोग रह गये और टेनेंट ही रह गये। इस प्रकार से उनको खायकर टेनेंट बनाकर या अपनी खुदकाश्त की जमीन में टेनेंट रखा है। इस प्रकार के खायकर हमारे पहाड़ी प्रांत के अन्दर बहुत कम हैं जो ईमानदारी से खायकर बने हों। ज्यादातर खायकर जो कि हमारे पहाड़ी प्रांत के अन्दर है वह बेईमानी से ही बनाये गये हैं। लोगों ने उनकी अज्ञानता से फायदा उठाकर उनका नाम इस प्रकार से दर्ज करा लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पहाड़ के अन्दर इस माने में जमींदार नहीं है कि जिन्होंने बहुत बड़ी जायदाद को अपने पास काश्त करने के लिये रखा हो। वहां पर तो छोटे जमींदार ज्यादा हैं लेकिन जो छोटे लोग होते हैं उनकी करामात भी छोटी होती है और जितनी फील उनकी करामात से होती है उतनी ऊंचे लोगों की करामात से नहीं होती है और यह स्वाभाविक है कि वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। छोटा बर्तन जो होता है वह जल्दी ही गर्म हो जाता है। इस कारण मेरा यह विचार है कि उनकी कार्यवाही अधिक नाजायज, अधिक कंडेम करने के काबिल है। यह जो आप जमींदारी अबालीशन करने जा रहे हैं यह सच्चे मायने में होना चाहिये। हमारे मित्र श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट जी यह फरमाते हैं कि कम से कम १५ एकड़ जमीन तो जरूर मिलनी चाहिये जो कि हिस्सेदार, थोकदार को मिली रहे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक खुदकाश्त का प्रश्न है मेरा ख्याल है कि २, ४ ही हिस्सेदार या थोकदार ऐसे होंगे कि जिनके पास १५ एकड़ खुदकाश्त हो। तो फिर क्या आप यह समझते हैं कि जिन्होंने खुद उन जमीनों को बनाया है उनको उनसे निकालकर १५ एकड़ जमीन को पूरा कर दिया जाय जिससे उन लोगों ने जिन्होंने जमीन पर कब्जा करके बेईमानी से जो उनकी नहीं थी लेकिन जबरदस्ती उनका नाम दर्ज करवा दिया तो क्या इन लोगों को जमीन देना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों को तरजीह दी जाय यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। आज इन्सान इन्साफ चाहता है। उनके साथ इन्साफ करने के लिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम लोगों के दिमाग को ठीक रखने के लिये यहां पर उन्होंने पंखे लगवा रखे हैं ताकि हमारे दिमाग को कोई तकलीफ न हो और हम यहां पर अपना काम सही तरीके पर कर सकें। इस सब खर्चे को वह हमारी गरीब जनता बरदाश्त करती है। तो क्या यह सदन जिसके लिये हमारी जनता जिम्मेदार है और जिन्होंने हमको यहां पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा है उनकी तकलीफों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देना है और जल्दी से ही इस बिल को पास कर देना है? उनकी तकलीफों का सही हल न निकालकर जल्दी ही इस विधेयक को पास कर देना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को एक प्रवर समिति में भेजें जिससे इसके ऊपर पूरा-पूरा विचार किया जा सके। क्या उन जमीनों को सरकार के पास चला जाना चाहिये? यह बहुत गलत होगा। क्या उनकी लड़कियों, औरतों को वह जमीन नहीं मिलनी चाहिये? इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उस कानून की रक्षा के लिये जिसे वह भविष्य में बनाना चाहते हैं, उन लोगों के हितों की रक्षा के लिये जिन्होंने आज इतना भारी खर्चा उठाकर हमें यहां भेजा है इस विधेयक को अवश्य प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे। वहां से पूरी छानबीन होकर यह फिर सदन में आवे।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि कोई प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने भाषण में ही कहा है। जब तक कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं हो तब तक इसे लेना संभव नहीं होगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैं लिखकर प्रस्ताव दे दूंगा और इसे एकम्पलिश्ड फैक्ट मान लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में कुमायूं में कृषि भूमि सुधार का कार्य बड़ा दुष्कर है क्योंकि वहां की भूमि

व्यवस्था बहुत ही क्लिष्ट है। कई कमेटियां इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें उत्तर प्रदेश की सरकार को दे चुकी हैं लेकिन कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया है। आज का विधेयक केवल उसी जो० ओ० को सप्लीमेंट करता है जो सरकार ने कुछ साल पहले बेदखली रोकने के लिये निकाला था। अगर सरकार यह कहे कि बेदखली रोकने के लिये उन्होंने यह कदम उठाया है तो यह कोई नया दावा नहीं है। इसलिये सरकार मेरी निगाह से इस बिल के लिये बधाई की पात्र नहीं है। इस बिल के उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र में, यानी कुमायूं में, भूमि-सुधार करने के निमित्त एक नया अधिनियम बनाना पड़ेगा, ऐसे सुधारों को प्रचलित करने के कार्य में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सिरतानों के, जो उस क्षेत्र के किसानों का सबसे कमजोर वर्ग है और जिसके बेदखल किये जाने का भय है भौमिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और साथ ही उन इक्सटेंशनों पर, जो पिछले बन्दोबस्त से कृषक भूमि के क्षेत्र में किये गये हैं, मालगुजारी निर्धारित करने के लिये व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद सरकार को ऐसा लगता है कि कुमायूं में भूमि सुधार के लिये केवल सिरतानों को बेदखलियां रोकना ही सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करना है। आपने भी ठीक ही कहा कि सबसे बड़ा कोई कार्य अगर भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में हो सकता है तो वह पहले रेकार्ड आपरेशन्स यानी बन्दोबस्त कराना है। माननीय मंत्री जी ने एक बार कहा था कि वहां सिरतानों की संख्या केवल ५ प्रतिशत है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि उन्होंने किस आधार पर यह कहा? जहां तक अब तक की सरकारी रिपोर्ट का प्रश्न है तो अगर माननीय मंत्री जी स्टाबिल मैंबुअल की दफा ९४ देखें तो उसमें भी लिखा है—"There are no figures available for the numbers of sirtans and the area held by them in Almora and Naini Tal."

जब सिरतानों की संख्या नियत ही नहीं है, जब यह पता ही नहीं है कि कितने सिरतान किस क्षेत्र में हैं तो फिर यह कैसे बताया जा सकता है कि कौन बेदखल न हो। मुझे डर है कि अगर सरकार ने अपने रिकार्ड आपरेशन्स यह निश्चित करने के लिये नहीं किये कि सिरतान कहां और कितने हैं तो कहीं इस विधेयक के पास होने के बाद कहीं ऐसा प्रयत्न न हो कि हिस्सेदार तथा संबंधित लोग सिरतानों को बेदखल करने का प्रयत्न न करें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सिरतानों की परिभाषा क्या है। सिरतानों और खायकरों की परिभाषा आज तक निश्चित नहीं हो पायी। कुमायूं में इसकी परिभाषा कई लोगों ने कई प्रकार से की है। गैरोला साहब ने उसकी और ही तरह से परिभाषा की है, पांडेय जी ने उसकी और ही प्रकार से परिभाषा की है लेकिन आज तक यह तय नहीं हो सका कि खायकरों की ठीक परिभाषा क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि खायकरों की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो कानूनी तौर से मान ली गयी हो कि कौन पक्का खायकर है और कौन कच्चा खायकर है। माननीय मंत्री जी ने जो परिभाषा टेनेंट की बतायी है उसमें भी माननीय मंत्री जी खायकर की परिभाषा न दे सके। उसमें लिखा है "काश्तकार के अन्तर्गत सिरतान है किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं है" खायकर उसमें से ऐक्सक्लूड कर दिया गया है। आगे लिखा गया है "ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं पर जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, वही अर्थ होगा जो उनको कुमायूं में प्रवृत्त मालगुजारी अथवा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध विधि में दिया गया है। लेकिन चूंकि उसमें से खायकर को ऐक्सक्लूड कर दिया गया है अतः उसका अर्थ यही होगा कि जब तक आप इस क्लाज को नहीं उठायेंगे तब तक जितने भी कच्चे और पक्के खायकर हैं वे कानूनी ढंग से बेदखल न किये जा सकेंगे, उन लोगों के लिये बेदखली का द्वार खुल जायगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दूसरी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहना है वह सब-टेनेंट्स के बारे में है। इस विधेयक के आने के पहले ऐसे बहुत से 'सब-टेनेंट्स' थे जो कि सिरतानों के सब-टेनेंट्स या खायकरों के सब-टेनेंट्स थे, उनका क्या होने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे 'सब-टेनेंट्स' बेदखल हो रहे हैं या हो सकते हैं। क्या आप उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं। सब-टेनेंट्स के बारे में कोई भी प्रबन्ध इस विधेयक में नहीं किया गया है। खंड ३ के उपखंड (ग) में कहा गया है कि "कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अपने खातों या उनके किसी भाग को शिकमी पट्टे पर उठा दिया हो।" इससे यह मालूम होता है कि इसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पुराने शिकमी बेदखल हो जायेंगे या नहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर दोबारा गौर फरमायेंगे और बतायेंगे कि वे 'सब-टेनेंट्स' की बेदखली को वे किस प्रकार से रोकने वाले हैं।

तीसरी बात यह है कि सिरतानों की परिभाषा बहुत लम्बी चौड़ी है। टेहरी गढ़वाल और कुमायूं में उनकी परिभाषाएं अलग-अलग हैं। टेहरी गढ़वाल में सिरतान वह मनुष्य है जो सिर्ती या नक्द रकम पर पट्टा और कबूलियत द्वारा या और प्रकार से हिस्सेदार या मौरूसीदार की मर्जी पर या किसी खायकर की मर्जी पर भूमि कमाता हो।

कुमायूं डिवीजन में ४ प्रकार के सिरतान हैं। एक तो 'हेरेडेटरी' यानी मौरूसी सिरतान हैं जो सन् १८२० या लम्बे अर्से से चले आते हैं। दूसरे वे 'माडर्न' सिरतान हैं जो ऐग्रीमेंट के जरिये से, चाहे वह जबानी हो या लिखित हो, माने जाते हैं। तीसरे नामिनल सिरतान हैं जो दो प्रकार के होते हैं। उनमें एक तो वे जो किसी काम के ऐवज में जैसे कोई दर्जीगीरी करता हो या हल जोतता हो, उसको काम या सेवा की एवज में जमीन दे दी गयी हो। दूसरे किस्म के नामिनल सिरतान वे हैं जो हिस्सेदार आपस में अदलाबदली कर लेते हैं। तो अदला बदली में दूसरे हिस्सेदार की जमीन पर कोई हिस्सेदार सिरतान कमाता है तो इस प्रकार का एक सिरतान होता है। तो माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि वे सब तरह के सिरतानों की परिभाषा देते। जैसा कि माननीय पन्त जी ने बतलाया और माननीय उपाध्याय जी ने भी बतलाया कि वहां पर सिरतान शब्द कुमायूं डिवीजन में एक तरफ जो गरीब से गरीब खेतीहर हैं, जिनके पास अपनी जमीन बिल्कुल नहीं है उनके लिये भी लागू होता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई २५ रु० कमाने वाला चपरासी है जिसके पास दो नाली जमीन है, वह कहीं नौकरी करता है तो अपनी जमीन सिर्ती पर उठा देता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई हिस्सेदार है जिसके पास ५ नाली जमीन है और वह अल्मोड़े का रहने वाला है लेकिन वह सिर्ती में जमीन उठा कर, वहां से आकर स्वयं नैनीताल जिले में सिर्ती कमाता है। तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जहां सिरतानों की परिभाषा दी गयी हो। और ऐसे पेचीदे मामलों में न्याय हो सके। मैं समझता हूं कि बिना सिरतानों की परिभाषा के इस विधेयक को व्यावहारिक रूप देना मुश्किल होगा। एक तो रेकार्ड में सिरतानों का नाम दर्ज नहीं है और दूसरे उसको छोड़ते नहीं हैं तो फिर मैं समझता हूं कि यह विधेयक केवल कोरा कागज ही रह जायगा। लागू करने के बाद इसमें भारी दिक्कत होने वाली है।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इम्प्रूवमेंट के बारे में दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक के अनुसार मान लीजिये कि किसी सिरतान ने कोई इम्प्रूवमेंट किया है, किसी ने कोई मकान बना लिया है, या कोई गौशाला बना लिया है तो उनके लिये मुआविजा देने की कोई व्यवस्था विधेयक के अन्दर नहीं है। स्टैबल मैनुअल के पेज

१०२ की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सुविधायें उसे पहले से मिली हुई हैं उन्हें भी आप छीन रहे हैं।

"In Jivanand versus Prince of Bawagarh Boraram, Mr. Rose, Commissioner ruled on the 9th Dec. 1887, if the house and cow shed are in the Sirtan land....he (the land lord) must pay compensation."

इस विधेयक के जरिये इम्प्रूवमेंट के लिये कोई गुंजायश नहीं रखी गयी है। इम्प्रूवमेंट के लिये कोई कम्पेनसेशन नहीं है। कुमायूं ला-कमेटी का जो रिपोर्ट है उसने भी अपनी सिफारिश में कहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिये कम्पेनसेशन देना लाजिमी है। "एवी टिनेंट अदर दैन सिरतान शैल बी इनटाइटिल्ड ड कम्पेनसेशन इफदे मेक इम्प्रूवमेंट्स"। तो इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। इसके बाद जो मुझे कहना है वह खंड ३ के उपखंड (२) (ख) के सम्बन्ध में है। इसमें कहा गया है कि "उसने कोई ऐसा कार्य या भूल की है कि जो उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक (detrimental) है। तो यह तो जो "हानिकारक" शब्द है वह इतना व्यापक है कि इस से कोई भी बेदखल हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस हानिकारक शब्द की परिभाषा निश्चित करें कि इससे उनका क्या मतलब है।

साथ ही साथ इस विधेयक में नयाबाद जमीन के 'एक्सटेंशन' पर रेवेन्यू असेसमेंट की बात भी कही गयी है। जहां तक इस रेवेन्यू के असेसमेंट करने का सवाल है एक बात साफ हो जाना चाहिये कि आया यह रेवेन्यू असेसमेंट नयाबाद ग्रांट की जमीन पर भी होगा या नयाबाद एक्सटेंशन की जमीन पर ही होगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नया बाद ग्रांट ऐक्ट ४७ एक है और नयाबाद एक्सटेंशन अलहदा है, दोनों की परिभाषा अलग-अलग है। तो यह जो शब्द है...।

श्री चरण सिंह--आप देखें कि इसमें क्या लफ्ज लिखा है। इसमें शब्द-"एक्सटेंशन" लिखा है। फिर इसका क्या सवाल पैदा होता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--जरा पूरी बात सुन लीजिये। अगर मंत्री जी ध्यान से देखेंगे कि नयाबाद ग्रान्ट और नयाबाद एक्सटेंशन में क्या सम्बन्ध है, तो उसको देखते हुये वह एक ही नतीजे पर पहुंचेगें कि किसी भी प्रकार से जब तक वहां को बढ़ाई गई जमीन का रिकार्ड नहीं है तब तक वहां का असेसमेंट नहीं हो सकता। नैनीताल जिले में पंचसाला रिकार्ड पटवारी रखता है लेकिन अल्मोड़ा और गढ़वाल में कोई रिकार्ड नहीं है। मंत्री जी तो बगैर पूरी बात सुने हुए ही उत्तेजित हो गये। टेहरी में भले ही कोई रिकार्ड हों लेकिन अल्मोड़ा और गढ़वाल में कोई रिकार्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो प्राविजन यहां मंत्री जी ने रखा है वह अल्मोड़ा और गढ़वाल के लिए बेकार है।

बेदखल काश्तकार को फिर से कब्जा दिलाने की जो व्यवस्था की है कि "यदि कोई व्यक्ति किसी काश्तकार के कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में दंडनीय अनाधिकार प्रवेश के अपराध में दोषी सिद्ध हो और न्यायालय को यह प्रतीत हो कि काश्तकार इस प्रकार उक्त भूमि से बेदखल हो गया है, तो न्यायालय यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय या दोष सिद्धि के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय।" तो यह जो २ महीने की अवधि है वह बहुत कम है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां डाकखानों की कमी है, जहां यातायात के साधन नहीं हैं, लोग अनपढ़ हैं और इसी तरह की उन लोगों की अन्यान्य दिक्कतें हैं, उनको देखते हुए यह दो मास की अवधि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बहुत ही कम है। यदि एक वर्ष की अवधि रखी जाय तो ठीक होगा और अगर एक वर्ष की न हो तो कम से कम ६ मास की अवधि तो अवश्य रखनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ लैन्ड-होल्डर की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। आखिर इस क्षेत्रपति की व्याख्या क्या है। मैंने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन इस विधेयक में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि लैंड होल्डर केवल हिस्सेदार है या उसकी परिभाषा में पक्का खायकर भी आता है या सिरतान भी है जहां उस सिरतान का भी उप-सिरतान है यानी 'टेनेन्ट' का भी 'सबटेनेंट' है यह कुछ स्पष्ट नहीं है। जब तक लैंड होल्डर जिसका अनुवाद क्षेत्रपति किया गया है, उसकी परिभाषा साफ न हो तब तक यह विधेयक एक तरह से बेकार है। किसी पुराने मैनुअल में भी यह परिभाषा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस हालत में माननीय मंत्री जी को अपने इस बिल को वापस लेना पड़ेगा वर्ना अगर इस हालत में यह पास हो गया तो यह सचिवालय की लायब्रेरी के शो रूम में रखने की पुस्तक ही रह जायगी। वहां पर आज कल कहीं-कहीं तरीका यह है कि बड़ा हिस्सेदार सीधे बेदखली नहीं करता क्योंकि जमींन सिरतान के नाम तो कहीं काग़जात में दर्ज नहीं है। होता यह है कि वह किसी दूसरे हिस्सेदार को जमीन बेच देते हैं, उसके नाम में रजिस्ट्री करा देते हैं और सिरतान को पता भी नहीं चलता और नतीजा यह होता है कि उस के लिए एक बदकिस्मती की सुबह आती है और सिरतान के पास वह नये खरीदार साहब पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस जमीन पर मेरा कब्जा होगा, यह अदालत की मोहर है, यह रजिस्ट्री है पूरी लिखत पढ़त है अब मैं इस जमींन को जोतूंगा आदि। न उसकी पटवारी ही कोई मदद कर सकता है क्योंकि उनका कोई रिकार्ड नहीं है। ऐसी हालत में सिरतानों के साथ जो ऐसा व्यवहार हो रहा है उससे उनको बचाने के लिए मंत्री जी के पास क्या व्यवस्था है? तो यह अजीब चों चों का मुरब्बा है जो समझ में नहीं आता कि किस आदमी की क्या पोजीशन है। फिर इस परिभाषा को स्पष्ट करने की एक आवश्यकता और भी है। साझी और सिरतान में फर्क है, ठेकेदार और सिरतान में फर्क है। जब तक हम सिरतान की परिभाषा नहीं करेंगे इसमें साझी भी आ जायेंगे और ठेकेदार भी आयेंगे। मैंने इसमें बार एसोशियेशन नैनीताल से राय ली तो उन्होंने कहा कि इसमें तो ऐसी आवश्यकता है कि जब कोई भी बेदखली रोकने वाला कानून बने उसमें हर शब्द की परिभाषा होनी चाहिये और हर शब्द को निश्चित कर देना चाहिये? ठेकेदार क्या है? साझी क्या है? हिस्सेदार क्या है, कच्चा खायकर क्या है और पक्का खायकर क्या है? सिरतान क्या है? यह सब बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये तभी कोई विधेयक बनाना चाहिये और जब तक यह नहीं होगा तब तक एक-एक शब्द के दस-दस माने लगाये जायेंगे और कोई भी अर्थ ठीक नहीं बैठ सकता। फिर इसके साथ ही साथ जहां पर माननीय मंत्री जी ने होल्डिंग की बात कही है कोई काश्तकार अपने खाते से या उसके किसी भाग से, सिवाय किसी सक्षम न्यायलय की आज्ञा के, बेदखल नहीं किया जायेगा। उसमें कम से कम सिरतानों के बारे में एक बात भूल गये। स्टावेल्स मैनुअल के पेज १०४ की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं उसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है:

"There can be no question regarding succession, since the tenure is not heritable, unless the landlord chooses to continue, the son or other heir of a deceased *sirtan* in possession of the holding."

यानी अगर सिरतान की मृत्यु हो गई तो सक्सेशन का उसको अधिकार नहीं है और वह बेदखल हो गया तो क्या होगा। सक्सेशन के बारे में माननीय मंत्री जी की क्या राय है? सिरतान की मृत्यु होने पर क्या उसको बेदखल होने से उन्होंने

रोक दिया? पुराने विधान के अनुसार तो सक्सेशन को नहीं रखा हुआ था और उसके अनुसार सिरतान के मरने पर उसका उत्तराधिकारी आटोमेटिकली अपने आप बेदखल हो जाता है। यह वास्तव में हिस्सेदारों की ईमानदारी और सच्चाई पर हो रहा है कि सिरतान के मरने पर उसके बाल बच्चों को सिरतान मानता चला गया लेकिन वह लैंडलार्ड के ऊपर छोड़ दिया था लेकिन अगर लैंडलार्ड न चाहे तो सिरतान के मरते ही उसका उत्तराधिकारी बेदखल हो जायगा।

इसके अलावा मैं 'कुमायूं लाज कमेटी' की रिपोर्ट से पढ़ना चाहता हूं जहां पर स्पष्ट कहा गया है कि खायकर लोगों को भी इस बात की आवश्यकता है कि उनको सिक्यो-रिटी आफ टिन्योर दिया जाय। कुमायूं लाज कमेटी की रिपोर्ट के पेज ७ पर कहा गया है :—

"The Committee is of opinion that *pucca khaikar* should always remain a *pucca khaikar* even if the landlord obtains cultivating possession or entry of his name as a cultivating proprietor or interferes with the letting or holding of land in the village."

इस रिपोर्ट के अनुसार भी माननीय चन्द्र सिंह जी रावत ने कहा कि खायकरों के 'प्रोप्राइटरी राइट्स' भी खतरे में हो सकते हैं। स्टावल्स मैनुअल के अनुसार भी अगर कोई हिस्सेदार ६ महीने तक किसी भी तरीके से किसी खायकर को उसके जमीन से उसको वंचित करके ६ महीने हिस्सेदार अपने कब्जे में रखता है तो हिस्सेदार का कब्जा उस पर हो जाता है। तो जो कुछ मैंने कहा है उसका अर्थ यह है कि आप को काश्तकार की परिभाषा निश्चित करनी होगी, सिरतान की परिभाषा निश्चित करनी होगी, कच्चे खायकर की परिभाषा निश्चित करनी होगी, पक्के खायकर की परिभाषा निश्चित करनी होगी और सब टेनेंट्स को भी बेदखल करने से बचाना होगा। आपको सिरतान की मृत्यु के बाद के सक्सेशन के सवाल को भी तय करना होगा और यह भी कहना होगा कि अगर सिरतान के सक्सेसर्स भी आयेंगे तो वह भी बेदखल नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ आप को लैंड होल्डर की परिभाषा भी करनी पड़ेगी कि वह क्या है और कौन-कौन क्षेत्रपति उसकी सीमा के अन्दर आते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि सिरतानों के माने में खायकर भी क्षेत्रपति है इसलिये लैंडहोल्डर की परिभाषा अवश्य करनी होगी। अभी यह विधेयक सम्पूर्ण विधेयक नहीं है, यह पूरा भूमि सुधार विधेयक नहीं है फिर भी यह कोरा विधेयक ही रह जायगा। जहां तक मुख्य भूमि सुधार विधेयक का सम्बन्ध है मेरी मांग है कि अब कुमायूं लाज कमेटी की रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है। उस समय सन् १९३९ ई० में जब कुमायूं लाज कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस समय के हालात के अनुसार कुछ सही रिपोर्ट हो सकती थी। लेकिन अब वह पुरानी हो गई है। मेरा विचार यह है कि हमें सभी कुमायूं के विद्वानों जो कि वहां की भूमि व्यवस्था से परिचित हैं की राय की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये मेरी यह मांग है कि सरकार एक ओर अविलम्ब कुमायूं में रिकर्ड आपरेशन्स कराये और दूसरी तरफ अविलम्ब एक कमेटी मुकर्रर करे जिसमें इस विधान सभा के सदस्य हों जो कुमायूं डिवीजन के रहने वाले हों और वह वहां की भूमि व्यवस्था और वहां के कानून के अन्य जानने वाले व्यक्ति भी हों। वह कमेटी तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और फिर अगले तीन महीनों के अन्दर सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर एक क्रान्तिकारी भूमि सुधार बिल इस सदन में पेश करे। मैं समझता हूं कि अगर ६ महीने इस तरह से कमेटी की रिपोर्ट आने में और इस सदन में बिल आने में लग जाय तो भी कोई देर नहीं होगी और समझ बूझ कर बड़ी होशियारी से सारी हालत को देखते हुये एक उचित कार्य हो सकेगा। वर्ना आज तक जो वहां ढीला ढाला मामला चलता आया है और कुमायूं में भूमि संबंधी जो अराजकता फैली हुई है वह

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जारी रहेगी और उसका नतीजा जो होगा वह मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष---श्री चन्द्र सिंह रावत अपना संशोधन नियम पूर्वक पेश कर दें। भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं भूमि कृषि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ सयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो नाम माननीय सदस्य बाद को दे सकेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय राजस्व मत्री महोदय ने कुमायूं के सम्बन्ध में रक्खा है उसके विषय में बहुत से विचार यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दो बातें हैं। दो बातों के आधार पर माननीय राजस्व मंत्री ने विधेयक इस सदन के सामने रक्खा है। पहली बात जो मंत्री महोदय ने कही वह सिरतानों को बेदखली से रोकने के सम्बन्ध में है और दूसरी बात जो माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने कही वह यह है कि एक्सटेंशन पर मालगुजारी निर्धारित करें। जहां तक मालगुजारी निर्धारित करने का सवाल है, कुमायूं नयाबाद ऐक्ट के अनुसार जो एक्सटेंशन पहले हुआ और जो बराबर ५ साल से हो रहा है उसमें मालगुजारी निर्धारित करना वहां के किसानों के नहीं, राज्य के हित में है और राज्य के हित को देखते हुये मालगुजारी बढ़ाने के उद्देश्य से उसको रक्खा गया है। उससे वहां के किसानों को कोई खास लाभ नहीं होता है, राज्य को लाभ होता है। वहां पर जो भी काश्तकार हैं उनके लिये जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि सब से कमजोर जो सेक्शन वहां पर टेनेट्स का है उसको इजेक्टमेंट से बचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है, लेकिन जैसा कि अभी यहां पर इस सदन के सामने बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये कि आज से नहीं बल्कि १८ वीं शताब्दी से कुमायूं के अन्दर एक यूनीफाइड टेनेंसी की मांग बराबर है और सन् ३७ में जब कि पहले पहल कांग्रेस सरकार आयी उस समय एक कमेटी भी बनी और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जैसा कि अभी माननीय नारायणदत्त जी ने कहा उस कमेटी ने जो अपनी बहुत सी फाईंडिग्स दे रखी हैं वह आउट आफ डेट हो गयी हैं। क्योंकि वह १४ वर्ष पुरानी हो गयी हैं। उसमें जो रेकमेंडेशन्स हैं हमने उनको देखा, वह इतनी आउट आफ डेट हैं कि वह १४ वर्ष ही नहीं बल्कि सौ वर्ष पुरानी प्रतीत होती हैं।

मैंने स्टावेल मैनुअल को देखा। वह कुमायूं के लिये अथारिटी मानी जाती है और उन्होंने काफी मेहनत उसको लिखने में की है। उसमें उन्होंने साफ कहा है उसको यदि मैं माननीय राजस्व मत्री जी की जानकारी के लिये पढ़ दूं तो वह बहुत प्रासंगिक नहीं होगा। उन्होंने लिखा है कि वहां कुमायूं में प्रत्येक जिले में अलग-अलग कस्टम्स हैं और प्रत्येक जिले में ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव के अन्दर अलग-अलग कस्टम्स हैं और उनको यूनीफाइड करना एक साधारण काम नहीं है। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि वे यह चाहते हैं कि वे एक यूनीफाइड ला बनावें, इसलिये--जब तब वह ला आता है तब तक जिनके पास चाहे जिस सूरत में जमीन है, वह उनके पाजेस्शन में रहे और इजेक्टमेंट न हो। जो कुमायूं नयाबाद ऐक्ट सन् ४८ में बना उसके मुताबिक जो रकम लेने की बात है वह ठीक है और जितना

लोगों ने वहां पर एक्सटेंशन किया, उसको लीगेलाइज करके अगर रकम ले ली जाय, तो उसमें कोई उज्र की बात नहीं है। लेकिन आवश्यकता यह थी कि जिनके कब्जे में जमीन है चाहे वह किसी हैसियत से हो, चाहे वह हिस्सेदार हों, चाहे पक्के खायकर हों, चाहे कच्चे खायकर हों, चाहे वह किसी किस्म के सिरतान हों जैसे कि अलग-अलग गांवों में अलग-अलग किस्म के सिरतान हैं लेकिन उनकी पोजीशन स्टेट्स के बनी रहे स्टावेल साहब ने अपनी मैनुअल में पेज ५ पर अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है :

"Officers coming to Kumaun for the first without previous knowledge of the hill districts find themselves very much at sea in the novel conditions of their work. Associations and anologies drawn from customs in the plains combined with ignorance of the local peculiarities to lead them astray and their early mistakes in turn are utilized by litigants to mislead their successors."

वहां गांवों के अन्दर हम देखते हैं कि गांवों में काफी रकबा पंचायती भूमि होती है, पंचों की जमीन होती है और जिन लोगों के पास भूमि नहीं है जिनमें शैडयूल्ड कास्ट के लोग अधिक हैं उनके पास वह पंच संचायती भूमि है। लैंड रिकार्ड्स के अन्दर वह पंचायती जमीन दर्ज है। जिसके कब्जे में वह जमीन है उनका नाम दर्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज तक जो पंच संचायती भूमि पर निर्भर थे उनको इस कानून के पास होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वह सिरतान नहीं माने जायेंगे। इसलिये आपने जो सिरतान की परिभाषा दी है हमने यह देखने की कोशिश की कि सिरतान कौन हैं, जहां तक हमने देखा है कुमायूं नयाबाद वेस्ट लैंड ऐक्ट, १९४८ के अधीन बने रूल में यह लिखा है :

"Khaiker" means a person recorded as such in the revenue papers."

और गढ़वाल के अन्दर खायकर प्रायः इस तरह से दर्ज भी हैं। लेकिन जहां तक सिरतान का प्रश्न आता है वह कुमायूं नयाबाद ऐंड वेस्ट लैंड ऐक्ट, १९४८ के रूल्स के अन्दर आता है, ला के अन्दर वह भी नहीं। उसमें क्लाज ४ में यह लिखा है:

"Sirtan" means a tenant recognized as sirtan by the Kumaon Customary Law."

इसका मतलब यह है कि कस्टमरी ला से जो रेकग्नाइज्ड सिरतान हैं वे ही सिरतान में माने जायेंगे। लेकिन आपने जो विधेयक पेश किया है उसमें टेनेन्ट में आपने एक मात्र सिरतान को ही माना है। तो सिरतान को जब आप मानते हैं तो कस्टमरी ला के मुताबिक आप उसको सिरतान मानेंगे। वहां पर आधे से अधिक जमीन जो गांव पंचायत या पंच संचायती है उसी के ऊपर भूमिहीन लोग जीवित हैं। लेकिन जब यह नियम लागू हो जायगा तो उस समय वह जमीन उन लोगों से निकाल ली जायगी और आपका कानून उनको किसी प्रकार से बचा नहीं सकता। एक समस्या यह है। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि खायकर जो किसी भी हालत में रेजेक्ट किया जाता है, चाहे वह इश्यूलेस हों, चाहे एयरलेस हो, अगर वह रेजेक्ट हो जाता है तो इस कानून से कोई विशेष लाभ नहीं होता है और इससे वहां की समस्या हल नहीं होती है। इसी के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि जैसा वहां पर कानून है कि अगर कोई कच्चे खायकरों का गांव है और एक्सटेंशन करता है तो उसका राइट जो है, जैसा कि माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने कहा है, फिर भी वह खायकर ही माना जायगा और फुल राइट्स के स्टेट्स पर नहीं आयेगा जबकि वह पूरी मेहनत करेगा और पैसा खर्च करेगा।

इसके अलावा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अन्दर आता है और जिसका स्टावेल साहब ने भी जिक्र किया है कि जो तिब्बत की सरहद पर रहते हैं उनको कोई इस विधेयक से

[श्री गंगाधर मैठाणी]

लाभ नहीं पहुंचता है। हम देखते हैं कि नीती जो सरहद पर आखिरी गांव है वहां से लेकर कोटद्वारे तक वे सिरतान दर्ज नहीं हैं लेकिन बराबर ६ महीने के लिये आते हैं और डेरा डालते हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है जैसा कि स्टावेल साहब ने भी कहा है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की जानकारी के लिये उसे पढ़ देना चाहता हूं। वह लिखते हैं :

"They are a non-agricultural people and their wealth consists of the flocks of sheep and goats for trading with Tibet."

यद्यपि अब उनका ट्रेड तिब्बत से बहुत कुछ कम हो गया है लेकिन अब भी वे जो भेड़ बकरियां लाते हैं, उनके राइट्स कहीं रेकार्डेड नहीं हैं इस कारण से उनको ऐसी दिक्कत हो गई है कि सरहद से लेकर कोटद्वारे तक रास्ते में उनको भेड़ बकरियों को चराने के लिये या उनके रहने का कोई अधिकार नहीं होता है और जिस ग्राम सभा के अन्दर वह जाते हैं वहां उन्हें एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता है जिसके कारण उनकी दयनीय दशा और भी बिगड़ती जाती है। आज तो आवश्यकता इस बात की थी कि जिन लोगों के पास जमीन है उनको इजेक्टमेंट से रोका जाय। यह आवश्यकता नहीं थी कि टैनेंट्स की क्वालिफिकेशन्स देखी जायं कि खायकर है या सिरतान है। जैसा कि सिरतान के संबंध में अभी मैंने बतलाया कि उसकी कहीं कोई डेफिनीशन नहीं है। वह लोकल कस्टम्स में है। गांवों के अन्दर जितनी जमीन है वहां पर इस कानून के पास होने से जो लैंडलैस लोग हैं उनकी समस्या और अधिक बढ़ जायगी, सुलझेगी नहीं। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये इसमें कुछ परिवर्तन लायें और जिससे स्टेटस को कब्जे के आधार पर मेन्टेन किया जाय, जिससे लिटीगेशन न बढ़े क्योंकि किसी को दीवानी अदालत में जाने से आपका कानून नहीं रोक सकता है और न किसी को रोका जा सकता है और जब यह दीवानी अदालत में जायेंगे तो जो लोग सिरतान हैं जिनके पास जमीनें हैं वह भी बरबाद हो जायेंगे। जब तक आप दूसरा विधेयक लायेंगे तब तक वहां के लोगों की हालत बहुत ही खराब हो जायगी और लिटीगेशन बहुत ज्यादा हो जायेंगे और लोग बरबाद होंगे और इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह सोचें और देखें कि वहां की कुछ वास्तविक समस्यायें हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा वगैरा में अलग-अलग समस्यायें हैं। गढ़वाल में तीन सैटिलमेंट्स हुये हैं लेकिन फिर भी लोगों का नाम लैन्ड रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया है। जैसे कई थोकदारी गांव ह वहां का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि गांव में बहुत से लोग सात पीढ़ी से जमीन पर काबिज हैं लेकिन कहीं भी सिरतान या कच्चे खायकर वगैरा में उनका कब्जा लैंड रिकार्ड में जायज नहीं है। उनको आप कैसे मानेंगे जब कि लोकल कस्टम्स के अन्दर एक नहीं बल्कि दो दो और तीन बार सैटिलमेंट हुये हैं लेकिन फिर भी वह अभी तक थोकदारों की दया पर ही निर्भर करते हैं। इस विधेयक से उनकी समस्याएं हल नहीं हो पायेंगी। उनमें से खासकर हरिजन लोग हैं। वह राजस्व मंत्री सोचें और उनकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करें।

*श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है और आपने जो मुझे अवसर दिया इस पर विचार प्रगट करने के लिये उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि प्रथम बार कुमायूं के सिरतानों को एक वैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार दिया गया है, एक नया इतिहास, एक नई तवारीख कुमायूं के किसानों के लिये लिखी जा रही है। बहुत सी बातें इस विधेयक के संबंध में कहीं गईं। लेकिन बहुत से हमारे भाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो इस विधेयक पर बोले वह इस बात को भूल गये कि जो विधेयक उनके सम्मुख है वह किन्हीं कारणों से इतनी जल्दी से सदन के सामने लाया गया है।

पहले शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट के मातहत सिरतानों की बेदखली को रोका गया था। वह सन् १९३९ से लेकर ५३ या ५४ तक कारगर रहा। हाल ही में कमिश्नर कुमायूं ने जो फैसला किया है कि इस डिस्ट्रिक्ट शिडयूल ऐक्ट के यह कवायद अब यहां लागू नहीं हो सकते हैं और इस फैसले का लाभ वहां के हिस्सेदारों ने उठाया और सिरतानों की बेदखली करना शुरू कर दिया। यह विधेयक सदन के सामने केवल इसी लिए विशेष परिस्थिति में जो कुमायूं के कमिश्नर के फैसले से पैदा हो गई है उसकी वजह से जल्दी में लाया गया है। राजस्व मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि कुमायूं के काश्तकारों के संबंध में बहुत जल्दी एक सम्पूर्ण और काफी सोच विचार के बाद एक बिल लाया जा रहा है। मैं यह मानूंगा और राजस्व मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, जो यह वर्तमान छोटा सा विधेयक जिससे सिरतानों को कुछ अधिकार केवल उनको बेदखली रोकने के लिये दिये गये हैं, उसको अगर किसी नुक्तेनिगाह से देखें, इसी दृष्टि से देखें कि वह एक ऐसा कानून है जो आखिर में कानून बन जाने वाला है। तब तो हम उसमें बहुत सी कमियां और खराबियां पायेंगे, लेकिन अगर हम इसकी आधारशिला में यह भी देखें कि यह केवल अन्तःकालीन समस्या को हल करने के लिये पेश किया जा रहा है और सम्पूर्ण विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने वाला है, तब मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार इतने अधिक विस्तृत रूप में उसको देखना और विस्तार रूप से उसके पैमाने पर नापना हमारे लिये उचित नहीं होगा।

अभी ठाकुर चन्द्र सिंह जी ने एक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा कि यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति के पास पेश करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यदि यह मुमकिन है राजस्वमंत्री जी के लिये कि इसी सत्र में संयुक्त प्रवर समिति बैठ सकती हो और स्वीकार कर सकती हो तब तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर उसके माने यह हों कि इस सत्र के बाद हम कहीं जुलाई अगस्त में मिलें और तब कहीं वह सदन के सामने पेश हो, तब तो मैं यह कहूंगा कि माननीय चन्द्र सिंह जी की जो एक नेक राय है और जो किसानों के हक में उससे वह किसानों को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। इससे तो सैकड़ों और हजारों किसान इस बीच में बेदखल हो चुकेंगे और जब एक बार उनका खेत से कब्जा हट जायगा तो उनके लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा कि वह साबित कर सकें कि वह ६ महीने पहले उन जमीनों पर काबिज थे और सिरतान थे। तो मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत कुछ खामियां एक संयुक्त प्रवर समिति में दूर हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पेश हो और इसी सत्र में पेश हो।

इसी के साथ साथ मैं इस विधेयक की दो तीन विशेष खूबियां हैं वह भी सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहली बात जो मैंने अभी अर्ज की वह तो यह है कि इन सिरतानों का कोई कानूनी हक, कोई कानूनी स्टेटस जिसे कहते हैं, वह आज तक कुमायूं में नहीं था। आज प्रथम बार यह चीज उनको दी गयी। दूसरी चीज इस विधेयक द्वारा यह भी कोशिश की गयी कि सिरतान को इस बात की भी सुविधा दी गयी कि वह चाहे अपना नकदी में लगान वसूल करे या किस्तवार लगान वसूल करे। तीसरी बात, जिसका कि काफी इशारा किया गया वह यह कि जो एक्सटेंशन्स हैं, जिनकी वहां की एक दर निकल गयी है जिसको मुत्सिली जमीन कहते हैं उन पर और लगान लिया जायगा और वह लगान लेने के बाद एक बहुत बड़ा डर यह पैदा होता है कि कहीं यह इस बात का आधार न बन जाय कि यहां पर बन्दोबस्त ही न हो, क्योंकि ऐसी मुत्सिली जमीन कुमायूं में है। सन् १८७२ में जो हेकर साहब के सेटिलमेंट हमारे सामने हुये, ३० वर्ष बाद दूसरे सैटिलमेंट हो गये, लेकिन सरकार ने भी कहा कि कुमायूं की जमीन से कोई आमदनी नहीं है और बन्दोबस्त में बड़ा रुपया खर्च होता है। तो सन् १९०२ में यह प्रस्ताव हुआ कि सारी जमीन पर सेटिलमेंट की जरूरत नहीं, नयाबाद में हो जाय। तो सन् १९०२ से १९५४ तक कोई बन्दोबस्त ही नहीं हुआ। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आज जो नयाबाद जमीन पर जो मुत्सिली

[श्री भूपाल सिंह खाती]

जमीन पर सैटिलमेंट लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है तो कहीं यह न किया जाय कि कोई बन्दोबस्त ही न हो। यह जरूर है कि वहां खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन मुश्तरका परिवार में जब हम उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं तो जो हमारा मुश्तरका परिवार है उसमें कोई सदस्य कम कमाता है, कोई ज्यादा खाता है, तो यह क्यों समझा जाय कि वहां के सेटिलमेंट का खर्चा वहीं की जमीन से वसूल हो? जबकि कई मदों में सरकार सारे स्टेट के बजट से बहुत सा ऐसा रुपया खर्च करती है। कुमायूं में कोई आमदनी नहीं है, लेकिन सैटिलमेंट न होने की वजह से जमीन में इतनी गड़बड़ है कि जो बगैर सैटिलमेंट के दूर नहीं की जा सकती है। तो मैं यह अर्ज करूंगा राजस्व मंत्री जी से कि वहां पर जल्द से जल्द सैटिलमेंट हो और वह सैटिलमेंट केवल लगान लगाने तक सीमित न रहे बल्कि एक सम्पूर्ण सैटिलमेंट हो, ताकि वहां पर एक नयी सूरत जोकि आज पैदा हो गई है, उसमें जो करीब करीब ८० वर्ष पहले नकशे बने थे, उन नकशों से तो किसी प्रकार काम नहीं चल सकता, नयी सूरतों में नये बनाने चाहिये और नये हकूक जो कि अब मुहय्या हो गये हैं वहां के किसानों को, वह उनके दर्ज होने चाहिये। मैं अधिक न कहकर क्योंकि इस संबंध में काफी प्रकाश डाला जा चुका है यह आशा रखूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस विधेयक के उद्देश्यों में जो आश्वासन दिया है कि कुमायूं काश्तकारी कानून शीघ्रातिशीघ्र इस सदन के सम्मुख लाया जायगा, वह अपने उस कथन को यथासमय पूर्ण करेंगे।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को जो कि एक नया बहुत समय के बाद इस सदन में आया है और जिसका कि उद्देश्य बेदखली रोकने का और उन गरीबों की रक्षा करने का है, स्वागत करता हूं और अपने माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की बहुत काल से आवश्यकता थी और वह यों थी कि इस राज्य से, इस जनतंत्र राज्य से हमारे राज्य को फायदा हुआ। कृषि सुधार और सिंचाई तथा अन्य कार्यक्रमों से भी काफी फायदा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ कुमायूं के सिरतान जो हैं उनको नुकसान हुआ। उनको यों नुकसान हुआ कि एक तरफ तो जमीन की तरक्की हुई और दूसरी तरफ वह बेदखल हो गये। कुछ समय पेश्तर ऐसी घोषणा हुई थी कि यह बेदखली नहीं होगी, बेदखली रुक जायगी, जब यह घोषणा हुई तो वह सजग हो गये कि कहीं सरकार कोई ऐसा कानून न बना दे और फिर यह हाल हुआ कि बहुत से लोग पूरी तरह से बेदखल कर दिये गये। जो काश्तकार थे वह लोग बेदखल हो गये। आज भी बहुत से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं और अब भी बहुत सी मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं जिसमें कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में, कुमायूं के जितने भी जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं उनका यह हाहाकार करना अनिवार्य था। उसकी सुनवाई हुई और उसी के फलस्वरूप यह बिल आया है। इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी इस पर प्रकाश डाला है जैसे उपाध्याय जी ने, हमारे हरगोविन्द पंत जी ने, खाती जी ने और बिष्ट जी ने बहुत कुछ इसके बारे में कहा है और यह बातें वहां हैं, इनका उपाय करना बहुत आवश्यक है। माननीय महोदय, मेरा भी यही कहना है कि यथाशीघ्र जहां तक हो इसमें अब देर करना उचित नहीं है, जितनी ही देर होगी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा और उनका हाहाकार मचेगा। इसमें मुझे यह सुझाव देना है कि जैसे मैदान में जमींदारी उन्मूलन बिल जो पास हुआ है उसमें जमींदारों के लिये ३० एकड़-२५ एकड़ या जो कुछ भी इतने एकड़ तक का भी प्राविजन किया गया है कि इतना उनके पास भी रहे वह भी कुमायूं में नहीं रह सकता। कुमायूं में तो दो दो पैसे के हिस्सेदार हैं। हाल ही में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि कुमायूं में तो सिर्फ पांच फीसदी का ही प्रश्न है। कुछ अंश तक वह ठीक कहते हैं क्योंकि जो रेकार्ड मौजूद हैं उसमें सिरतान बहुत कम दर्ज हैं। क्यों कम हैं, ८० साल से कोई बन्दोबस्त हुआ नहीं जिसमें वह अपने नाम में सिरतानी लगाते हैं। एक जमाना था जब कि नाम में चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे थे वैसे ही कमा खाया। और जब नाम में चढ़ाने का वक्त आया तब से बन्दोबस्त ही नहीं हुआ और माननीय मंत्री जी पुराने रेकार्ड को ही देख कर यही कहते हैं कि वहां पांच

फीसदी से ज्यादा सिरतान नहीं हैं। उन का कहना कुछ अंश तक ठीक है। लेकिन वहां दो दो पायी के जो खायकर हिस्सेदार हैं वह भी सिरतान हैं। उनके पास सिरतानी जमीन है, वह हिस्सेदारों में शुमार है। इसलिये सिरतानों की जायदाद कम है। इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो कुछ प्रयत्न इस सदन में बिल लाने से हुआ है उसको यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाय। इसके लिये मुझे यह कहना है कि हिस्सेदार के पास कितना रखा जाय प्रतिबन्ध कमसे कम, जैसे यहां तीस एकड़ है वहां कुछ सुझाव ऐसे आये हैं कि तीस एकड़ हो, १५ एकड़ हो या १० एकड़ हो, उतनी जमीन से ज्यादा अगर हिस्सेदार के पास हो तो सिरतान रह सकेगा। मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तीन एकड़ प्रत्येक जमींदार के पास हो इससे ज्यादा वाली भूमि से सिरतान न निकाला जाय क्योंकि पहाड़ों में जिन शिल्पकारों को दो एकड़ जमीन मिली है वह भी तो उसमें गुजर बसर कर रहे हैं। यह कहीं नहीं है कि पुरानी जमींदारी प्रथा कायम रहे। एक के पास पचीस तीस एकड़ हो और दूसरा दो एक एकड़ में संतोष प्रगट करे, इससे असंतोष बढ़ेगा। अब वह समय तो रहा नहीं कि कोई किसी को थपकियां देकर सुलाता रहे। वह जमाना नहीं है। अब तो प्रजातंत्र सरकार है। इस सरकार में कहने की गुंजाइश है। हमारी सरकार सब को काफी मौका दे रही है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय जिससे भूमिहीन शिल्पकारों को संतोष हो। कम से कम तीन एकड़ जमीन उनके पास रहने दी जाय। उससे अगर ज्यादा हो तो सिरतान नहीं हटाया जाय।

दूसरे मुझे यह कहना है कि जो पिथौरागढ़ में सिरतानों और गुजारेदारों का झगड़ा चल रहा है वह यह है कि सिरतानों को गुजारेदारों को जो कुछ सिरतान कमाते हैं उसका तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा अनाज के रूप में देना पड़ता है। मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूं और माननीय विष्ट जी भी वहीं से आते हैं। इसलिये मुझे ज्यादा मालूम है। मैं पहले भी वहां गया हूं। मेरी तो प्रार्थना है कि अगर इस बिल में आ सके तो आजाना चाहिये कि बटाई की जगह रकम मुकर्रर हो जाय जो एक तिहाई, एक चौथाई बल्कि रुपये में आठ आने तक है, यह नाली पीछे रकम निश्चित हो जाय तो जो कुछ भी रखी जाय वह मुकर्रर कर दी जाय और ऐसा इन्तजाम कर दिया जाय जिससे सुख और संतोष हो। माननीय हर गोविन्द पंत जी ने कहा था कि जमीन की कमी है, जमीन आयेगी कहां से, डेढ लाख एकड़ जमीन तो तीन चार साल में फारेस्ट पंचायत में चली गई है। वह या उसमें से जमीन भूमिहीन लोगों को दी जा सकती है। कुछ जमीन जंगलात से ली जा सकती है। मेरा मतलब यह नहीं कि जहां जंगल हैं वहां से ले ली जाय बल्कि जहां पर जंगल खराब हैं, खत्म हो चुके हैं वह जमीन ले ली जाय ताकि जंगल भी बना रहे और वहां मंगल हो जाय। जो जमीन काबिल आबादी के है उसे आबाद कर दिया जाय। इस तरह से भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाय। सरकारी जगहों से भी बेदखलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जमींदारों की तरफ से बेदखलियां चल रही हैं इन दोनों किस्म की बेदखलियों को रोकने का प्रबन्ध किया जाय। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यथाशीघ्र इसको पास होना चाहिये। अगर सके पास होने में महीनों लग गये तो हाहाकार मच जायगा। सब जगह यह बात फैल चुकी है। कि यह बिल पास हो रहा है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह बिल यथाशीघ्र पास किया जाय।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो विधेयक सदन में उपस्थित है मैं उसी के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुमायूं के अन्दर लगभग ८० प्रतिशत खायकर वे सिरतान किसान मौरूसी होते हैं। वहां पर हिस्सेदार पक्के और कच्चे खायकार, पक्के और कच्चे सिरतान और कटिया और ढंटिया यह छः किस्म की परिभाषा इन किसानों की है। हिस्सेदार किसान यह होता है जो अपनी जमीन का पूर्ण रूप से मालिक होता है। मैं इस बात को इसलिये दोहराना चाहता हूं क्योंकि बाकी किसी वक्ता ने कुमायूं के किसानों की वास्तविक परिस्थिति को यहां नहीं दिखाया है। जो खायकर व सिरतान होता है उसको अपनी जमीन को रहन करने, गिरवी रखने, धार्मिक भाव से प्रेरित हो कर दान करदे या ताऊ चचा की (नाट)

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

लावारिस हो जाने पर जमीन उसको नहीं मिल सकती इन बातों का अख्तियार उसको नहीं मिलता। कटिया और ढंटिया इस किस्म के काश्तकार हैं जैसे आज खाने कमाने को दो, कल को निकाल दो चाहे बेदखल कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि कसानों की ये छः किस्में हैं। अब देखना यह है कि मुल्क के अन्दर जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने जा रही है तो वह क्या रास्ता अपनाता है। कई वक्ताओं ने अंग्रेजी तरीकों के उदाहरण दिये। आज हमें मुल्क में दूसरे देशों की चीजों की नकल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मुल्क की जरूरत के हिसाब से चीजों को देखना है।

हम कहते हैं कि जितने कानून हैं और जिनके उदाहरण यहां पर दिये गये हैं स्टेबिल मैनुअल, फ़लां मैनुअल तो वह अंग्रेजों के बनाये हुये थे। आज अंग्रेज इस मुल्क से चले गये हैं और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य की रक्षा करने के लिये विभिन्न प्रकार के मैनुअल बनाये थे और तब उन्होंने उसकी जरूरत समझी थी। आज आजाद हिन्दुस्तान को उसकी जरूरत नहीं है। इसलिये आजाद हिन्दुस्तान को आजाद कुमायूं के लिये अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी परम्परा के अनुसार कानून बनाने की जरूरत है। जिसमें सब को राहत मिल सके। हमारे जो रिवाज हैं उनके अनुसार हमारा कानून बनना चाहिये। हम यह देखते हैं कि अंग्रेजों ने खास कर १८१८ में काठमंडू में जो सन्धि हुयी थी उस सन्धि के बाद कुमायूं में उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों के लिये अलग अलग व्यवस्था बनायी थी। उदाहरण के लिये जैसा अभी माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने कहा है कि जिला अल्मोड़ा और नैनीताल में एक बार पैमाइश करने के बाद और पैमाइश नहीं की गयी। लेकिन गढ़वाल में उस पैमायश के बाद विकट पौ और एबटसन तीन बन्दोबस्त हुये और उस बन्दोवस्त से ऐसी व्यवस्था हुई कि जिसमें इस बात को माना गया कि किसान खायकर, कच्चा खायकर, पक्का खायकर, कच्चा सिरतान, पक्का सिरतान और कटिया, ढंटिया इन छः तरह के होंगे जिनके लिये यहां कोई गुंजायश नहीं रखी गयी है। अंग्रेजी साम्राज्य के जो पोषक, हिस्सेदार व थोकदार लोग थे उन बन्दोबस्त में उन लोगों को ही सुविधायें दी गयी थीं। वही लोग अंग्रेज साम्राज्यवाद के बहुत ज्यादा पोषक थे और इसी वजह से वह कायदे कानून बने थे। इस वजह से उन हिस्सेदारों की अपेक्षा वह दूसरे काश्तकार अपने हकों से महरूम रह गये थे। जब कि इतिहास यह बताता है कि कुमायूं में खायकर, सिरतान लोगों ने कुमायूं की पहाड़ी जमीन को खोदकर और जंगलों को काटकर उस भूमि को उपजाऊ बनाया है। लेकिन उनको उस अधिकार से वंचित रखा गया है, जो कि हिस्सदार को दिये गये हैं। जैसे कि कोई अपनी जमीन को रेहन करता है और धार्मिक भाव से प्रेरित होकर दान देता है। इस वजह से इस बात की आवश्यकता है कि नये कानून को लाकर वहां पर नयी व्यवस्था की जाय। आज हमारी जरूरत के अनुसार कानून बनने की आवश्यकता है। उस जमाने में ऐसी चीज चलती थी जो कहीं कहीं आज भी है, कि अगर कोई खायकर या सिरतान अपनी लड़की या लड़के का ब्याह करता है, या नई फसल तैयार करता है या देवी देवता की पूजा करता है तो उसको वहां रान-टी भेंट चढ़ानी पड़ती है या कटिया ढंढिया है तो उसको भी भेंट देनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब नया अनाज घर में आता है या भूमि जोतता है तो किसान इस प्रकार की भेंट देता है। आज भी इस प्रकार का रिवाज कहीं कहीं कायम है। जब गाय या भैंस बियाती है या कोई दूसरा धार्मिक पूजन होता है तो इस प्रकार की भेंट देनी पड़ती है और यह एक प्रकार का रिवाज है जो कि कुमायूं में "दस्तूर" कहा जाता है जो कि गुलामी का जुआ और वर्गवाद का द्योतक है। अभी जैसा कि माननीय पंत जी ने कहा कि कुमायूं में अल्मोड़ा और नैनीताल में पैमाइश नहीं हुयी और यह ठीक भी है लेकिन गढ़वाल के अन्दर तीन पैमाइशें हो चुकी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई कानून

इस चीज के लिये सुव्यवस्थित रूप से बनावें तब तक वहां की बेदखलियों के बवन्डर को रोकने के लिये जल्दी ही कोई कानून होना चाहिये। क्योंकि इस समय वहां "खावे कौन और भोगे कौन" हो रहा है। यानी जब कि प्रदेश के और जिलों में जमींदारी खत्म हुई और उससे लोगों को बहुत कुछ राहत मिली, जो हमको भी मिलनी चाहिये थी लेकिन हमारे यहां हिस्सेदार लोग सचेत हो गये और बेदखलियां अधिक होने लगीं। वहां का किसान बहुत गरीब है। उसकी पहुंच इतनी नहीं है कि वह अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सके। उसके पास न पैसा है और न वह लिखापढ़ा है जिससे कि वह इन हिस्सेदारों, किसानों और थोकदारों का मुकाबला कर सके। इसलिये इन बेदखलियों को रोकने का कोई कानून तुरन्त बनाना चाहिये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब प्रदेश के दूसरे जिले में जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है लेकिन कुमायूं का कमिश्नर यह फैसला करता है कि बेदखली हो सकती है। इससे साबित होता है कि वहां के कमिश्नर ने अंग्रेजी ढंग से सोचा है। वह ऐसा फैसला देता है जिससे सारे कुमायूं में एक बवन्डर खड़ा हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट के ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमी है कि हमारे अफसरान हमारे कामों को अब भी अंग्रेजी ढंग से सोचते रहें और हमारे लोगों को हानि उससे पहुंचे। हमारे अफसरों को चाहिये कि वह हमारे मुल्क की आवश्यकता के अनुसार सोचें और सरकार को चाहिये कि वह अपने अफसरान को समझावे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी स्थापित की जावे और वह कमेटी इस बात की जांच करे कि कुमायूं के अन्दर कितने खायकर, सिरतान किसान इत्यादि हैं। इससे हुकूमत को बहुत सुविधा होगी। यह काम अभी वहां नहीं हो पाया है और इसकी किसी भी सुधार के लिये बहुत अधिक आवश्यकता है। इससे सरकार को भी मालूम हो जायगा कि वहां की वास्तविक दशा क्या है। यह जानकर सरकार उचित और सुव्यवस्थित ढंग से वहां की जनता के लिये कानून बना सकेगी।

मैं फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे दुःखों को जानने के लिये हमको यहां अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। जय हिन्द!

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कई माननीय सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिला, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी की इस विधेयक के सम्बन्ध में सिवाय उद्देश्य और कारणों के कोई बात सुनने को नहीं मिली। इसलिये थोड़ी परेशानी होती है और अंधेरे में ही बात करने का मौका मिलता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल कुमायूं के उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये पेश किया गया है, जो लोग कि कमजोर तबके के हैं और जिन्हें बेदखल किया जा रहा है या जिनसे ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा है, उनकी राहत के लिये उनको बचाने के लिये यह बिल लाया गया है। मैं माननीय सदन से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर इधर जो अनुभव हुये कुछ वर्षों से हुआ है उसमें हमने यह देखा है कि जब कोई कानून इस सदन में काश्तकार के बचाने के लिये लाया जाता है तो जिनको बचाने के लिये वह लाया जाता है उनके ऊपर एक भारी मुसीबत भी आती है। मैं नहीं जानता उस मुसीबत से बचाने का कोई नकशा माननीय मंत्री जी के सामने है या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में दो एक उदाहरण उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं ताकि उनको इस पर सोचने का कुछ मौका मिल सके। मुमकिन है उनकी जानकारी ऐसी न हो। क्योंकि जैसी जानकारी जिले के अधिकारी उनको देते हैं उससे सही जानकारी नहीं होती। मैं उनको रोक नहीं सकता कि वे उनको जानकारी से लाभ जरा सोच समझ कर उठायें और अपने साथ बैठने वाले की

[श्री गेंदासिंह]

जानकारी से भी थोड़ा लाभ अवश्य उठावें। बनारस राज्य के जो गांव हमारे प्रदेश में आये उनमें एक लाख छियालीस हजार शिकमी काश्तकार थे। उनको बचाने की माननीय मंत्री जी ने हजार कोशिशें कीं, लेकिन फिर भी उनको बचा न सके। बनारस के माननीय सदस्य के ही द्वारा यह मालूम हुआ कि डंडे के बल पर बहुत से शिकमी किसान बेदखल कर दिये गये। माननीय राजस्व मंत्री जी, उनकी पुलिस, फौज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी फौज उन शिकमी काश्तकार को बचाने में सफल न हो सकी। इसी प्रकार पिछले वर्ष जो भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम पास हुआ उस समय हम लोगों की ओर से कहा गया था कि इसके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जो जिनको बचाने की इच्छा करते हैं उन्हें बचा नहीं पायेंगे, लेकिन हमारे उस सुझाव को नहीं माना गया। उसका कुपरिणाम यह हुआ कि लाखों आदमियों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। जो शिकमी जोत कर वर्षों से गुजर करते आ रहे थे, उनको निकाल बाहर कर दिया गया। काग़जात में उनका नाम दर्ज ही न था। इसलिये काग़जात में तो उनकी बेदखली दिखाई ही नहीं जा सकती। और इसलिये वह इस सदन के सामने नहीं आ सकती। परन्तु गांवों के काग़जात में जो सच्चे काश्तकार थे वह दर्ज हैं। कौन काश्तकार कौन भूमि को जोतता था वह सब जानते हैं। परन्तु उनके नाम पटवारी के काग़जात में दर्ज न थे इसलिये उनको यह भोगना पड़ा। इस सूबे में कौन ऐसा है, जो यह समझता हो कि पटवारियों के काग़जात सही हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी भी स्वयं यह समझते हैं कि पटवारी सारे प्रदेश की जनता को परेशान करते थे, ग़लत इन्दराज करते थे और उसी ग़लत इन्दराज के आधार पर उन्होंने उनको निकाला, ऐसा वह कहते हैं। उन्हीं ग़लत इन्दराजों के आधार पर जमीन के मालिकों ने जो ग़रीब लोग थे जो १०,२०, ५० वर्षों से खेती पर गुजर कर रहे थे उनको भी निकाल बाहर कर दिया। आज ही माननीय राजस्व मंत्री जी ने आजमगढ़ के माननीय सदस्य को उत्तर दिया और उन्होंने अपने उत्तर में यह असमर्थता प्रकट की कि उन्हें नहीं मालूम कि वहां पर काश्तकारों को बेदखल किया गया।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं फिर उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो मुसीबत आजमगढ़ के लोगों पर आयी, जो मुसीबत बनारस के शिकमी काश्तकारों के ऊपर आयी और उनको बेदखल करने से माननीय मंत्री जी नहीं बचा सके, उनके ऊपर दफा १०७ की कार्यवाही हुई, गांव के गांव पर और जो वहां के शासनाधिकारी थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उन किसानों को परेशान करना, उनको जेलखाने भेजना और उनको मजबूर करना शुरू किया ताकि वे अपनी जमीन छोड़ कर चले जायं, उसमें वे कामयाब हुए। हम कामयाब नहीं हुए उनकी जमीन पर नाम लिखाने में। उसी तरह से हमें यह डर लगता है कि पहाड़ों के किसान भाइयों के ऊपर भी तो मुसीबत नहीं आने वाली है। इस तरफ अनेक माननीय सदस्यों ने माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाया है। मैं भी उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कृपा करके जो कानून वह बनावें तो यह भी देखें कि जो उनका उद्देश्य है कमजोर लोगों को बचाने का उन्हें बचा सकेगा या नहीं? इसको जरा गम्भीरता के सोच लिया करें। अगर वे सोचें कि जितना हम कहते हैं वह उनको बदनाम करने के लिये ही कहते हैं तब तो बात ही दूसरी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बात भी हम लोग कहेंगे उसको वे नहीं मान सकते। लेकिन कम से कम जो कुछ भी उचित बात समझते हों, और जिसको हम भी समझते हैं कि काश्तकारों की भलाई करना उनका उद्देश्य है और उसी इच्छा से यह विधेयक लाया गया है, उसको तो मान लिया करें। इस विधेयक को देखने से हमको

तो एक उल्टी प्रक्रिया मालूम होती है कि यह उल्टी प्रक्रिया की जा रही है। इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो यह है कि जो सिरतान हैं या जो भी उनका नाम हो, उनको बेदखली से बचाना है और दूसरी चीज यह है कि जो बहुत ऊंची दर लगान की है उस लगान को कम करने की जरूरत समझी गयी है। विधेयक का उद्देश्य यही है लेकिन सवाल तो यह है कि कब्जा सम्बंधी कोई कागज भी है, माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने कहा कि उस इलाके में सन् १८७२ से कोई बन्दोबस्त नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो माननीय राजस्व मंत्री जी ही यह कहने के पोजीशन में हैं और न मैं ही इस पोजीशन में हूं कि कितने परसेंट लोगों का नाम कागज में दर्ज है, कितने का नहीं। मैं यह कहूं कि ५० फीसदी लोगों का नाम कागज में नहीं है तो पहले कब्जे का सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचना है इसलिये उचित होगा कि किस प्रकार हम यह निश्चय करें, कौन जमीन किसके कब्जे में है। एक आदमी बेदखल किया जाता है, लेकिन वह डंडे के बल पर बेदखल किया जाता है, किसी कागज में उसका नाम नहीं है। हमारे यहां हाई कोर्ट में यह रूलिंग हो चुकी है कि यह मानते हुए कि पटवारी के कागज गलत होते हैं लेकिन पटवारी के कागज के अलावा और कोई दूसरा आधार कब्जे के लिये नहीं है, इसलिये हम पटवारी के कागज को ही आधार मानते हैं। उसके मुकाबले में जबानी शहादत का कोई महत्व नहीं है। इन पहाड़ों पर कौन सा कागज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फलां जमीन फलां के कब्जे में है और उसको मार कर निकाला गया है। वे कमजोर हैं और संख्या में भी थोड़े हैं। जब वे कमजोर हैं, जब वे माइनारिटी में हैं तो इस कानून को देखते हुए हमें लाभ की आशा नहीं दिखाई देती। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि वहां धूम मची है कि जहां तक हो सके सिरतानों की जमीन निकाल ली जाय तो इसे कैसे रोका जा सकता है। एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो सिरतानों का बीकर सेक्शन है जिनके कब्जे में पहले से जमीन चली आयी है और जिसके जरिये वे अपनी गुजर करते थे, अपना कब्जा साबित करने के लिये वे अदालत में कौन सी कार्यवाही करें, किस तरह अपना कब्जा साबित करें? अगर माननीय मंत्री जी यह कहें कि वे अदालतों में जाकर जबानी शहादत से सब काम कर लेंगे तो यह जरा सोचने की बात है कि इन पहाड़ी इलाकों में इसमें कितनी दिक्कतें हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है। जिस किसान की दो-दो नाली जमीन हो वह उसका कब्जा साबित करने के लिये ४०, ५० मील पैदल चल कर नैनीताल, हल्द्वानी, या अल्मोड़ा आवे और मुकदमेबाजी करे। इन अदालतों के स्थान भी बहुत दूर-दूर पर हैं जहां पर जाना इन किसानों के लिये बहुत ही कठिन कार्य है। और अगर १० तारीखें पड़ गयीं तो वह तो खुद ही इंकार कर के चला जायगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मुकदमा लड़ सकें फिर इससे लाभ क्या होगा। काम हो या न हो परन्तु मंत्री जी कह सकते हैं कि कुमायूं डिवीजन के लिये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। दो दिन तक विधेयक पर बहस हुई, बहुत से अफसरान की कानफ्रेंस की और उस के गर्भ से यह बिल निकला। और इस बिल के पास होने का नतीजा यह होगा कि जो हजारों सिरतान हैं वह ६ मास के भीतर बेदखल हो जायेंगे और फिर जब सरकार से श्री मदन मोहन जी, श्री नारायण दत्त जी और श्री खुशीराम जी या श्री नौटियाल जी रोना रोयेंगे फिर मंत्री जी कहेंगे कि हमने तो आप के यहां के लिये बहुत अच्छा कानून बना दिया था और यह तो आप की ही नालायकी है कि आप लोग अपने यहां के किसानों को नहीं बचा सके। यह परिस्थिति पहाड़ी इलाके में होनेवाली है। वहां के काश्तकार मारपीट कर निकाले जायेंगे और गैर कानूनी ढंग पर बेदखल किये जायेंगे। विधेयक में इस बात की गुंजाइश है कि एस० डी० ओ० अपनी इच्छा से लगान कम कर सकता है, लेकिन जब किसान दरख्वास्त देगा तब तो कम किया ही जायगा। तो जिस इलाके में लगान की यह प्रथा है कि एक नाली के लिये बीस-बीस सेर धान और ८ सेर गेहूं लिया जाता है, यानी एक एकड़ जमीन के लिए दस मन धान और ४ मन गेहूं लिया जाता है।

[श्री गेंदासिंह]

तो जब इतनी रकम लगान के रूप में वसूल की जाती है तो काश्तकार क्यों लगान कम नहीं करायेगा। वह अवश्य कम कराने की इच्छा रखेगा। परन्तु जिस वक्त भी वह कम कराने की बात करेगा तो वह जरूर वहां पीट कर निकाला जायगा और उस के बाद किसी प्रकार की कार्यवाही करने से मजबूर होगा। नतीजा यह होगा कि वह हमेशा के लिये जिन्दगी भर का गुलाम बना रहेगा।

इस विषय में मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं कि इस कानून के बनने के बाद ६ महीने के भीतर, कुमायूं के जिन लोगों के लिये यह कानून बना रहे हैं उन्हीं की अधिक से अधिक बेदखलियां होंगी और उसकी कहीं कागजात पर लिखापढ़ी न होगी। उस वक्त मंत्री जी जैसा कि जवाब दे देंगे जैसा उन्होंने ने जवाब आजमगढ़ के संबंध में दिया है। उस वक्त हम और हमारे पहाड़ के मित्र हाथ मल कर रह जायेंगे। इसलिये मैं उन से दरख्वास्त करूंगा, हालांकि उनकी आदत में यह बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी वह उचित बात मानने की कृपा करते हैं, इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को सैलेक्ट कमेटी या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कृपा करें। यह मामूली सी बात है उसको मानने में उन को एतराज न होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर वह इस बिल को वापस ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वापस लेने के बाद हमारे कुमायूं के जो मेम्बरान हैं उनकी एक कानफ्रेंस करें और उन सब को बुला कर इसी सत्र में एक-दो दिन इस पर विचार करें और सुनें कि इस तरह से वहां रिवाज है और किस तरह से वहां बेदखलियां की जा रही हैं और उन गरीब किसानों को उन से कैसे बचाया जा सकता है और यह सब समझने के बाद एक सीधा सादा बिल ऐसा लावें कि जिस के द्वारा जमीन जोतने वालों को गारन्टी हो कि किसी निश्चित लगान पर उनके पास जमीन हमेशा रहेगी और उन्हें बात-बात में जमीन से हटाया न जा सकेगा। सीधी बात है। इन दो बातों की जरूरत है इनको करने के लिये और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब तरीका होगा बशर्ते कि राजस्व मंत्री जी स्वीकार करें। वर्ना मैंने जैसा पहले कहा फिर कह देना चाहता हूं कि इन काश्तकारों को बचाने के लिये यह विधेयक समर्थ नहीं होगा और हजारों की तादाद में ये सीरदार या खायकर या कोई भी कमजोर लोग हों ये बेदखल किये जायेंगे और जिस तरह से हम दूसरी जगहों के लिये मजबूर हो जाते हैं वहां भी हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

अन्त में एक बात कह दूं। कब्जे का जहां तक सवाल है उसमें अब माननीय राजस्व मंत्री जी अपने अनुभव से इस परिणाम पर वह पहुंच गये होंगे कि केवल तहसीलदार लोगों की या डेप्टी लोगों की इच्छा से काम नहीं चलता कि वे जाकर अपने मर्जी से लोगों का नाम दर्ज कर दिया करें। इसका बहुत कटु अनुभव हमारा है। मैंने उस समय भी कहा था जब भूमि सुधार अधिनियम का अनुपूरक विधेयक आया था। जिस तरह से बिहार में कब्जे के झगड़े पर बिहार की सरकार ने एक प्रबन्ध किया था कि दो-तीन आदमियों की एक पंचायत बनायी इस में एक मैजिस्ट्रेट भी होते या खेती करने वालों का भी एक प्रतिनिधि रहता था, और खेत देने वालों का भी एक प्रतिनिधि रहता था और इस तरह से जो पंचायत होती थी वह जो फैसला कर देती थी वह अंतिम मान लिया जाता था। फिर उसकी अपील नहीं होती थी। परन्तु हमारे उस भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम के मुताबिक नाम दर्ज होने के पहले बहुत से किसान निकाल दिये गये, जिनमें फैसले भी हुये। उनका परिणाम यह हुआ कि आज सारे गरीब बेदखल किये जा रहे हैं और दीवानी ने भी उन फैसलों को रद्द कर दिया है। फिर हम उनको नहीं बचा पाये जिनको हम बचाना चाहते थे। अगर कब्जे के लिये कोई कानून बनाया जाय, जिसकी बेहद जरूरत है' तो उसमें इस बात की गुंजाइश रखी जाय कि इतने लम्बे चौड़े मुकदमेबाजी की नौबत पहाड़ों पर न हो। अगर लम्बी मुकदमेबाजी में पहाड़वाले फंसे तो अध्यक्ष महोदय, अपनी भावना आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इस कानून को बनाने का मकसद बिलकुल बेकार हो जायगा। जो काम इस बिल को लाने का है दोनों कामों यानी कम लगान करने का और उनको बचाने का दोनों में से एक भी नहीं हो पायेगा।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि हमारे पहाड़ के रहने वाले जितने भाई ह उनमें से अधिकांश ने इस छोटे से विधेयक पर बोलने की कृपा की है। मैंने भी बहुत कुछ इस सिलसिले में उनसे सीखा है, लेकिन इस विधेयक पर बोलते हुये मेरे दोस्तों ने एक बात का ख्याल नहीं रखा है कि यह जो विधेयक है इसका उद्देश्य तो बहुत सीमित है। जमींदारी अबालिशन ऐण्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का जो उद्देश्य है कि हमारे मैदानी इलाकों में जमींदारी खत्म करना और आगे के लिये भूमि व्यवस्था क़ायम करना है। परन्तु मौजूदा विधेयक का उद्देश्य इतना विस्तृत नहीं है। तीस एकड़ या १५ एकड़ की लिमिट या और कोई सीलिंग खेतों के क्षेत्रफल को रखना बिलकुल बेमानी सी बात है। वह इस विधेयक के उद्देश्य के अन्दर आता नहीं है। इसी तरह से एक दोस्त ने कहा कि इससे भूमिहीनों की समस्या का हल नहीं होगा तो इसका भी इससे कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह से मेरे एक माननीय मित्र ने जो मुझसे बैठे हुये बातें कर रहे थे और इस समय मेरे सहयोगी से बातें कर रहे ह, इशारा किया कि खैकर लोग बेदखल हो रहे हैं और उनकी भी बेदखली को रोका जाय। खैकर कानूनन मुस्तौजिब बेदखली नहीं है। उनका जो हक़ है वह हेरीडिटरी है। बिलकुल कच्चे खैकर के भी अधिकार हैं और वे वही हैं जो हमारे यहां जमींदारी के खात्मे से आकूपेंसी टेनेंट्स के पहले होते थे। उसी तरह के बाकी खैकर के वही अधिकार हैं जोकि अन्डर प्रोप्राइटर के होते थे। सिवाय इसके कि वह अपने खेत को ट्रान्सफर नहीं कर सकते। उतने ही हेरिटेबिल राइट्स उनको हैं। वह खुद ही उस जमीन को छोड़ दें, या लगान न दें तभी वह बेदखल होते हैं वरना बेदखल नहीं होते। वह मर जाय तो उसको औलाद को जमीन न मिले या उसके लिये कोई खास मुद्दत हो जिसके बाद बेदखल हो जाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे पक्का खैकर हो या कच्चा, दोनों को हेरिडेटरी राइट्स हैं। अब यहां पर खैकर की रक्षा करने का कोई सवाल नहीं उठता। जैसा कि विधेयक के "स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स" में कहा गया है कि वह बिल सिरतानों की रक्षा करने के लिये लाया गया है। एक माननीय मित्र ने यह सवाल किया कि कौन से टिनेंट इसके अन्डर में आयेंगे। उन्होंने बतलाया कि फलां टिनेंट उसमें नहीं हैं और बहुत काफी उन्होंने व्याख्या की। काश्तकार की जो इसमें परिभाषा रक्खी गयी है वह यह है कि उसमें सिरतान है परन्तु मौरूसीदार और खायकर शामिल नहीं है। मतलब यह है कि मौरूसीदार और खायकर को छोड़ कर जितने भी किस्म के टिनेंट हो सकते हैं वह सब शामिल हैं। लेकिन उसमें सिर्फ सिरतान का नाम लिया गया है। इसमें टिनेंट की डिफनीशन यह नहीं है कि "Tenant means a Sirtan" इसकी डिफनीशन जो है वह यह है कि "Tenant includes a Sirtan" अब चाहे सर्विस टेन्योर होल्डर हो, चाहे अधबटाई पर हो या चाहे तिभागी पर हो, चाहे किसी भी क़िस्म का काश्तकार हो, बस खायकर न हो और मौरूसीदार न हो। मौरूसीदार टेहरी गढ़वाल में एक टिनेंट होता है उसके हक भी हेरिडेटरी होते हैं और खायकर इधर गढ़वाल, अलमोडा और नैनीताल वगैरह में पाये जाते हैं। मौरूसीदार और खायकर जिनके राइट हेरिडेटरी हैं, इनके अलावा बाकी सभी टिनेंट्स यानी सारे काश्तकार चाहे उनका सभी नाम हो वह कुछ भी कहलाते उन सभी की बेदखली को रोकने का उद्देश्य इस बिल में है। एक उद्देश्य तो यह है।

दूसरा उद्देश्य यह है कि जो लोग अब तक जिन्सी लगान देते रहे हैं वह बहुत ऊंचा देते रहे हैं यानी तिहाई से ले कर आधे तक। तो उसके लिये हम यह चाहते हैं कि उनके यहां का कम्यूटेशन हो जाय। खासतौर से अब जब कि क़ीमत बढ़ रही हैं वह लगान बहुत ऊंचा पड़ जाता है। यह भी उनकी थोड़ी बहुत शिकायत थी कि वहां कम्युटेशन हो जाय, तो वह भी इससे हो जायगा।

इस विधेयक की तीसरी मंशा यह है कि लोगों ने एक्सटेंशन कर लिया है उन पर मालगुजारी तसव्वोश कर दी जाय यानी असेस कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री जो बतलायेंगे कि उनका मतलब ग्रान्ट से है या एक्सटेंशन से। कानून में "एक्सटेंशन" साफ लिखा हुआ है। इसी तरह की बातें टिनेंट के सिलसिले में कही गयी। साफ लिखा हुआ है कि Tenant includes a Sirtan but does not include a Khai-

[श्री चरणसिंह]

kar maurusidar. इसका मतलब यह है कि केवल दो प्रकार के लोगों को छोड़ कर बाकी सब टिनेंट में आगये।

श्री अध्यक्ष---इसमें मौरूसी का वर्ड नहीं है।

श्री चरणसिंह---जी हां, इसमें नहीं है लेकिन, मैंने अपनी तरफ से एक संशोधन दे रक्खा है। वह छपा हुआ है और अजेन्डा में लगा हुआ है। खैर, उसमें ज्यादा जोर सिरतान पर नहीं दिया गया है बल्कि ज्यादा जोर इस पर दिया गया है कि "Tenant includes a Sirtan" अध्यक्ष महोदय, यहां शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट लागू है उसके मातहत बहुत से रूल्स और रेगुलेशन्स यहां जारी किये गये। अब वह वहां लागू नहीं होता है। उसी ऐक्ट के मातहत गवर्नमेंट ने एक आर्डर दिया था कि सिवाय चन्द सूरतों को छोड़कर सिरतानों की बेदखली न हो। उस पर कमिश्नर ने यह निश्चय किया कि वह आर्डर वायड है, नाट गुड इन ला। तो हम बजाय इसके कि इस झगड़े में पड़ते कि उसकी वैलिडिटी साबित करते, हम एक विधेयक ले आये, ताकि बाक़ायदा विधान मंडल की तरफ से एक ऐक्ट बन जाय और जो मांग उस शासकीय आर्डर की थी वह पूरी हो जाय। खैर, जैसा मने अर्ज किया इस विधेयक की केवल तीन मंशा हैं। तरह तरह के जो और नकशे और बातें हमारे माननीय मित्रों के दिमाग़ में ह, उनको भी अगर मैं इसमें लाना चाहता तो एक बड़ी भारी पोथी बन जाती और कोई बड़ी पोथी बनाने का हमारा विचार नहीं है। बड़ी पोथी बनायी जायगी, लेकिन अभी नहीं, उसमें अभी देर है।

मुझे दो ही बातों का जवाब देना है। हां, एक बात यह कही गयी कि वहां बड़ी भारी समस्या है, लेकिन माननीय मंत्री जी को कुछ मालूम नहीं है। अंडर एस्टिमेट करना दुनिया का एक ढंग हुआ करता है। अगर यह कहा जाता कि शायद मुझको पूरी बात मालूम नहीं है तो सम्भवतः ज्यादा उचित होता चाहे मैं बिलकुल इगनोरेंट होता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, मैं दावा भी नहीं करता कि मुझको सब कुछ मालूम है। मैं जानता हूं कि मुझको कुछ नहीं आता। म पहाड़ का रहने वाला नहीं हूं, मैं मैदान का रहने वाला हूं। मैं मैदान के लैंड टेन्योर को ही अच्छी तरह नहीं जानता क्योंकि मने रेवेन्यू को कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने सिविल प्रैक्टिस की है। लेकिन धीरे-धीरे आप लोगों ने मुझे कुछ सिखा दिया है। जहां तक पहाड़ की बात है वह बेशक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मंत्रिमंडल में और लोग हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं और मुझे उनके आशीर्वाद से और उनकी सहायता से बातें मालूम होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने बहुत से माननीय मित्रों की चिट्ठी पत्री से बहुत सी बातें मालूम कर लेता हूं और जो दफ्तरों के नोट आते हैं उनको भी पढ़ता रहता हूं। इस तरह रवा रवी में थोड़ी सी बातें मैं जरूर जानता हूं, यह ठीक है। लेकिन यह बात नहीं है कि बिलकुल नहीं जानता हूं।

जहां तक यह बात है कि कोशिश नहीं की, कभी हमको बुलाया नहीं, तो कोशिश के मुताल्लिक़, अध्यक्ष महोदय, मैंने २१ मई को या ग़ालिबन २० मई को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चार्ज लिया और आपकी इजाजत से सिर्फ एक फिकरा सुनाये देता हूं जो २३ मई सन् ५२ को रेवेन्यू सेक्रेटरी को आर्डर दिया वह यह है:

"I would like to see a self contained note which may, perhaps, form part of a file on land tenure obtaining in Kumaun'. 23. 5. 52"

इसका मतलब यह हुआ कि जो कहा जाता है कि साहब हमारी फ़िक्र नहीं की जाती, मिनिस्टर ने, हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की वह इससे ग़लत साबित होता है।

एक सदस्य---करवाया क्यों नहीं आपने ?

श्री चरणसिंह---वह दूसरी बात है। लेकिन यह कि जानने की कोशिश नहीं की गयी, हम चूंकि पहाड़ में रहते हैं लिहाजा हमको इगनोर किया गया, इस गवर्नमेंट को, हमारी

कोई जरूरत ही नहीं है इसकी बाबत मैं कह रहा हूं कि जिस रोज मने चार्ज संभाला उसके दो ही रोज के बाद यह जानने की कोशिश की कि वहां की क्या हालत है। उस पर एक बड़ा लम्बा नोट आया और उस पर मैंने भी कुछ लिखा। उसके बाद एक पहाड़ के रहने वाले तजुर्बेकार आफिसर को मैंने मुकर्रर किया। उन्होंने ५८ सफे का एक लम्बा नोट दिया। वह चारों जिलों के बार असोसियेशन्स से मिले, अफसरान से भी मिले और जो लोग इस मसले को जानने वाले थे उनसे भी मिले। उनके बहुत से सुझाव हैं और वह विचाराधीन हैं। खैर, जैसे ही कमिश्नर साहब ने यह निर्णय दिया कि वह लोग मुस्तौजिब बेदखली हैं और गवर्नमेंट का जो शासकीय आदेश निकला है वह ठीक नहीं है वैसे ही हम एक विधेयक ले आये ताकि ग़रीब लोग बेदखल न हों। इस बीच में जब तक कि हम वहां जमींदारी उन्मूलन करें या काम्प्रहेंसिव बिल लायें। वहां की समस्या कितनी बड़ी है, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार सवालों के जवाब में यह शायद किसी छोटे मोटे विधेयक के सिलसिले में बोलते हुये यह कहा था कि समस्या जितनी बताई जाती है उतनी बड़ी नहीं है। मैं आज फिर दोहराता हूं श्रीमन् कि हर्गिज नहीं है उतनी बड़ी। वैसे समस्या अगर दस आदमियों की भी है तो इस गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है कि उसे जल्दी से जल्दी हल करे, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जो मेरे माननीय मित्र उस इलाके से आने वाले हैं वे इस सदन के सदस्यों पर और यहां की जनता पर यह असर डालना चाहते हैं कि उनकी समस्या बहुत बड़ी है। ऐसा हर्गिज नहीं है। मैं इन्तजार कर रहा था कि कोई साहब मुझे आंकड़े बतलायें, लेकिन आंकड़े किसी ने बतलाने की कोशिश नहीं की। माननीय हरगोविन्द पंत ने जरूर कुछ आंकड़े बतलाये हैं। वे आंकड़े कहां तक सही हैं यह इससे साबित हो जायगा कि जहां तक जमींदारों का सम्बन्ध है कि वहां कितने जमींदार हैं, एक बार मैंने जबानी बतलाया था और आज फिर बतलाता हूं कि वहां पर कुल ४१२ जमींदार ऐसे हैं जो ५ रुपये से लेकर २५० रुपये तक मालगुजारी देते हैं और ८ जमींदार ऐसे हैं जो ढाई सौ से ५०० तक देते हैं और ३ जमींदार ऐसे हैं जो ५०० से १००० तक देते हैं और सिर्फ एक जमींदार रजवा अस्कोट में ऐसे हैं जो एक हजार से ऊपर मालगुजारी देते हैं तो कुल ४६४ जमींदार वहां ऐसे हैं जिनको हिस्सेदार कहा जाता है और जो ५ रुपये से ज्यादा मालगुजारी देते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--सिरतान कितने हैं ?

श्री चरणसिंह--आप बेसब्र न हों। सिरतानों के पास ५.२ प्रतिशत जमीन है। पहले तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हिस्सेदारों के पास जो प्रोपराइटर्स हैं, उनके पास अपनी खुदकाश्त में ७२ फीसदी जमीन है और पक्के खायकरों के कब्जे में ५ फीसदी जमीन है और कच्चे खायकरों के कब्जे में १६ परसेन्ट जमीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सिरतानों के आंकड़े कहां से आये ?

श्री चरणसिंह--जिस लाइन पर आप चल रहे हैं उसमें कहीं सीमा ही नहीं है। तो २१ फ़ीसदी जमीन खायकरों के पास है जिनको हेरीडिटरी राइट्स हैं और ७२ फीसदी जमीन प्रोपराइटर्स की खुदकाश्त में है। खायकरों के पास जो जमीन है वह कुल १ लाख ५० हजार एकड़ है। एकड़ और बीसी में बहुत मामूली फर्क है। और जो जमीन जेरे काश्त है उसका ५.२४ फ़ीसदी रक़बा हर तरह से सिरतानों के पास है, जो कुल मिला कर ३७ हजार एकड़ है। सदावर्त और दूसरी धार्मिक संस्थाओं के पास १.७६ फीसदी जमीन है जिनका रक़बा १२ हजार एकड़ है। तो सवा ५ फीसदी रक़बा यानी पौने ३८ हजार एकड़ जमीन सिरतानों के पास है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ये आंकड़े पटवारियों के दिये हुये हैं ?

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेम्बर का जो भी कथन हो उसके मुकाबिले में पटवारी की रिपोर्ट को कहीं ज्यादा तरजीह देता हूं क्योंकि वह दिन रात मेहनत करता है, काम करता है।

[श्री चरणसिंह]

तो यह कुल इतनी जमीन है। अब जहां तक यह सवाल है कि उससे कितने आदमी एफ़ेक्टेड हैं उसके मुताल्लिक़ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें सिरतानों की तादाद नहीं दी हुई है कि कितने हैं। लेकिन जो १६५१ की सेंसस रिपोर्ट है उसमें जिस आदमी ने सिरतान लिखाया है वह मौजूद है। जिन लोगों के पास हियरीडेटरी राइट्स हों या ख्वाह वह मालिक हों या सब टेनेन्स हों या टेनेन्ट्स एट बिल हैं इनके सेंसस रिपोर्ट में अलग-अलग खाने हैं।

(कुछ सदस्य—आप पटवारियों को फिर रख लीजिये।)

श्री चरण सिंह—आपके यहां तो पटवारी हैं, आप उनसे दोस्ताना रखिये। अध्यक्ष महोदय, अल्मोड़ा में ६.६ प्रतिशत वहां की पापुलेशन है। उसके पास सब टेनेन्सी राइट्स हैं, नैनीताल में २·७७ प्रतिशत, टेहरी-गढ़वाल में २.०५ प्रतिशत है। इनकी कुल तादाद १ लाख ५ हजार हुई और एक फेमिली में ५.१ मनुष्य के हिसाब से कुल २१ हजार फेमिलीज हैं। इसी हिसाब से हिस्सेदारों और खायकरों का ६०, ८० तथा ७० प्रति शत है। २१ हजार फेमिलीज हैं सिरतानों की, जिनके पास पौने अड़तीस हजार एकड़ जमीन हैं। इससे ही यह मलूम होता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है।

अब अध्यक्ष महोदय, खैर जिस तरीक़े से यह बात कही गई वैसे उसका वास्ता नहीं था। माननीय गेंदा सिंह जी ने, अगर्चे बात लगती नहीं थी लेकिन बनारस का क़िस्सा छेड़ दिया और फिर आजमगढ़ का क़िस्सा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि लैंड रिफार्म्स में सप्लीमेंटरी ऐक्ट में हुआ है कि बहुत से लोग बेदखल हो गये, उसी तरह से इसमें भी गवर्नमेंट पछतायेगी इस बिल को बना कर। इससे कोई वास्ता नहीं था बनारस से। पता नहीं उन्होंने कहां से तादाद बतला दी कि एक लाख सब टेनेन्ट्स बेदखल हो गये। परमात्मा जाने गेंदासिंह जी कहां से ले आये।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लाख ४६ हजार की शिकमी की तादाद बतलायी थी। कानून वहां पर लागू नहीं था लेकिन लोग डंडे के बल पर बेदखल किये गये, ऐसा लोगों का ख्याल है।

श्री चरणसिंह—जब सब टेनेन्ट्स की ७ लाख पापुलेशन थी तो क्या सब बेदखल हो गये? इसको मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूं। यह कहां तक ठीक होगा। कितने बेदखल हुये वह बतलायें, एक लाख ४६ हजार उन्होंने क्यों बतलाये। खैर, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि यह बात ग़लत है। जहां तक लैंड रिफार्म सप्लीमेंटरी ऐक्ट का ताल्लुक़ है वह इससे मालूम होगा कि उससे कितना फायदा हुआ है। अकेले बस्ती में एक साल के अन्दर २५,००० एन्ट्रीज सही की गयी हैं और उन्नाव में १२,६०० एंट्रीज एक साल के अन्दर सही की हैं। लैंड रिफार्म सप्लीमेंटरी ऐक्ट के अंदर इतना काम किया गया है। एक जगह के आंकड़े तो मुझे याद हैं कि १,८०० गांवों में से १,१०० गांवों में हमारे अधिकारी गये हैं। आजमगढ़ में ६ हजार प्रार्थना-पत्र दिये गये उनमें से ३२ प्रतिशत मंजूर हुए। अगर यह ऐक्ट न बनता तो आप समझ सकते हैं कि क्या बात होती। अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह चाहते हैं कि उनकी दलीलों पर यक़ीन कर लूं और सदन इस बात को मान ले कि अगर ऐक्ट बनने से ही यह नुक्सान हो गया, ६८ फीसदी बेदखल हो गये, यह नहीं है। पहले सौ परसेंट का नाम दर्ज नहीं था। उनमें से दरख्वास्त दी गयी तो मालूम हुआ कि ३२ परसेंट का क़ब्जा है, ६८ परसेंट ग़लत किया है। यह नहीं कहते अगर लैंड रिफार्म सप्लीमेंटरी ऐक्ट नहीं होता, लेकिन खैर, यह अपनी-अपनी बुद्धि है और किस तरह से प्रत्येक आदमी के लिये अक्ल दलील करती है, यह तो प्रत्येक को अलग-अलग परमात्मा की देन है। तो मुझे और कोई बात इस सिलसिले में कहनी नहीं है, सिवाय एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने एक ऐसी बात का

यहां जिक्र उठाया जिसका कि कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है, कि कुछ पश्चिमी जिलों के लोगों ने एक अपने अलहदा हिस्से की मांग की। मैं उस संबंध में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने ही देश का एक जिला दूसरे जिले में मिलाने के लिए कुछ लोगों का ख्याल हो कि ये दो जिले एक जगह कर दिये जायं, अगर यह उसी ख्याल से देखा जाता है जैसा कि मदन मोहन जी तिब्बत से मिलाना चाहें तो उन्हीं को मुबारक। यह जो बातें हैं उनको अपने और तरीक़े से हल करना चाहिये। मैं उस सिलसिले में अपनी कोई राय जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह मेंटल बैलेंस को खो देना है और इसलिये ही जो मन में अपनी बात लेकर उठायी इसी लिये कोई बिल के सिलसिले में कोई बात तुक की नहीं कह सके। सिर्फ यह कि यहां गये, वहां नहीं गये और यह कि उस सड़क पर न घूम आया करें, देहातों में जायं। मैं मदन मोहन जी से यह सीखने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आपके जरिये आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देहात में मैं जाता हूं वह उनसे ज्यादा नहीं तो कम नहीं जाता हूं, बावजूद और काम लदे रहने के और मैंने पौड़ी और गढ़वाल नहीं देखा, अल्मोड़ा नहीं देखा, टेहरी और नरेन्द्रनगर नहीं देखा सिवाय शोपशो के। वह इस बात की दलील है कि बिला काम के, जब तक बिल्कुल प्रेसिंग कोई काम न हो, मुझे शौक नहीं है सड़कों पर घूमने का और जब जरूरत होगी तो तिब्बत और जंगलों और पहाड़ों के खोह में भी जाने के लिये तैयार हूं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि मैं सड़कों पर नहीं गया हूं और ७ साल में मैंने अल्मोड़ा नहीं देखा है।

एक बात और कह दूं। माननीय चन्द्र सिंह रावत ने जो अमेंडमेंट भेजा है, माननीय हर गोविन्दपन्त ने इजाजत दे दी थी, सभापति जी, कि अब इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई जरूरत है नहीं। जितनी बातें कही गयीं मैं उन बातों के औचित्य की बाबत कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत बातें सही कही गयीं, लेकिन उनका इस बिल से कोई वास्ता नहीं। जमींदारी बिल से वास्ता है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से बेदखलियां दूर हो जायं, बिल पास हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहां पर सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मूल प्रस्ताव है,

"कुमायूं कृषि-भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय।"

इसमें संशोधन श्री चन्द्र सिंह जी रावत ने यह दिया है कि "कुमायूं कृषि-भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४, संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय"।

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कुमायूं कृषि-भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:

(क) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(ख) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(ग) "काश्तकार" (Tenant) के अन्तर्गत सिरतान है, किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं हैं, और

(घ) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुये हैं पर जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, वही अर्थ होगा जो उनको कुमायूं में प्रवृत्त मालगुजारी अथवा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध विधि में दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ग) काश्तकार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी क्षेत्रपति को किसी खाते या जोत के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बन्धों के अधीन नकद अथवा जिन्सी लगान देता है।

स्पष्टीकरण---उपर्युक्त के अन्तर्गत सभी प्रकार के खायकर व सिरतान व टेहरी-गढ़वाल के आसामी भी सम्मिलित हैं।"

श्रीमन्, इस विधेयक में काश्तकार 'टेनेंट' शब्द की जो परिभाषा दी गयी है वह बिलकुल ही अस्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि काश्तकार के अन्तर्गत सिरतान हैं किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं हैं। श्रीमन्, एक बड़ी भारी दिक्कत है कि अभी तक जो हिन्दी और अंग्रेजी के विधेयक के अनुवाद में जो शब्दों का प्रयोग होता है तो जहां तक पारित होने का प्रश्न है, हिन्दी का विधेयक पारित किया जाता है, लेकिन जहां तक कि लीगल अप्लीकेशन हैं वहां अंग्रेजी के ही शब्द माने जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि जिस प्रकार उसको प्रस्तुत किया उन्होंने "इन्क्लूड्स" शब्द पर जोर देकर सारी भावना को बदल दिया। मेरे कहने का तात्पर्य इस संशोधन के द्वारा यह है कि काश्तकार शब्द की परिभाषा टेनेंट की कहीं भी कुमायूं के पुराने कानून में सिर्फ कुमायूं नयावाद ऐक्ट को छोड़ कर जिसमें केवल यह कहा गया है कि सिरतान कस्टमरी ला के अनुसार टेनेंट माने जाते हैं, कहीं भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कस्टमरी ला के अनुसार टेनेंट दो माने जाते हैं। खायकर और सिरतान। खायकर के दो विभाग हैं कच्चे और पक्के। सिरतान के चार विभाग हैं। तो अगर दो मुख्य विभाग टेनेंट्स के हैं, दो हिस्से उनके हैं तो इस संशोधन के जरिये खायकर टेनेंट नहीं रह जाते हैं, केवल सिरतान टेनेंट्स रह जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तेजनात्मक भाषण में यह कहा कि सिरतान के अलावा जितने टेनेंट्स हैं वह सब इसमें आ जाते हैं। कौन-कौन टेनेंट्स हैं जरा माननीय मंत्री जी बतलायेंगे। साझी और हलिया को सब-टेनेंट्स नहीं माना जाता। ठेकेदार भी सबटेनेन्ट्स या टेनेंट्स नहीं हैं। हिस्सेदार भी टेनेंट्स नहीं हैं। तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी प्रकार के टेनेंट्स के लिए हमने एलाऊ कर दिया, तो वह जरा बतायें, बल्कि माननीय मंत्री जी ने तो खायकर को भी अलग कर दिया। कस्टमरी ला में खायकर टेनेंट हैं। माननीय मंत्री जी के विधेयक के अनुसार खायकर अलग कर दिये गये। इसके साथ ही साथ अगर माननीय मंत्री जी कृपा करके स्टावेल्स मैन्युअल को देख लें तो स्टावेल्स मैन्पुअल में भी जो टेनेंट्स की डेफीनीशन है वह कोई अपने से अलग नहीं है बल्कि उसमें तीन प्रकार से अलग-अलग परिभाषायें दे दी गयी हैं। एक तो खायकर की परिभाषा दे दी गयी है, दूसरे सिरतान की परिभाषा दे दी गयी है और इसके बाद जो प्रधान या माल-गुजार हैं उनकी परिभाषा दे दी गयी है। इसके अलावा टेनेंट की अपने से कोई कस्टमरी ला में परिभाषा नहीं है। इसके बाद अगर आवश्यकता है और हम टेनेंट की परिभाषा करने जा रहे हैं या तो हम टेनेंट की वही परिभाषा रखें जो कि कुमायूं नयाबाद ऐक्ट में है कि कस्टमरी ला के अनुसार जो टेनेंट माने जाते हैं वही माने जांय, या तो वही परिभाषा रखें या अगर वह नहीं रखते तो ऐसी विकृत परिभाषा जिसका उलटा अर्थ लगाया जा सकता है और है स्पष्टतः। मैं समझता हूं कि ऐसी परिभाषा को रखना इस विधेयक के हित के विरोध में जाता है। मैंने अपनी परिभाषा में कुमायूं ला कमेटी रिपोर्ट का भी सहारा लिया है। कुमायूं ला कमेटी

रिपोर्ट ने एक ऐक्ट प्रपोज किया था कुमायूं टेनेंसी बिल । उस कुमायूं लाज कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १४४ पर जो परिभाषा दी गयी है, उसमें लिखा हुआ है,

"Tenant' means a person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be payable, and ignores a thekedar and rentfree grantee but for a mortgagee of proprietory rights."

यह कुमायूं लाज कमेटी में ऐसे व्यक्तियों की राय भी थी जिनका आशीर्वाद माननीय मंत्री जी को प्राप्त है, उन सभी विद्वानों का जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। उन्होंने ही इस परिभाषा को तैयार किया है। मैंने उस परिभाषा को अधिक परिष्कृत व स्पष्ट करके रख दिया है। साथ ही टेहरी-गढ़वाल में किसान की जो परिभाषा है वह इसमें नहीं आती। टेहरी गढ़वाल की परिभाषाओं में अध्याय १ में दिया हुआ है कि, असामी वह मनुष्य है जो श्री १०८ महाराजा साहब या हिस्सेदार की ओर से या किसी मौरूसीदार व खायकर की ओर से जमीन कमाता हो। असामी नीचे लिखे तीन प्रकार के होंगे-

मौरूसीदार---वह मनुष्य है जो श्री १०८ महाराजा साहब व अन्य हिस्सेदार की ओर से बिना दूसरे की अधीनता के भूमि कमाता है और श्री १०८ महाराजा साहब या अन्य हिस्सेदार को रकम दिया करता है।

खायकर---वह मनुष्य है जो किसी हिस्सेदार या मौरूसीदार के अधीन भूमि कमाता है और हिस्सेदार को या मौरूसीदार को नियत रकम देता है।

सिरतान---वह मनुष्य है जो सिर्री या नकद रकम पट्टा और कबूलियत द्वारा या और प्रकार हिस्सेदार या मौरूसीदार की मर्जी पर या और किसी खायकर की मर्जी पर भूमि कमाता है।

तो टेहरी गढ़वाल में जो टिनेंट्स की परिभाषा है वह पहले से दी हुयी है। जब तक उस परिभाषा को हम इस विधेयक में स्थान नहीं देंगे तब तक उन दोनों विधेयकों में परस्पर विरोध होगा। एक परिभाषा इस समय 'असामी' की टेहरी गढ़वाल के भूमि सम्बन्धी नियमों में दी हुयी है और दूसरी परिभाषा हमारे विधेयक में दी हुयी है। इसलिए इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए और वास्तविक रूप से उनको अधिकार देने के लिए और बेदखली रोकने के लिए यह परिभाषा प्रस्तुत की है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस परिभाषा पर विचार करेंगे और जो वह पूर्व निश्चय कर लिया करते हैं कि जो बात हमारे सामने लिख कर आ गयी है चाहे कैसी ही हो, सही है, ऐसी धारणा उनके जैसे योग्य मंत्री को शोभा नहीं देती। इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कहीं पर संशोधन की आवश्यकता है तो उसे स्वीकार किया जाय, बजाय इसके कि एक वज्र रेखा डाल दें कि जो लिख गया यही सही है। इसके आगे कुछ और सही नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस शब्द "काश्तकार" की जब तक कोई परिभाषा नहीं होगी तब तक इस क़ानून का फायदा हम लोगों को नहीं पहुंच सकेगा। मैं भी यह कहने में नहीं हिचकता कि माननीय मंत्री जी ने इस काश्तकार की परिभाषा को हमारे यहां का जो कानून बना हुआ है या टेहरी का जो क़ानून बना हुआ है उसको देखने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में यह भी संकेत किया कि मैं शायद यह पसन्द नहीं करता कि वह मोटर पर जाकर जांच करें। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हर गांव में हमारे इलाके में जाकर वहां की दशा को देखें। मेरा कभी मंशा नहीं है जैसा कि वह समझते हैं कि मोटर पर जाने में मुझे एतराज़ है। हमें तो दुख है इस बात का और माननीय मंत्री जी को भी दुख होना चाहिए कि वह कभी हमारे इलाके में नहीं गये और हमारे यहां की दशा नहीं देखी। अगर वह वहां जाते तो इसका अन्दाजा लगा सकते थे कि वहां की क्या दशा होने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

३१ दिसम्बर के नेशनल हेरल्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें हमारे हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट लीडर श्री पी०सी० जोशी का एक लेख है "एग्रेरियन अनरेस्ट इन कुमायूं" । तिब्बत के बार्डर पर इसकी शोहरत मची हुयी है । वहां जाकर उन्होंने किसानों को भड़काया और वहां जो अनरेस्ट है उसका एक खाका इस स्टेटमेंट में खींचा है । माननीय मंत्री जी ने शायद उसे पढ़ा न हो । इतना टेन्स ऐटमासफियर वहां है ऐसा मेरा मतलब नहीं है । मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वहां लोग बहुत परेशान हैं । अल्मोड़ा तिब्बत के करीब है और उसके साथ वहां के लोगों का बिजनेस होता है । पर हम किसी भी प्रकार उनके साथ नहीं मिल सकते हैं । मैंने कभी भी तिब्बत से मिलने की बात नहीं कही ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्याय जी जो वर्णन कर रहे हैं उसका इस संशोधन से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष---इससे कोई मतलब मालूम नहीं होता, इसको छोड़ दिया जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मेरा मतलब यह है कि यह जो टेनेन्ट की परिभाषा है उसको देखने की माननीय मंत्री जी ने कोई कोशिश नहीं की । वहां जाते तो वह देखते और उनको पता चलता कि टेनेन्ट कौन है । जैसा माननीय नारायण दत्त जी ने संशोधन पेश किया है कि टेनेन्ट वह है जो किसी क्षेत्रपति की किसी खाते या जोत के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बन्धों के अधीन नकद अथवा जिन्सी लगान देता है, इससे टेनेन्ट की परिभाषा की सफाई हो जाती है । खायकर थोड़ा-बहुत लगान अपने हिस्सेदार को देता है, लिहाजा जब तक वह टैक्स देता है तब तक वह जमीन से खा कमा पाता है । कच्चा खायकर ऐसा होता है कि उसके कोई औलाद नहीं है तो उसकी जमीन दूसरे हिस्सेदार को रिवर्ट कर दी जाती है । तो इस तरह से उनके टेनेन्सी राइट को खत्म करने की बात होती है । माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन है उससे टेनेन्ट की परिभाषा की ठीक सफाई हो जाती है । माननीय मंत्री जी को उसे मानने में कोई एतराज न होना चाहिये । खायकरों को भी बेदखल किया जा रहा है । उनको कानूनन अधिकार है कि वे बेदखल नहीं किये जा सकते । अगर यह साफ कर दिया जाय कि जो कोई किसी किस्म का टैक्स देता हो तो उसे टेनेन्ट समझा जाय और उनके लिये यह कानून लागू होगा तो यह चीज पूरी सफाई कर देगी । यही माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का तात्पर्य है । इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस विधेयक का उद्देश्य जो काश्तकार लायबिल टु एजेक्टमेंट हैं उनकी बेदखली का रोकना है । जो ला के अन्दर काश्तकार एजेक्ट हो ही नहीं सकता और जिसका हेरिडिटरी राइट है उसके लिये यह कहना कि वह बेदखल नहीं होगा, कोई मानी नहीं रखता । इसलिये काश्तकार की परिभाषा में उन लोगों को निकाल दिया गया जिनको हेरिडिटरी राइट्स हैं, जो बेदखल नहीं होते सिवा उस सूरत के कि वे लगान न दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या खायकर बेदखल नहीं होता है ।

श्री चरणसिंह--खायकर बेदखल नहीं होता, सिवा चार सूरतों के । उन सूरतोंको रोकना हमारी मंशा नहीं है । आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में उनको पढ़े देता हूं -:-

"Termination of a khaikari tenure in mixed villages.

Having considered the various origins of khaikari tenures it may be as well to consider next how such tenures are terminated. There are four ways in which khaikari land may lapse to the proptietor in khaudkasht villages. These ways are:"

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या पढ रहे हैं आप ?

श्री चरणसिंह---वही पढ़ रहा हूं जिसको आप बाइबिल बतलाते हैं पृष्ठ ७२ पर ।---

"(i) by ejectment for non-payment of rent or for other cause;
(ii) by voluntary relinquishment on the part of the khaikar (ladawa) ;
(iii) by dispossession for a period upwards of six months ;
(iv) by failure of the line of succession on the death of a khaikar.

यह चार सूरत हैं जिनके अन्दर खायकर बेदखल हो सकता है। पहली तो यह कि लगान की अदायगी न करे। दूसरी यह कि वह वालन्टरी तरीके पर ही छोड़ दे। तीसरी यह कि अगर वह ६ महीने से ज्यादा बेदखल रह जाय और चौथे अगर बेऔलाद मर जाय।

जब यह सूरते हैं तो फिर मौरूसी टेनेन्ट में खायकर को रखना बेमानी है। जब कभी श्री नारायण दत्त जी सवाल करते हैं तो वह मालूम होता है कि वह बहुत बारीक सवाल करने वाले हैं, लेकिन बाद में मायूस होना पड़ता है जब कि उनका सवाल सुन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मंत्री साहब यह बतलायें कि कितने काश्तकार हैं। हम उनको गिना नहीं सकते हैं, इस वजह से "इन्क्लूड" शब्द रख दिया गया है जिसमें सब आजायेंगे जो गिनाये भी नहीं जा सकते हैं। अगर "इन्क्लूड" न रखते और मेरे या नारायण दत्त जी के गिनाने पर भी रह जाते तो फिर मुश्किल हो जाती और उनमें कोई रह सकते थे। इसलिये हमने उसको जनरल कर दिया, जिसमें सब आ जायं और कोई भी काश्तकार बच न सके। उसके लिये कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं श्री नारायण दत्त जी के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने बारीक प्रश्न को पूछने की कोशिश की कि कितने और काश्तकार हैं जो इन खायकर और सिरतान के अलावा हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो हमको मालूम नहीं है। कितने टेनेंट हैं इसलिए हमने टेनेंट की परिभाषा इतनी जनरल कर दी कि जिसमें सब आगये। बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री जी को और उनकी सरकार को आज तक यह पता नहीं है कि कितने प्रकार के काश्तकार कुमायूं डिवीजन में हैं। इसमें बारीक प्रश्न या बड़ प्रश्न की बात कैसे उठती है। वैसे तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस सदन के सदस्य मोटी बात जानते हैं। शायद माननीय मंत्री जी को मोटी बात याद आगयी। जैसा कि मैंने कहा कि इस 'टेनेन्ट' के प्रश्न को तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसको कुमायूं लाज कमेटी रिपोर्ट में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि पेज १४५ के भाग ५ में यह दिया हुआ है कि:

"There shall be for the purpose of this Act, the following classes of tenants, namely, Pakka khaikar, Kaccha Khaikar and Sirtan".

इसमें तीन प्रकार के टेनेन्ट्स माने गये हैं, कच्चा खायकर, पक्का खायकर, सिरतान। यह तीन प्रकार के टेनेन्ट ही माने गये हैं। मैं यह जानना चाहता था कि माननीय मंत्री जी बतलायें कि इन तीन के अलावा और कौन हैं? जहां तक खायकर की बेदखली का सवाल है मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो माननीय मंत्री जी ने कहा था मैं आपकी आज्ञा से फिर उसी से बतलाना चाहता हूं ताकि सदन के माननीय सदस्यों को समझने में आसानी हो। पहली चीज यह है.....

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में उल्लिखित सूची

तहसील का नाम	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या		स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों का प्रतिशत	
	पूर्णतः स्वीकृत	अंशतः स्वीकृत	१९५३ से पूर्व	१९५३ के पश्चात्
१	२	३	४	५
सदर ..	६०	७४	३८	३२
मुहम्मदाबाद ..	१७३	२८१	२०	३४
घोसी ..	३८५	२८२	२२	३३
सगड़ी ..	४११	३४८	१०	४३
लालगंज ..	३७	७२	२	३१
फूलपुर ..	२७१	१८०	..	३२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

तहसील सिकन्दराराऊ में २०–२१ फरवरी से ओला पड़ने से हानिग्रस्त गांवों की सूची

क्रम संख्या	गांव का नाम	गेहूं तथा मिश्रित गेहूं	जौ तथा मिश्रित जौ	मटर	चना	तिलहन	अन्य फसल
१	जरेरा ..	४ आना	८ आना	१२ आना	४ आना	८ आना	२ आना
२	झांकरी ..	..	..	..	..	..	..
३	मेड़मेई ..	..	..	..	..	..	..
४	उल्दापुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
५	नगला सकट	,,	,,	,,	,,	,,	,,
६	पोरा ..	,,	,,	,,	,,	,,	,,
७	सिंधौली ..	,,	,,	,,	,,	,,	,,
८	सिहौरी ..	,,	,,	,,	,,	,,	,,
९	पयांदपुर	२ आना	४ आना	८ आना	२ आना	८ आना	..
१०	जनसोई ..	४ ,,	८ ,,	१२ ,,	४ ,,	८ ,,	२ ,,
११	जरीनपुर बड़का	,,	,,	,,	,,	,,	,,
१२	बरी ..	,,	,,	,,	,,	,,	,,
१३	जिरौली कलां	८ आना	८ आना	१२ आना	६ आना	..	..
१४	जिरौली खुर्द	८ ,,	१० ,,	१२ ,,	४ ,,	८ ,,	४ ,,
१५	डलिगवां	,,	,,	,,	,,	,,	,,
१६	अमृतपुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
१७	चन्दनपुर ..	८ आना	८ आना	१२ आना	४ आना	४ आना	..
१८	कचेरा ..	,,	१० ,,	,,	६ ,,	..	..
१९	बिरवर ..	,,	,,	,,	४ ,,	८ ,, ४	..
२०	बड़गवां ..	,,	१२ आना	,,	६ आना	,,	,,
२१	पीपलगांव	,,	,,	,,	,,	६ ,,	,,
२२	आसोली	,,	१० ,,	,,	४ ,,	८ ,,	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ?? पर)

प्रतापगढ़ जिले में मत्स्य विकास योजना के अन्तर्गत रक्खे गये कर्मचारियों की सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का पद	वेतन-क्रम	मासिक वेतन महंगाई सहित
१	एक मत्स्य विकास सुपरवाइजर	७५–५–१२०	१०० रुपया
२	चार मछुए	३०–६५	५० रुपये प्रत्येक
		कुल योग ..	३०० रुपया

मई, १९५३ से प्रतापगढ़ तथा सुलतानपुर, दोनों जिलों, का मत्स्य विकास कार्य निम्न-लिखित कर्मचारिगण कर रहे हैं :--

१--एक मत्स्य निरीक्षक,

२--एक मत्स्य विकास सुपरवाइजर,

३--एक ड्राइवर

४--एक चपरासी

५--सात मछुए।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

सूची

इलाका बारामंडल	इलाका पाली	इलाका शोर
पट्टी उच्चूर ..	पट्टी तल्ला सिलोर ..	पट्टी तल्ला बड़ाऊ
,, विनोद ..	,, मला ककलसों ..	,, मला बड़ाऊ
,, मला सालम ..	,, मला सल्ट ..	,, पुगराऊ
,, तला सालम ..	,, बल्ला सल्ट ..	,, मेरंग
,, मला लखनपुर ..	,, पला सल्ट ..	,, वेल
,, तला तिखौन ..	,, तला सल्ट ..	
,, डोलकाट ..	,, पला नया	
,, मला स्यूनरा ..	,, वला नया	
,, रंगोढ़ ..	,, तला ककलसों	
,, नाकुरी ..	,, बिचला दोरा	
,, खासपजां ..	,, तला दोरा	
,, भला तिखौन ..	,, मला दोरा	
	,, तला चौकोट	
	,, बिचला चौकोट	
	,, चौगांव	
	,, तला गैवाड	
	,, कालीगाड	
	,, वला अठागुली, पता अठागुली	
	,, पूराकाट	
	,, मलीडोटी	
	,, रिऊणी	
	,, द्वारसों	
	,, कंडारखुवा	
	,, कैड़ारणो	

नत्थी ङ

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

पटवारियों का त्याग-पत्र का विवरण जिला आजमगढ़

तहसील	संख्या उन पटवारियों को जिन्होंने त्याग-पत्र दिया।	संख्या उन पटवारियों को जिन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया।	संख्या उन पटवारियों की जिन्होंने त्याग-पत्र देकर वापस ले लिया।
फूलपुर ..	२६९	२८	६३
मोहम्मदाबाद	१५१	१३	२२
सदर ..	१६७	७	३५
सगड़ी ..	१४५	४	८
घोसी ..	१४१	६	३
लालगंज ..	१५७	११	३०
योग ..	१०३०	६९	१६१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८पर)

प्रश्न संख्या ७६ स सम्बन्धित सूची

बाबत सन् १३६० फस्ली, फिहरिस्त मवाजियात तप्पा नगवाटीकर, परगना सिलहट, जिनमें बाढ़ के कारण छूट दी गई।

१—जंगल डुमरडोला
२—बौरेडी
३—एकला मिश्रौली
४—जंगल लालपुर
५—बुरैती
६—समधवाघाट
७—हरजूपुर
८—काशीपुर
९—शिवनाथपुर
१०—जोगिया बुजुर्ग
११—गाजीपुर मेसही
१२—श्रीनगर कोल्हुआ
१३—ताल कोल्हुआ
१४—जंगल गुसउल
१५—चन्दाखेताल
१६—तौलाताल
१७—पिड़री
१८—सतकोठवा
१९—बनिया पार
२०—भगवान माझा उर्फ बेलवा
२१—बेलवा दुबौली
२२—लालपूर परसिया
२३—बिशुनपुर बगही
२४—रतनपुर
२५—खोपा
२६—लीलापुर मैसहा
२७—होली बलिया
२८—तिघरा खैरबा
२९—करहकोल मुस्तकिल
३०—जगरनाथपुर
३१—माझानरायन मुस्तकिल
३२—नीवा
३३—अनुसा
३४—मठिया पांड़े
३५—पचरूखा
३६—कोडरी
३७—बैदा
३८—पचलड़ी कुतपुरा
३९—रमपुरवा
४०—बसडोला
४१—छपरा खुर्द
४२—सराब खुर्द
४३—सराब बुजुर्ग
४४—बहोरा दलपतपुर
४५—बकरुबा मुस्तकिल बकरुबा इहतमाली
४६—पड़ौली
४७—एकौना
४८—नगवा खास
४९—डढ़िया
५०—परायनपुर औराई
५१—भिरवा
५२—छपरा बुजुर्ग
५३—सचौली पटवनिया मुस्तकिल
सवौली पटवनिया इहतमाली
५४—डहरौली गाजन
५५—इसरपूरा
५६—सुलतानी
५७—पलिया
५८—परास खान्ड
५९—भेलउर
६०—जगदीशपुर
६१—रानीपुर
६२—गोनाह सुरतपुरा
६३—रुद्रपुर
६४—अहलादपुर मरकरी
६५—जोत कुसहबा
६६—टीकर खास
६७—अधरंगी
६८—सरया
६९—हड़हो बंदोलवा
७०—अर्कस्थो
७१—बिठुलपुर
७२—भगवानपुर
७३—गोविन्दपुर
७४—लक्ष्मीपुर कोलिया
७५—जोत समरौना

७६—मठिया माफी
७७—मरोहिया
७८—डाला
७९—मलहपुरवा
८०—सोनबरसा
८१—चन्दाताल
८२—बीरमपुर
८३—लसना घाट
८४—कैथबलिया
८५—सेमरिया
८६—पिड़हनी
८७—बेरुआर घाट
८८—बकइल
८९—रामपुर
९०—डोभर कोल
९१—सोनबह मुस्तकिल
　　सोनबह इहतमाली
९२—इसलामाबाद
९३—नउरा बहवाज
९४—गायघाट
९५—विशुनपुरा
९६—जोत मिलोरा
९७—मंझरिया
९८—कृतपुरा
९९—दीनापार
१००—चक वाहिद उर्फ चकवा
१०१—महदहा
१०२—बरईपार
१०३—जमीरा
१०४—माल पट्टी
१०५—रमईपुर
१०६—केवटलिया
१०७—पटवनिया
१०८—जोत टान्डी
१०९—चक मुस्तफा

प्रश्न संख्या ७६ से सम्बन्धित सूची

फिहरिस्त मवाजियात तप्पा नगवाटीकर, परगना सिलहट, जिनमें बाढ़ के कारण सन् १३६१ फ० में मालगुजारी में छट दी गई।

१—उसरा बाजार
२—जोकहा खास
३—परसा जोकहा
४—जंगल कोइलगड़हा
५—तिबई
६—जंगल डोमरडोला
७—जंगल एकला मिश्रौलिया
८—जंगल लालपुर
९—निबही डान्डो
१०—दिवनाथपुर
११—जोगिया बुजुर्ग
१२—श्रोनगर कोल्हुआ
१३—काशीपुर
१४—हरजूपुर
१५—समधवा घाट
१६—करीता
१७—सिलहटा
१८—गोनाह सूरतपुरा
१९—सतकोठवा
२०—जंगल भुसउल
२१—मांगा कोड़र
२२—चंदोरबताल
२३—बौरडोह
२४—कुरैती
२५—गाजीपुर मँसाही
२६—कोल्हुआ
२७—गौनरिया
२८—पिन्डरा
२९—पिन्डरी
३०—रतनपुर
३१—विशुनपुर बगही
३२—नौला ताल
३३—बनियापार
३४—बेलवा दुबौली
३५—भगवान माझा उर्फ बेलवा
३६—लालपुर परिस्या
३७—पचरुखा
३८—खोपा
३९—माझा नरायन मुस्तकिल
४०—जगरनाथपुर
४१—लीलापुर मँसहा
४२—हौली बेलवा

४३—करहकोल मुस्तकिल
४४—तिघरा खैरवा
४५—करहकोल एहतमाली
४६—माझा नरायन एहतमाली
४७—हड़हा
४८—अनुसा
४९—मठिया पान्डे
५०—बैतेरहा पान्डे
५१—नोबा
५२—कोड़र
५३—बनकटी
५४—मठौरा
५५—धर्मपुर
५६—भटौली मुस्तकिल
५७—भटौली एहतमाली
५८—छपरा खुर्द
५९—इशरपुर
६०—रामपुरवा
६१—परास खाड़
६२—कोडरी
६३—पचलरी कृतपुरा
६४—बैदा
६५—सुलतानी
६६—पलिया
६७—भेलउर
६८—जगदीशपुर
६९—बहोरवा दलपतपुर
७०—सरांव खुर्द
७१—सरांव बुजुर्ग
७२—बसडीला
७३—भेड़ी मुस्तकिल
७४—एकौना
७५—भेड़ी एहतमाली
७६—कौल केशो
७७—बकरुवा मुस्तकिल
७८—नरायनपुर औराई
७९—नगवा खास
८०—डढ़िया
८१—सचौली पटवनिया मुस्तकिल
८२—सचौंली पटवनिया एहतमाली
८३—भिरवा
८४—छपरा बुजुर्ग
८५—डहरौली गाजन
८६—चन्दा ताल
८७—कन्हई चक
८८—भगवान उर्फ सरमोहाना
८९—डहरौली खुर्द
९०—मुड़ेरा
९१—करनपुरा
९२—माझा
९३—रानीपुर
९४—पिपरा
९५—अवस्थी
९६—माधोपुर सिहोर चक
९७—पान्डे माझाराजधर
९८—सीतल माझा
९९—मांझा भीमसेन
१००—जोगिया खुर्द
१०१—डहरौली बुजुर्ग
१०२—भगवानपुर
१०३—अधरंगी
१०४—जोत कुसबहा
१०५—अहलादपुर मरकरी
१०६—टीकर खास
१०७—रुद्रपुर
१०८—सरया
१०९—बड़हरा
११०—गोपलापुर
१११—मझौली
११२—जंगल इमिलिहा
११३—हड़ही नदोलबा
११४—करमेल बन्दरही
११५—जोत सेमरौना
११६—बिट्ठलपुर
११७—सोनबरसा
११८—लक्षमीपुर कोलिया
११९—पिड़हनो
१२०—डाला
१२१—मरोहिया
१२२—मठिया माफी
१२३—कैथबलिया
१२४—बीरमपुर
१२५—लखनाघाट
१२६—मलहपुरवा
१२७—गोविन्दपुर
१२८—रामपुर
१२९—विशुनपुरा
१३०—डुमरकोल
१३१—सोनबह एहतमाली
१३२—सोनबह मुस्तकिल

१३३—इसलामाबाद
१३४—गायघाट
१३५—सिमरिया
१३६—नेरुआरघाट
१३७—जोत भिलोरा
१३८—नवा बहबाज
१३९—नकइल
१४०—दीनाधार
१४१—चकवाहिद उर्फ चकवा
१४२—कृतपूरा
१४३—शिवधरा
१४४—महदहा
१४५—कोरबा
१४६—बरईपार
१४७—जमीरा
१४८—मालपट्टी
१४९—मंझरिया
१५०—शब्दलपुर
१५१—चकमुस्तफा
१५२—मंझवा
१५३—रमईपुर
१५४—पटवनिया
१५५—मुरली गनियारी
१५६—कैवटलिया
१५७—जोत टान्डी
१५८—पौहरिया
१५९—मदनपुर
१६०—परसा जंगल
१६१—निबही
१६२—सतुवाभार
१६३—मठिया
१६४—पड़ौली
१६५—बकरुवा एहतमाली

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ.....२९...पर)

प्रश्न सख्या ८०स सम्बन्धित सूची

तहसील नगीना, जिला बिजनौर के ग्रामों की सूची, जिनमें २४-२-५४ को ओला पड़ने से ८ आना या अधिक की हानि हुई।

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्रम संख्या	नाम ग्राम
१	जयसिंह जट	२०	सुलतानानगर
२	गादला	२१	सिरयावाली
३	फजलाबाद परमा उर्फ	२२	चक
	मुआवाला	२३	महिउद्दीनपुर
४	गोपाल वाला	२४	मोहरपुर
५	जाहिदपुर	२५	अल्लाहपुर मुबारक
६	रेहड़	२६	देवानन्दपुर गरबी
७	अलीगंज	२७	बन्सी जट
८	लालपुरी	२८	अमन नगर
९	अरजी कडला	२९	शामिल जोत
१०	कासमपुर गढ़ी	३०	नरायनपुर
११	गोरधनपुर	३१	फजलाबाद कटक
१२	लालपुर	३२	इमरतपुर
१३	नेगा वाला	३३	रफतपुर भैव
१४	रायपुरी	३४	हसनपुर
१५	मकनपुर गढ़ी	३५	बादशाहपुर
१६	नौआबाद जंगल	३६	फतेहउल्ला नगर
१७	मुनीर नगर	३७	मोहम्मद नगर देहर
१८	भटपुरा	३८	डलावाला
१९	धनापुर		

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ——३०—पर)

प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर में उल्लिखित सूची

जिला	प्रार्थना-पत्र जिनमें कागजात दुरुस्ती की कार्यवाही अभी बाकी है
१	२
देहरादून	४७५
सहारनपुर	४५०
*मुजफ्फरनगर	..
मेरठ	७२३
बुलन्दशहर	२२४
अलीगढ़	२४०
मथुरा	३६७
आगरा	२३९
मैनपुरी	२७७
*एटा	..
बरेली	९४१
बिजनौर	२८०
बदायूं	३२
मुरादाबाद	१,४८५
शाहजहाँपुर	८१७
पीलीभीत	६२६
रामपुर	११०
फर्रुखाबाद	४८०
इटावा	९५१
कानपुर	१,८४८
फतेहपुर	९३५
*इलाहाबाद	..
झांसी	११९६
जालौन	१,००१
*हमीरपुर	..
बांदा	५९२
*बनारस	..
मिर्जापुर	१२४१
जौनपुर	२१३३
गाजीपुर	१०४६
बलिया	१५०६

*उपलब्ध नहीं है ।

जिला	प्रार्थना-पत्र जिनमें कागजात दुरुस्त की कार्यवाही अभी बाकी है।
१	२
गोरखपुर	९७९
बस्ती	२,०७८
आजमगढ़	६७०
देवरिया	२,६६९
नैनीताल	१७३
लखनऊ	७४१
उन्नाव	१,५०९
*रायबरेली	..
सीतापुर	१,७६५
हरदोई	२,७०८
खीरी	१,१३०
फैजाबाद	६८५
गोंडा	६२६
बहराइच	१,२५२
सुल्तानपुर	२,३७४
प्रतापगढ़	८६१
बाराबंकी	१,७२९

*उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१ पर)

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मेरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों से सम्बद्ध रामपुर स्टेट ऐक्टों को निरस्त करने का

विधेयक

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों से सम्बद्ध रामपुर स्टेट ऐक्टों को निरस्त करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) अधिनियम, १९५४, कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मुस्लिम मैरिजेज ऐक्ट, १९४१ और रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट, १९४५ का निरसन।

२—कानून इन्दराज निकाह अहले इस्लाम रियासत रामपुर, १९४१ [The Rampur State Registration of Muslim Marriages Act 1941]* और कानून इन्दराज विवाह अहले हुनुद रियासत रामपुर, १९४५ (The Rampur State Registration of Hindu Marriages Act, 1945) एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किये जाते हैं।

उद्देश्य और कारण

रामपुर रियासत का उत्तर प्रदेश में विलयन हो जाने पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित विधियां वहां भी प्रवृत की गईं और रामपुर में प्रवृत तत्सम्बन्धी विधियां निरस्त कर दी गईं। केवल रियासत की उन पुरानी विधियों को कुछ समय के लिये प्रचलित रहने दिया गया जिनके सम्बन्ध में राज्य या संघ की तत्सम्बन्धी विधियां नहीं थीं। तदनुसार रामपुर रियासत द्वारा अधिनियमित रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट, १९४५ और रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मुस्लिम मैरिजेज ऐक्ट, १९४१, रामपुर जिले में अब भी प्रचलित हैं। रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट, और रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मुस्लिम मैरिजेज ऐक्ट के अनुसार रामपुर रियासत (अब रामपुर जिला) में होने वाले प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान के विवाह की रजिस्ट्री उन ऐक्टों के अनुसार कराना आवश्यक है, और यदि कोई व्यक्ति इन उपबन्धों का पालन न करे, तो उसे अर्थ-दंड दिया जा सकता है। विवाहों के सम्बन्ध में राज्य भर की विधि में समानता होनी वांछनीय है। इस राज्य में इस समय हिन्दू और मुसलमानों के विवाहों की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में कोई विधि नहीं है, इसलिये यह वांछनीय समझा गया कि रामपुर की इन दोनों विधियों को भी निरस्त कर दिया जाय। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१ एल० ए०—१९५४—८५०।